IFFDC

*Preserving Nature . Nurturing Lives*

# 30वीं / 30th

# वार्षिक रिपोर्ट
# Annual Report

2022-23

माननीय श्री अमित शाह, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित "विश्व का पहला" इफको नैनो डी.ए.पी. (तरल) की लॉचिंग

इफको की 52वीं वार्षिक आम सभा के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा लगाये गये स्टॉल का अवलोकन करते हुए इफको के प्रबंध निदेशक डा. यू.एस. अवस्थी

# विषय सूची
# Contents


6 | निदेशक मंडल
Board of Directors

8 | आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड
IFFDC Limited

12 | हमारा दृष्टिकोण
Our Approach

14 | परियोजनाओं का विवरण
Details of Projects

16 | निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

18 | क्लाईमेट एक्शन
Climate Action

18 | सामाजिक वानिकी विकास
Social Forestry Development

28 | जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)
Watershed Management (Ecological Resilience)

32 | जलवायु रोधन परियोजना
Climate Proofing Project

34 | कृषक उत्पादक संगठन
Farmer Producers Organisation

36 | सी.एस.आर. पहल
C.S.R. Initiative

46 | समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास
Integrated Rural Livelihood Development

50 | आजीविका उद्यमिता विकास परियोजना
Livelihood Entrepreneurs Development Project

52 | सार्वभौमिक अवधान
Cross Cutting Interventions

52 | सामुदायिक संस्थायें
Community Institutions

54 | जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण
Gender Mainstreaming and Women Empowerment

58 | क्षमता निर्माण
Capacity Building

62 | बीज एवं अन्य कृषि आदान
Seed and Other Agri-Inputs

62 | बीज
Seed

70 | उर्वरक एवं कृषि रसायन
Fertilisers & Agro-Chemicals

74 | मानव संसाधन विकास
Human Resource Development

76 | प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ
Publicity Activities

78 | आभार
Acknowledgements

80 | पुरस्कार तथा सम्मान
Awards and Recognitions

82 | सहयोगी संस्थाएं
Support Organisations

84 | वित्त एवं लेखा - वित्तीय स्नॉपशॉट
Finance & Accounts - Financial Snapshot

85 | स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

88 | तुलन पत्र
Balance Sheet

89 | लाभ हानि लेखा
Profit & Loss Account

90 | वित्तीय कथनों पर टिप्पणियाँ
Notes on Financial Statements

104 | नकदी प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement

# आई.एफ.एफ.डी.सी. एक दृष्टि में

**पंजीयन**
अक्टूबर 22, 1993 को बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. अधिनियम 2002) के अंतर्गत

**कार्यक्षेत्र**
संपूर्ण भारतवर्ष

**सदस्य समितियाँ**
**171**
प्राथमिक वानिकी समितियाँ – 151
सदस्य – 19,118 (32% महिला सदस्य)

## पोर्टफोलियो

### परियोजनाएं

- **आजीविका विकास** — आजीविका उत्थान सुनिश्चितीकरण 5.6 लाख परिवार से अधिक
- **वाड़ी विकास** — 8515 आदिवासी परिवार विकसित फलोद्यान 3,406 हैक्टेयर
- **कृषक उत्पादक संगठन संवर्द्धन** — कृषक उत्पादक संगठन 88 (51,067 सदस्य)
- **कुल संवर्द्धित सामुदायिक संस्थाऐं** — 2860 (1,05,835 सदस्य)
- **सामाजिक वानिकी, जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन ट्रेडिंग** — बंजर भूमि पर वृक्षारोपण (संचयी क्षेत्र) 29,421 हैक्टेयर; कुल विद्यमान वृक्ष 109 लाख
- **जल संसाधन विकास** — 272 चैक डैम; 1165 तालाब; 1293 कुँए; 326 एल.डी.पी.ई. टैंक
- **जलग्रहण प्रबंधन** — उपचारित क्षेत्र 18,184 हैक्टेयर
- **स्वयं सहायता समूहों का गठन** — गठित स्वयं सहायता समूह 1,900 (सदस्यता 19,451) (94% महिला सदस्य)

### बीज उत्पादन एवं विपणन

- **खाद्यान्न**
- **पोषक धान्य**
- **दलहन एवं तिलहन**
- **चारा फसलें**
- **संकर बीज**
- **सब्जी बीज**

प्रमाणित बीज उत्पादन 2.90 लाख क्विंटल

प्रमाणित बीज विपणन 2.82 लाख क्विंटल

### इफको उर्वरक एवं कृषि आदान

- **सागरिका (दानेदार एवं तरल)** — सागरिका दानेदार 0.15 लाख मीट्रिक टन; सागरिका तरल 3.30 लाख लीटर
- **जैव उर्वरक** — जैव उर्वरक 1.49 लाख लीटर
- **नाइट्रोजन युक्त उर्वरक** — उर्वरक विपणन 9.2 लाख मैट्रिक टन
- **जल विलेय एवं स्पेसिएलिटी उर्वरक** — जल विलेय उर्वरक एवं स्पेसिएलिटी उर्वरक 0.37 लाख मैट्रिक टन
- **इफको नैनो यूरिया/ डीएपी (तरल)** — नैनो यूरिया बोतल 53.57 लाख (संख्या)
- **फास्फेट एवं पोटाश युक्त उर्वरक** — उर्वरक विपणन 7.74 लाख मैट्रिक टन

# IFFDC *at a glance*

**Registration**
On 22nd October, 1993 under Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (subsequently under MSCS Act, 2002)

**Area of Operation**
The Whole Indian Union

**Member Cooperatives**
171 Primary Forestry Cooperatives - 151
Members - 19,118 (32% Women Members)

## PORTFOLIO

### Projects

- **Livelihood Development** — Ensuring Livelihood Improvement More than 5.6 lakh families
- **Wadi Development** — Tribal Families 8515 Fruit Orchard Developed 3,406 ha
- **Promotion of Farmer Producers Organisation** — Farmers Producer Organisation (FPO) 88 (51,067 members)
- **Total Community Institutions Developed** — 2860 (1,05,835 members)
- **Social Forestry, Climate Change & Carbon Trading** — Wasteland Afforested (Cum. Area) 29,421 ha; Total Existing Trees 109 Lakh
- **Water Resource Development** — 272 Checkdams, 1165 Ponds, 1293 Wells, 326 LDPE Tanks
- **Watershed Management** — Area treated 18,184 ha
- **Formation of SHGs** — Self Help Groups Formed 1,900 (Membership 19,451) (94% women members)

### Seed Production & Marketing

- **Cereal**
- **Nutri-Cereal**
- **Pulses & Oilseeds**
- **Fodder**
- **Hybrid Seeds**
- **Vegetable Seeds**

### IFFCO Fertilisers & Agri-inputs

- **Sagarika (Granular & Liquid)** — Sagarika Granular 0.15 Lakh MT Liquid 3.30 Lakh Litres
- **Bio Fertilisers** — Bio-Fertiliser 1.49 Lakh Litres
- **Nitrogenous Fertilisers** — Fertiliser Marketing 9.2 Lakh MT
- **Water Soluble & Speciality Fertilisers** — WSF and Speciality Fertilisers 0.37 Lakh MT
- **IFFCO Nano Urea/DAP (Liquid)** — Nano Urea Bottle 53.57 Lakh (Nos.)
- **Phosphatic and Potassic Fertilisers** — Fertiliser Marketing 7.74 Lakh MT

IFFDC
Preserving Nature . Nurturing Lives

# इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
# Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited



## विज़न

चिरन्तर सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की क्षमताओं में वृद्धि करके उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायता करना एवं उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे उन्हें नए अवसरों की प्राप्ति हो ताकि वे अपने मूलाधार संसाधनों की वृद्धि एवं विकास कर, एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।

## मिशन

क्लाईमेट एक्शन (जलवायु परिवर्तन में कमी, अनुकूलन व सहनशीलता विकसित करना) हेतु संगठित प्रयासों से प्राकृतिक संसाधनों के चिरन्तर प्रबन्धन द्वारा लोगों के सामाजिक – आर्थिक स्तर का उत्थान।

## उद्देश्य

- एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि पद्धतियों के माध्यम से क्लाईमेट एक्शन।
- पारिस्थितिकीय संतुलन एवं चिरंतर ग्रामीण आजीविका संसाधनों के लिए बंजर भूमि का विकास।
- सी.एस.आर. के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कृषि उत्पादन, पशुधन विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार सृजन, खेलकूद, संस्थागत विकास एवं पर्यावरण सुधार की गतिविधियों का क्रियान्वयन
- स्वयं व अपनी सदस्य समितियों की ओर से आवश्यकता अनुसार बीज, कृषि आदानों, कृषि औजारों/मशीनों व अन्य सहायक वस्तुओं का उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण व विपणन संबधी कार्य करना।
- सदस्यों/सामुदायिक संस्थानों को वित्तीय, तकनीकी, विस्तार एवं विपणन सेवायें प्रदान करना।

## Vision

Assisting the poor to enhance their capabilities for attaining their aspirations; Creating enabling environment for the poor to access new opportunities and develop & enhance resource base essential for leading a dignified life through sustainable community institutions.

## Mission

To enhance the socio-economic status of the people through collective action by Sustainable Natural Resources Management for climate action (mitigation, adaptation and resilience development).

## Objectives

- Climate action through Integrated Natural Resources Management and Farming System Approach.
- Wasteland development for ecological balance and engendering sustainable rural livelihood resources.
- To undertake CSR initiatives on Community Health and Sanitation, Safe Drinking Water, Agriculture Production, Livestock Development, Women Empowerment, Education, Skill Development & Employment Generation, Sports, Institutional Development and Environment Up-gradation.
- To undertake production, processing, distribution and marketing of seed and other need based Agricultural Inputs, Agricultural Implements / Machineries and other allied articles on its own or on behalf of its members.
- To provide Financial, Technical, Extension and Marketing services to members /community institutions.

IFFDC
Preserving Nature . Nurturing Lives

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited

# निदेशक मंडल
# Board of Directors

अध्यक्ष / Chairman
प्रहलाद सिंह
Prahlad Singh

उपाध्यक्ष / Vice-Chairman
दया कृष्ण भट्ट
D.K. Bhatt

निदेशक / Director
योगेंद्र कुमार
Yogendra Kumar

निदेशक / Director
गुरु प्रसाद त्रिपाठी
G.P. Tripathi

निदेशक / Director
इंदरजीत कौर
Inderjeet Kaur

निदेशक / Director
राजपती सिंह
Rajpati Singh

निदेशक / Director
लीला कँवर
Leela Kanwar

निदेशक / Director
छोटेलाल पाण्डेय
Chhotelal Pandey

निदेशक / Director
डाडम चद जाट
Dadam Chand Jat

निदेशक / Director
दीनानाथ सिंह सोलंकी
Deenanath Singh Solanki

निदेशक / Director
अंकित परिहार
Ankit Parihar

निदेशक / Director
आदित्य यादव
Aditya Yadav

प्रबंध निदेशक / Managing Director
एस.पी. सिंह
S.P. Singh

# पूर्व अध्यक्ष
# Ex-Chairman

डा. वी. कुमार
Dr. V. Kumar
(अक्टूबर 22, 1993–फरवरी 11, 2003)
(October 22, 1993-February 11, 2003)

दयाकृष्ण भट्ट
D.K. Bhatt
(फरवरी 12, 2003–जून 25, 2009)
(February 12, 2003-June 25, 2009)

गुरु प्रसाद त्रिपाठी
Guru Prasad Tripathi
(जून 26, 2009–जून 21, 2019)
(June 26, 2009-June 21, 2019)

उमेश त्रिपाठी
Umesh Tripathi
(जून 22, 2019–मार्च 25, 2022)
(June 22, 2019-March 25, 2022)

# पूर्व मुख्य कार्यकारी
# Ex-Chief Executives

स्व. डा. ओ.पी. गौड़
Late Dr. O.P. Gaur
(अक्टूबर 22, 1993–अगस्त 31, 2000)
(October 22, 1993-August 31, 2000)

अशोक आलम्बेन
Ashok Alambain
(सितम्बर 01, 2000–सितम्बर 03, 2002)
(September 01, 2000-September 03, 2002)

स्व. डा. पी.एस. मरवाहा
Late Dr. P.S. Marwaha
(सितम्बर 03, 2002–सितम्बर 02, 2008)
(September 03, 2002-September 02, 2008)

प्रवीण अग्रवाल
Praveen Agarwal
(सितम्बर 03, 2008–अक्टूबर 13, 2008)
(September 03, 2008-October 13, 2008)

डा. के.जी. वानखेड़े
Dr. K.G. Wankhede
(अक्टूबर 14, 2008–अगस्त 31, 2015)
(October 14, 2008-August 31, 2015)

# आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड

## हमारे बारे में

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड (आई.एफ.एफ.डी.सी.) वर्ष 1993 में अस्तित्व में आई, जबकि इसका कार्य वर्ष 1986–87 में पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। इसकी प्रवर्तक संस्था, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में प्रक्षेत्र वानिकी के द्वारा पर्यावरण संतुलन एवं बंजर भूमि विकास का कार्य प्रारम्भ किया था, जिसे, देश भर में ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ समन्वित कर आगे बढ़ाने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया था।

सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन के साथ–साथ जलग्रहण प्रबंधन, जलवायु अवरोधन, पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा, आजीविका उत्थान, सी.एस.आर. पहल, महिला सशक्तिकरण, कृषक उत्पादक संघ सहित सामुदायिक संस्था निर्माण, कौशल विकास तथा आय अर्जन, बीज उत्पादन एवं कृषि आदान आपूर्ति आदि के द्वारा अपने पोर्टफोलियो के विविधीकरण तथा विस्तारीकरण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। जिसमें, समुदाय की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहभागी पद्धतियों को अपनाया गया।

पिछले एक दशक से, संस्था ने अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार कर उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में भी निरन्तर रूप से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। संस्था, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों के अन्तर्गत 20 राज्यों के 10,621 से भी अधिक गांवों में कार्यरत है तथा इसने अब तक 348 करोड़ रुपये (संचयी) से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया है।

फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य के साथ, आई.एफ.एफ.डी.सी. किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति करने के लिए बीज उत्पादन एवं विपणन कार्यक्रम का संचालन कर रही है तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि–आदानों की आपूर्ति भी की जा रही है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. की 29वी वार्षिक आम सभा बैठक के अवसर पर उपस्थित निदेशक मण्डल व प्रतिनिधिगण

# IFFDC Ltd.

## About Us

Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (IFFDC) came into existence formally in 1993 although its work had begun in 1986-87. Its promoter, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), had launched programmes of eco-restoration and wasteland development through farm forestry in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan and these programmes were subsequently handed over to the IFFDC for being scaled up and integrated with rural livelihood development and poverty alleviation programmes in the country.

Based on Community Needs, IFFDC has diversified its portfolio and has broadened its focus to include in addition to Farm Forestry and Climate Change, activities such as Watershed Management, Climate Proofing, Nutritional and Economic Security, Livelihoods, CSR initiative, Women Empowerment, Community Institution Building including Farmer Producer Organisations, Skill Development & Income Generation, Seed Production and Agri-Input Supply etc. This has been done by adopting approaches that are participatory in nature and designed to cater to the emerging and evolving needs of the community.

Over the past decade, IFFDC has also expanded its territorial scope of action and started sustained operations in the States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Gujarat, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamilnadu, Kerala and Jammu & Kashmir. With its presence in more than 10,621 villages across 20 States covering all the agro-climatic zones, it has so far implemented rural development projects worth more than Rs. 348 crore (cumulative).

IFFDC is also undertaking Seed Production and Marketing Programme to provide quality seed and also supplying quality agri-inputs to farmers with the objective of increasing their crop production & productivity.

The Board of Directors felicitating Shri Aditya Yadav, Director, IFFDC who elected as Director on the Global Board of International Cooperative Alliance (ICA)

## वैधानिक स्थिति

संस्था का पंजीयन बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम (एम.एस.सी.एस.), 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002) के अंतर्गत सहकारिता एवं कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 22, 1993 को किया गया। इसकी पंजीयन सं. MSCS/CR/37/93 है।

## सदस्यता

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), राज्य सहकारी संघ, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.), इसकी सदस्य हैं। 31 मार्च, 2023 को 171 सहकारी समितियाँ, आई.एफ.एफ.डी.सी. की सदस्य हैं।

## शेयर पूँजी

100 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूँजी के सापेक्ष 31.03.2023 तक इसकी अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी 13.37 करोड़ रुपये है, जो निम्नानुसार है:–

| प्रत्येक शेयर का मूल्य (₹) | शेयर धारक | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| 50,000 | इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड | 2,507 |
| | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम | 8 |
| 10,000 | उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड | 1 |
| | म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड | 1 |
| 1,000 | प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ लिमिटेड एवं प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ लि. | 7,935 |

## गवर्नेंस

ग्रामीण समुदाय के समन्वित विकास के लिए प्रतिबद्ध, आई.एफ.एफ.डी.सी. की गवर्नेंस संरचना सहकारिता के मूल्यों एवं सिद्धांतों के उच्चस्तरीय मानकों को ध्यान में रखते हुए बहुराज्यीय सहकारी सिमिति अधिनियम/नियमावली 2002 के प्रावधानों के अनुरूप गठित की गयी। इसके आन्तरिक प्रबन्धन एवं कार्य, इसके उपनियमों के अनुसार ही संचालित किये जाते हैं।

संस्था के ढाँचे में व्यवसाय पारदर्शिता, आन्तरिक नियंत्रण एवं समीक्षा प्रक्रियाएं समाहित हैं। समिति की नीतियाँ एवं कार्य पद्धतियाँ न केवल सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करती हैं बल्कि, इसके भागीदारों के सर्वोच्च हितों को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।

## निदेशक मण्डल

आई.एफ.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में विविधि पृष्ठभूमि वाले, प्राथमिक स्तर के निर्वाचित सहकारगणों के साथ–साथ संस्थाओं के प्रतिनिधित्व हेतु नामित व सहयोजित 13 सदस्य हैं। जिनसे, अंशधारक सदस्यों की आवश्यकता एवं हितों की पूर्ति सुनिश्चित होती है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के क्रम में निदेशक मण्डल में दो स्थान महिला निदेशकों के लिए आरक्षित किये गये हैं।

क्रियान्वयन स्तर पर आई.एफ.एफ.डी.सी., सामाजिक एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विविध क्षेत्रों जैसे कृषि, इंजीनियरिंग, सामाजिक, सहकारिता, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन एवं सामान्य प्रबंधन में दक्ष तथा उच्च अनुभव रखने वाले प्रबंधकों के माध्यम से कार्य करती है।

## Legal Status

IFFDC was registered on 22nd October, 1993 by the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India as a Multi-State Cooperative Society under the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 1984 (subsequently under the MSCS Act 2002) with Registration No. "MSCS/CR/37/93".

## Membership

Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. (IFFCO), National Co-operative Development Corporation (NCDC), State Cooperative Federations, Primary Farm Forestry Co-operative Societies (PFFCS) and Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS) are members of the IFFDC. As on March 31, 2023, IFFDC has 171 Cooperative Societies as its members.

## Share Capital

Against an authorized share capital of Rs. 100 crore, the IFFDC's subscribed and paid-up capital as on 31.03.2023 is Rs. 13.37 crore illustrated as under:

| Value of Each Share (₹) | Shareholders | No. of Shares |
|---|---|---|
| 50,000 | Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited | 2,507 |
| | National Cooperative Development Corporation | 8 |
| 10,000 | Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd. | 1 |
| | Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation Ltd. | 1 |
| 1,000 | Primary Farm Forestry Cooperative Societies Ltd. and Primary Livelihood Development Cooperative Societies Ltd. | 7,935 |

## Governance

Committed to the integrated development of India's rural community, the IFFDC governance structure is designed adhering to the highest standards of Cooperative Values and Principles and is in conformity with the provisions of the Multi State Cooperative Societies Acts & Rules, 2002. Its internal management and functions are guided by its Bye-laws.

With business systems and processes in place that are designed for transparency, internal control and enabling adequate review, IFFDC's policies and practices are not only consistent with current statutory requirements, but also reflect its commitment to ensure the best interests of its members/stakeholders.

## Board of Directors

IFFDC has 13 members from diverse backgrounds on its Board of Directors. These comprise grassroots based elected co-operators as well as nominated and co-opted members, who represent institutions that cater to the need and interests of its shareholders. Two seats on the Board are reserved for elected women Directors to represent the constituency of women.

On its operational front, IFFDC functions through skilled managers, who have wide experience & expertise in diverse fields related to social and rural development, such as agriculture, engineering, social, cooperation, finance, information technology, marketing and general management.

# हमारा दृष्टिकोंण

आई.एफ.एफ.डी.सी. का मुख्य उद्देश्य विकास की गति में ग्रामीण समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों का उत्थान करना है। इसकी यह धारणा है कि, ग्रामीण विकास, इन समुदायों की प्रत्येक स्तर पर सक्रिय भागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो, इसकी समग्र सहभागी पहुँचों में समाहित है तथा क्षमताओं के निर्माण में विशेष बल के साथ इसके विविध पोर्टफोलियो में अन्तःनिर्मित है। समुदायों को परस्पर सहबद्ध रखने और मुख्य रूप से इसके अवधानों को दीर्घावधि तक चिरन्तर बनाये रखने के लिए सहकारिता के मार्ग पर आधारित संस्थागत निर्माण करना ही इसके कार्यक्रमों का प्रमुख आधार रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने विकास एवं सम्बन्धित धारणाओं की उभरती आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप प्रादुर्भावित विशिष्ट मुद्दों पर कार्य करने के लिए तदानुसार अपनी रणनीतियाँ बनाईं। संस्था के पिछले दो दशकों के अर्जित अनुभवों ने इसके नये क्रियाकलापों को निश्चित किया, जिससे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संस्था को अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में मदद मिली।

प्रारंभिक तौर पर प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को सम्बोधित कर वर्तमान समय में, वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने समयानुसार विभिन्न पोर्टफोलियों को अपनी कार्यप्रणाली में सम्मिलित करते हुए अपने ग्रामीण विकास के मुद्दों का विस्तारीकरण किया जिनमें अधिकांशतया इसके ग्रामीण विकास की कार्यसूची में से उभर कर आये हैं जो निम्नानुसार है:

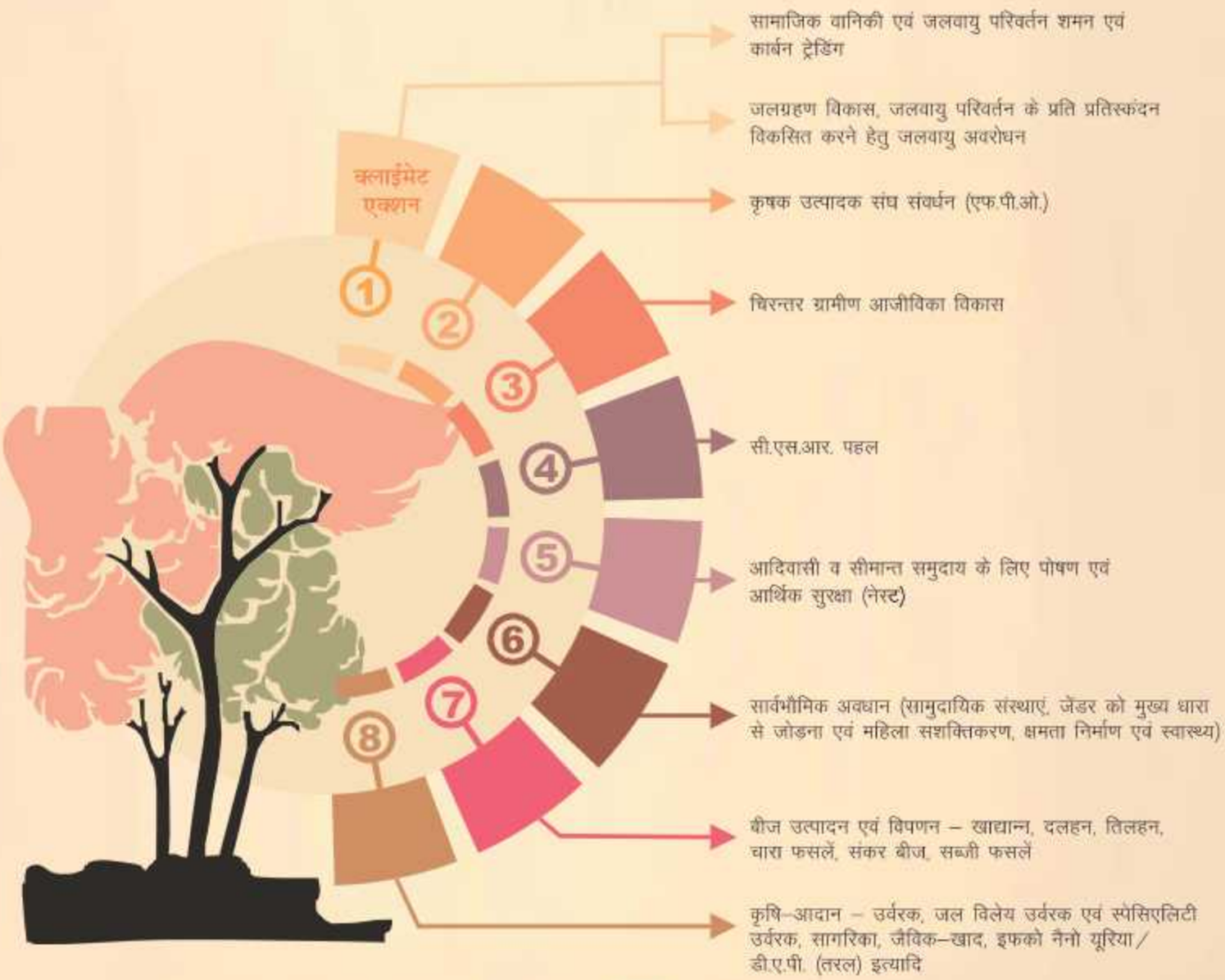

# Our Approach

IFFDC's aim is to trigger development in rural areas and enhance livelihood options of rural communities. Its conviction that this can be best achieved only with the active involvement of the communities that it works amongst, has engendered its overall participatory approach along with emphasis on capacity building that is in-built in its numerous portfolios. For holding communities together, and importantly, to ensure among other things, long term sustainability of its interventions, Institution Building, following the cooperative route, has been a major plank of its programmes.

IFFDC has accordingly framed its strategies to deal with specific issues arising as a corollary to the fast growing development needs and their aligned imperatives. Its wealth of accumulated experience of the past two decades has in turn helped to create for it a distinct niche in the rural development arena.

Starting out primarily as a Farm Forestry Cooperative that would address the issue of Climate Change, which had at the time caught the attention of the global community, IFFDC has over time expanded its areas of concern to include several portfolios, most of these emerging out of its primary agenda of rural development and all of it having direct or indirect bearing on its primary agenda of addressal of Climate Change issues. These are described below:

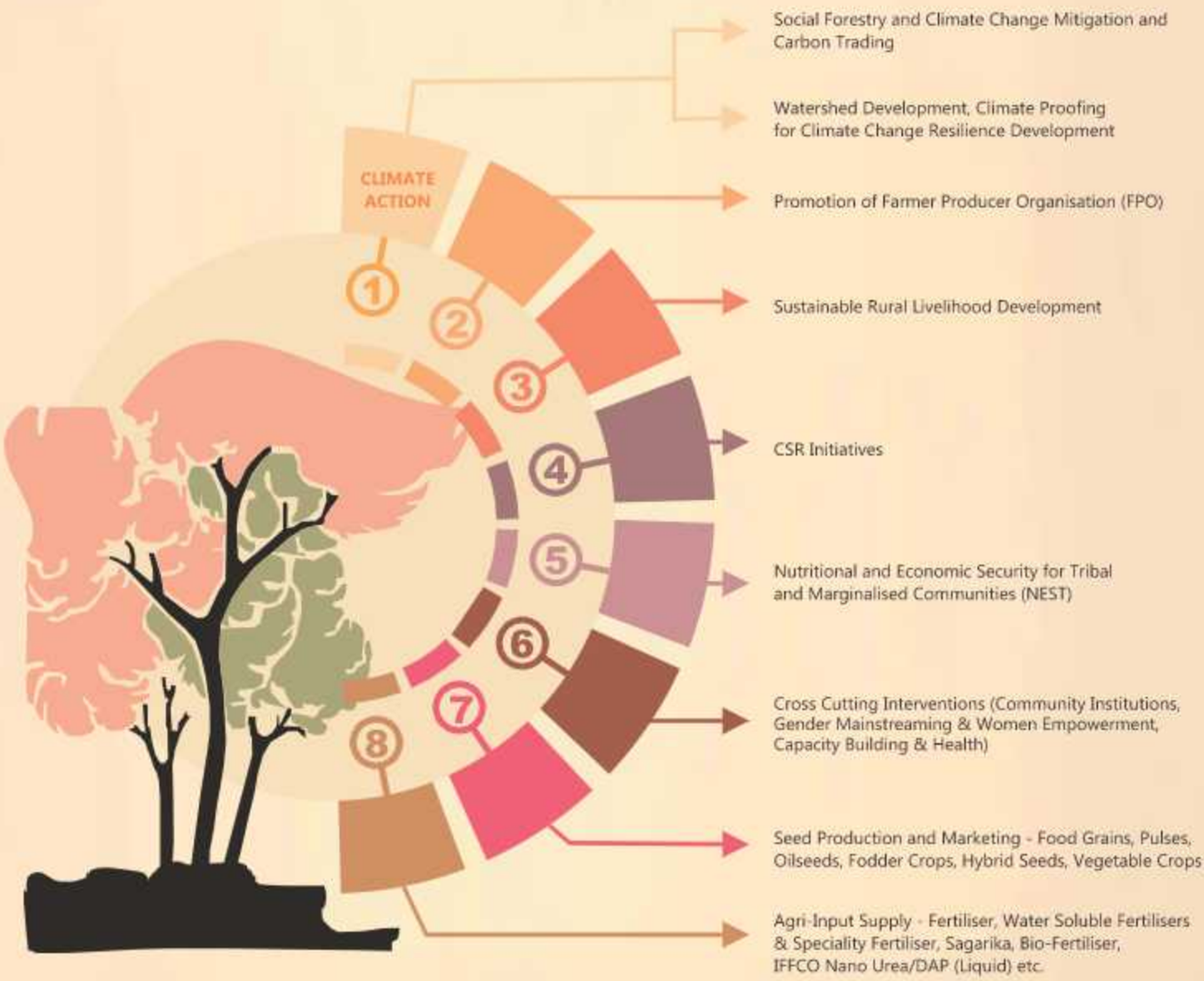

# परियोजनाओं का विवरण

## (अ) इफको द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. सामाजिक वानिकी परियोजनाएं (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड)
2. ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना (आर.एल.डी.पी.)
   (अ) ओडिशा
   (ब) पश्चिम बंगाल

## (ब) नाबार्ड द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. जल ग्रहण विकास परियोजना
   (अ) अमरीती, ब्लॉक मझगवाँ, जिला सतना (मध्य प्रदेश) एवं
   (ब) सुरखी–घाना, ब्लॉक सुरखी, जिला सागर (मध्य प्रदेश)
2. भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम – 10,000 कृषक उत्पादक संगठन संवर्द्धन परियोजना के अंतर्गत छः राज्यों अर्थात् हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन
3. सागर एवं सतना (मध्य प्रदेश) जिलों में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित "ग्रामीण आजीविका उद्यमिता परियोजनाएं"
4. जलवायु अवरोधन परियोजना, करैया–सुरखी, जिला सागर (मध्य प्रदेश)

## (स) राज्य सरकारों तथा एन.सी.डी.सी. द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम– 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन परियोजना के अंतर्गत चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड एवं गुजरात राज्यों में एन.सी.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन

## (द) सी.एस.आर. परियोजनाएँ

1. इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा सहायतित इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, छत्तीसगढ़ एवं बिहार
2. मित्सुई एंड कं. लि. के "मीट ट्रस्ट" द्वारा सहायतित रेवाड़ी, हरियाणा में अर्द्ध शुष्क क्षेत्र में बर्मा नीम प्रजातियों के अनुकूलन का अध्ययन
3. मित्सुई एंड कं. लि. द्वारा सी.एस.आर. के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बागवानी विभाग के विभिन्न पार्कों का ग्रीन बेल्ट विकास

## (य) नई परियोजनाओं की शुरुआत

1. जल ग्रहण विकास परियोजना – नरसिंगपुर ब्लॉक, जिला कटक (ओडिशा) नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित

# Details of Project

## (A) IFFCO Supported Projects

1. Social Forestry Projects (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand)
2. Rural Livelihood Development Project (RLDP)
   (a) Odisha
   (b) West Bengal

## (B) NABARD Supported Projects

1. Watershed Development Project
   (a) Amriti, Block Majhgawan, Distt. Satna and
   (b) Surkhi-Ghana, Block Surkhi, Distt. Sagar (Madhya Pradesh)
2. Promotion of FPOs in Six States i.e. Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Madhya Pradesh and Maharashtra States under Central Sector Scheme of Government of India for promotion of 10,000 Farmers Producer Organisations funded by NABARD.
3. "Rural Livelihood Entrepreneurship Projects" funded by NABARD in the districts of Sagar and Satna (Madhya Pradesh).
4. Climate Proofing Project, Karaiya-Surkhi, Distt. Sagar (Madhya Pradesh)

## (C) Projects Supported by State Governments & NCDC

1. Promotion of FPOs in four States i.e. Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand and Gujarat States under Central Sector Scheme of Government of India for promotion of 10,000 Farmers Producer Organisation funded by NCDC.

## (D) CSR Projects

1. IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Projects Chhattisgarh and Bihar funded by IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.
3. Research Study on adaptability of different varieties of Melia Composita (Burma Neem) in Semi-Arid Region of Haryana funded by "Meet Trust" of Mitsui & Co. Ltd.
4. Green Belt Development Project in Delhi NCT in Different Parks of Horticulture Department funded by Mitsui & Co. Ltd. under CSR Initiative.

## (E) New Projects Mobilised

1. Watershed Development Project Narsinghpur Block, District Cuttack (Odisha) funded by NABARD.

# निदेशकों की रिपोर्ट

## माननीय सहकार बन्धुओं,

आपकी संस्था की वर्ष 2022–23 के लिए 30वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि, आपकी समिति ने सर्वोच्च कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। आपकी समिति ने अब तक का सर्वाधिक टर्नओवर 2875 करोड़ रुपये का प्राप्त किया जो पिछले वर्ष 2746 करोड़ रुपये था। समिति ने ग्रामीण समुदाय को मार्गदर्शित करते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल कर, उनके सम्मान और अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करते हुये, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने में समर्पित होकर गौरवशाली 30 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, हमने "अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)", वन अनुसंधान संस्थानों जैसे सम्मानित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ–साथ अन्य सहकारी प्लेटफार्मों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन प्रयासों ने हमारी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम आपकी समिति के समर्पित कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी अटूट प्रतिबद्धता और दृढ़ता ने हमें विभिन्न फंडिंग एजेंसियों और सरकार से परियोजनाओं को सुरक्षित करने में सक्षम बनाया।

निस्संदेह, आप अपनी समिति द्वारा देश भर में किए गए उत्कृष्ट कार्य से अच्छी तरह परिचित हैं, जिसमें गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मुझे पिछले वर्ष की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालने की अनुमति दें। हमारे बीज उत्पादन कार्यक्रम का विस्तार एक प्रमुख मील का पत्थर रहा, जिसमें संकर व सब्जियों के बीज सहित उच्च गुणवत्तापूर्ण विविध फसलों के बीजों की किसानों को आपूर्ति करायी गयी। इस विस्तार से निस्संदेह उत्पादकता में वृद्धि होगी और खाद्य सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आईएफएफडीसी ने हमारे देश में स्वदेशी तकनीक से नैनो उर्वरकों में दुनिया के पहले आविष्कार "इफको नैनो यूरिया (लिक्विड)" का संवर्द्धन एवं किसानों को आपूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने इफको नैनो यूरिया (तरल) की 53.57 लाख बोतलों का सफलतापूर्वक विपणन किया, जिससे 2.68 लाख मीट्रिक टन पारंपरिक यूरिया प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित हुआ।

इसके अलावा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा शुरू की गई नई और निरंतर चल रही परियोजनाओं के अलावा, हमारी समिति को नाबार्ड द्वारा पहली बार ओडिशा में "एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना, ब्लॉक नरसिंहपुर, जिला कटक" के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह जिम्मेदारी हम पर किए गए भरोसे और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

एक बार फिर, मैं सभी हितधारकों को उनके अटूट समर्थन और योगदान के लिए सच्चे दिल से सराहना करता हूं, जो हमारी समिति की प्रगति और उपलब्धियों को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं। साथ मिलकर, हम ग्रामीण समुदायों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रखेंगे और सभी के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। वर्ष के दौरान पोर्टफोलियोवार प्रगति इस प्रकार है:–

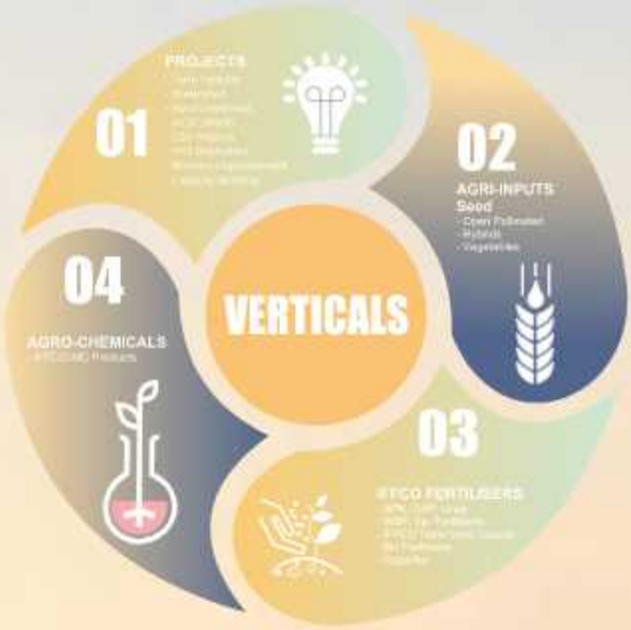


# Director's Report

**Honourable Co-operators,**

I take immense pride in presenting to you the 30th Annual Report of your Society for the fiscal year 2022-23. First and foremost, I extend my heartfelt congratulations to each and every one of you for the Society's remarkable achievement of completing 30 glorious years. This year, the Society attained its ever-highest Profit before Tax, reaching a turnover of Rs. 2875 crore, which is the second-highest ever recorded, compared to the previous year's turnover of Rs. 2746 crore. Our Society, IFFDC, remains devoted to uplifting rural communities from poverty to self-respect and empowerment. By imparting skills and enhancing their capabilities, we strive to guide these communities out of darkness and into the light of a brighter future.

To enhance IFFDC's reputation, we actively participated in esteemed national and international forums such as the "International Cooperative Alliance (ICA)" and the "Forest Research Institute" along with other cooperative platforms. These efforts have significantly contributed to our achievements. We owe our gratitude to the dedicated staff of your Society, whose unwavering commitment and perseverance enabled us to secure projects from various funding agencies and the government.

Undoubtedly, you are well aware of the outstanding work carried out by your Society across the country, encompassing a wide array of activities. Allow me to highlight some noteworthy accomplishments from the past year. A major milestone was the expansion of our Seed Production Programme, providing farmers with a diverse range of high-quality seeds, including hybrid and vegetable seeds. This expansion will undoubtedly enhance productivity and positively impact food security.

IFFDC has also played a pivotal role in the promotion and distribution of the world's first innovation with indigenous technology in nano fertilizers, "IFFCO Nano Urea (Liquid)," among farmers in our nation. We successfully marketed 53.57 lakh bottles of IFFCO Nano Urea (Liquid), effectively replacing 2.68 lakh metric tonnes of conventional urea.

Furthermore, I am delighted to inform you that in addition to the new and ongoing projects initiated by IFFDC, our Society has been entrusted with a significant responsibility first time in Odisha State for the "Integrated Watershed Development Project, Block Narsinghpur, District Cuttack" in Odisha by NABARD. This responsibility showcases the trust placed in us and our commitment to sustainable development.

Once again, I extend my sincere appreciation to all stakeholders for their unwavering support and contributions, which have been instrumental in driving our Society's progress and achievements. Together, we shall continue to create a positive impact on the lives of rural communities and build a brighter future for all. Portfolio-wise progress during the year is as follows:-

# क्लाईमेट एक्शन

विश्व के सभी देशों द्वारा विकास की दिशा में कार्य करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 17 सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपने सामाजिक वानिकी विकास कार्यक्रम, समन्वित जलग्रहण प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन शमन की गतिविधियों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)– 13 "क्लाईमेट एक्शन" व एस.डी.जी.–15 "भूमि पर जीवन" की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

## 1. सामाजिक वानिकी विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. का मुख्य कार्यक्रम प्रक्षेत्र वानिकी विकास है जिसमें, किसानों की व्यक्तिगत, ग्राम पंचायत तथा राजकीय राजस्व बंजर व सीमांत भूमियों पर सहभागी वानिकी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संबंधित ग्रामीण समुदायों को प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (पी.एफ.एफ.सी.एस.) के माध्यम से संगठित किया गया है। ये समितियां, सहभागी वनों का चिरंतर आधार पर प्रबन्धन करने में मुख्य सामुदायिक संस्था के रूप में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इन पी.एफ.एफ.सी.एस. को आवश्यक तकनीकी, वित्तीय, क्षमता निर्माण, संबंध विकसित करने, विपणन एवं स्त्रोत जुटाने से संबंधित आदानों के लिए सहायता की जा रही है। इसके अवधानों के फलस्वरूप, 500 से अधिक गांवों में न सिर्फ हरीतिमा विकसित हुई है बल्कि, बंजर भूमि भी पुनःरक्षित हुई है। वर्तमान में, विद्यमान वनों से आर्थिक लाभ केवल चयनित कटाई, घास एवं लघु वनोपज आदि तक सीमित है, जिसे समुदाय के लाभ हेतु अन्य पर्यावरणीय सेवाओं के माध्यम से और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के समग्र दृष्टिकोण का ध्यान, अन्य संबंधित गतिविधियों जैसे अवैध कटाई व अतिक्रमण को रोकना, हितधारकों के आर्थिक लाभ के लिए बेहतर वनोपज प्रदान करने, इन वनों के माध्यम से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के व्यवसाय जैसे अन्य वैकल्पिक अवसरों तथा इस भूमि के उपयोग अधिकारों को पुनः परिभाषित करने आदि पर भी केन्द्रित है। वानिकी समितियों को चिरन्तरता हेतु आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में शीघ्र बढ़वार वाली व्यावसायिक उन्नत पौध प्रजातियों के रोपण व कृषि आदानों के व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

शुरुआत में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने वृक्षारोपण हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्यों में कई दशकों से वृहद् स्तर पर खाली पड़ी हुई बंजर भूमि की पहचान कर अधिग्रहित की। यह बंजर भूमि, राजस्थान में ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में निजी कृषकों तथा मध्य प्रदेश में राजस्व के स्वामित्व वाली है। विकसित 29,421 हैक्टेयर सामुदायिक वानिकी के प्रबंधन हेतु 151 प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.) विकसित की गयी हैं। इन वानिकी सहकारी समितियों के अंतर्गत वानिकी उन्नयन पर "अनुसंधान व विकास" का कार्य भी किया जा रहा है। इफको की सहायता और वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के तकनीकी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की समितियों में नीम (अजाडीरेक्टा इंडिका) के 153 जीनोटाइप्स के चार शोध परीक्षण किए गए हैं। स्वदेशी प्रजातियों का सघन व अल्पावधि में वन विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश की कनकसिंहपुर वानिकी समिति में 'मियावाकी पद्धति' (एक जापानी तकनीकी) अपनायी गयी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट, सेब (हरमन–99) और समिति क्षेत्र में सीताफल (बालानगर) का रोपण परीक्षण के आधार पर शुरू किया गया।

राजसमंद (राजस्थान) जिले की सिंदेसर कलाँ वानिकी समिति में मिलिया कम्पोजिटा (बर्मा नीम) वृक्षारोपण

# Climate Action

The United Nations General Assembly has defined 17 Sustainable Development Goals (SDG) to be acted upon by the nations of the World. It is praiseworthy and a matter of great satisfaction that IFFDC has made significant contribution towards Sustainable Development Goal (SDG-13) "Climate Action" and SDG-15 "Life on Land" through its multiple Social Forestry Development Programmes, Integrated Watershed Management, Climate Proofing activities etc.

## 1. Social Forestry Development

IFFDC's flagship programme of Farm Forestry focuses on mitigating climate change effects through developing participatory forestry on waste and marginalised lands belonging to individual farmers, village Panchayats and Government. The concerned communities are organised into Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS), designed as the key community institutions to manage and maintain the developed participatory forests, on a sustainable basis.

IFFDC supports the PFFCS with the necessary technical, financial, capacity building, networking, marketing and resource mobilisation inputs. As a result of its intervention, green cover has not only been improved in more than 500 villages, but degraded lands have also been restored. Economic returns from existing forests are presently restricted to selective felling, Grasses and Minor Forest Produce (MFP) etc., however, this needs to be accelerated for other environmental services/benefits to the community.

The integrated approach of IFFDC has also led to attention being given to related activities such as control of illegal felling, prevention of encroachment, better forest yield for improving economic returns to the stakeholders, commercial options such as trading of carbon credits generated through these forests and defining the usufruct rights of these lands, etc. The PFFCS are being encouraged to undertake plantation of improved fast growing plant species and business of Agri-inputs for economic self-sufficiency and sustainability.

At the outset, IFFDC identified for afforestation large tracts of wasteland, which had been lying almost barren for decades in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand. These acquired wastelands are Panchayat lands in Rajasthan, individual lands in Uttar Pradesh & Uttarakhand and Revenue land in Madhya Pradesh. 151 Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) have been developed for management of the community forests developed on 29,421 Hectares. The research and development work on Forestry improvement is undertaken by these PFFCS. Four research trials of 153 Genotypes of Neem (Azadirachta indica) has been undertaken in the PFFCS of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh with the help of IFFCO and under the technical guidance of Forest Research Institute, Dehradun. The 'Miyawaki' method (a Japanese Technique) for developing fast and dense forests of indigenous species has also been adopted in Kanaksinghpur PFFCS of Uttar Pradesh. Introduced plantation of Dragon Fruits, Apple (Harman-99) in tropical region and Custard apple (Balanagar) at PFFCS area on trial basis.

Forests developed in PFFCS Kankupur, Distt. Amethi (Uttar Pradesh)

परियोजना विवरण

| राज्य | जिला | कुल क्षेत्र (हेक्ट.) | कुल विद्यमान वृक्ष (लाख) |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | सुलतानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी, उन्नाव | 12,951 | 51.39 |
| उत्तराखण्ड | नैनीताल, चम्पावत | 207 | 0.87 |
| राजस्थान | उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद | 9,713 | 20.85 |
| मध्य प्रदेश | सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ | 6,550 | 35.44 |
| | **योग** | **29,421** | **108.55** |

## सामाजिक वानिकी में नये अवधान

### (अ) कृषि वानिकी प्रणाली विकास

भारतीय वनों से लगभग 2750 लाख लोगों को अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलती है तथा ये जलवायु परिवर्तन शमन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार ने यू.एन.एफ.सी.सी.सी. को वर्ष 2030 तक वानिकी क्षेत्र से 250–300 करोड़ टन कार्बन का स्वैच्छिक रूप से अतिरिक्त अवशोषण करने के निश्चय का वादा किया। यदि भारत के सभी खुले वनों को संरक्षित कर लिया जाये तो भी मात्र 9 लाख टन अतिरिक्त कार्बन का अवशोषण किया जा सकता है, शेष कार्बन की मात्रा को वन क्षेत्रों से बाहर वृक्ष उगाकर ही अवशोषित किया जा सकता है। वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष उगाने के लिए कृषि वानिकी भी एक अच्छा विकल्प है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि, कृषि वानिकी विकास को बढ़ावा दिया जाये। इसलिए भारत सरकार की एन.डी.सी. प्रतिबद्धता के संदर्भ में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने किसानों के खेतों पर कृषि वानिकी विकसित करने के लिए एक नई पहल की है। यह न केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है बल्कि, किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में भी मदद करता है। इस प्रकार, एन.डी.सी. प्रतिबद्धता में योगदान करने के साथ–साथ कृषि वानिकी, भारत सरकार के मिशन "किसानों की आय को दुगुनी करना" में भी मदद करता है।

कृषि वानिकी के अंतर्गत रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ व्यावसायिक उपयोग, शीघ्र बढ़ने वाली तथा जल्दी परिपक्व होने वाली हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु चयनित पौध प्रजातियाँ मिलिया कम्पोजिटा (बर्मा नीम) तथा सहजन आदि हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों में 328 किसानों के खेतों पर कुल 1.29 लाख पौधे लगाये गये।

गादौली वानिकी समिति जिला उदयपुर (राजस्थान) में स्थापित ग्रीन हाउस एवं सौर ऊर्जा इकाई

PROJECT DETAILS

| State | District | Total Covered Area (ha) | Total Existing Trees (Lakh) |
|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | Sultanpur, Raebareli, Prayagraj, Kaushambi Pratapgarh, Lucknow, Amethi, Unnao | 12,951 | 51.39 |
| Uttarakhand | Nainital, Champawat | 207 | 0.87 |
| Rajasthan | Udaipur, Chittorgarh, Rajsamand | 9,713 | 20.85 |
| Madhya Pradesh | Sagar, Chhatarpur, Tikamgarh | 6,550 | 35.44 |
| | **Total** | **29,421** | **108.55** |

## New Initiatives in Social Forestry

### (a) Agro-forestry System Development:

Indian Forests are helping towards improving the livelihoods of about 2750 lakh people and are important for mitigating Climate Change. The Government of India has committed to UNFCCC an additional voluntary reduction of 2.5-3 billion tonnes of $CO_2$ e by 2030 from its forestry sector. If all of India's open forests are taken up for restoration, only about 0.9 million tonnes of $CO_2$e worth additional carbon sink can be created. The balance will need to come from Trees outside Forests (ToF). Agro-forestry is one of the best options for developing ToF. Therefore, it becomes imperative to focus on the potential of ToF. It is in this context of India's NDC commitment that IFFDC has undertaken up the new initiative of developing agro-forestry on farmer fields. This not only helps in mitigating Climate Change but also helps in additional income generation for farmers. Besides contributing to NDC commitment, development of Agro-forestry also contributes toward the mission "Doubling Farmer's Income" of the Government of India.

The species planted under agro-forestry are of commercial use, fast growing and early maturing. Such plant species selected for agro-forestry plantations are Melia composita (Burma Neem) and Sahajan etc. During the year 2022-23, 1.29 lakh saplings have been planted on the fields of 328 farmers in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh.

Internal Physical Audit of Melia composita (Burma Neem) Plantation under Agro-Forestry System in Rajasthan

## (ब) कृषि उद्यानिकी प्रणाली विकास

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (एन.एच.एम.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा भारत सरकार के एन.एच.एम. एवं "सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) नं. 1" "गरीबी नहीं" व (एस.डी.जी) नं. 2 "शून्य भुखमरी" में सहयोग करने के लिए अपने विद्यमान घटक सामाजिक वानिकी व जलवायु परिवर्तन में कृषि वानिकी को सहयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अतिरिक्त आय सृजन कराना है और उनके परिवारों के लिए पोषण का स्त्रोत उपलब्ध कराना है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों की कृषि योग्य भूमि पर फसल के साथ तात्कालिक लाभ देने वाली पौध प्रजातियाँ जैसे केला और पपीता आदि के रोपण के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करना प्रारंभ किया गया। वर्ष 2022—23 के दौरान उत्तर प्रदेश में 5 हैक्टेयर क्षेत्र में केले की जी—9 प्रजाति के 20,000 टिश्यू कल्चर पौधे लगाए गए।

## (स) कार्बन क्रेडिट अर्जन की दिशा में एक कदम

वनीकरण और पुनःवनीकरण कार्बन डाइ—ऑक्साइड ($CO_2$) को अवशोषित करता है जिससे वायुमण्डल में $CO_2$ की सांद्रता कम होती है। $CO_2$ की इस सांद्रता में कमी का उपयोग मुख्य रूप से विकसित देशों में उद्योगों द्वारा $CO_2$ के उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए किया जा सकता है। वातावरण से $CO_2$ में इस तरह की कमी को स्वैच्छिक उत्सर्जन में कमी (VER) के रूप में माना जाता है और विकसित देशों में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में इसकी काफी मांग है।

ग्रामीण समुदायों के लिए अपने आउटपुट का मुद्रीकरण करने और आय बढ़ाने के साथ—साथ वानिकी में निरंतर और त्वरित कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए नए आयाम सृजित करने हेतु "कार्बन फाइनेंस" के क्रम में आईएफएफडीसी ने उत्तर प्रदेश की 12 समितियों में वर्ष 2008 से 2013 के दौरान विकसित 189 हैक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए एक कार्बन क्रेडिट परियोजना वेरा रजिस्ट्री, वाशिंगटन डीसी के साथ पंजीकृत की। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, परियोजना का प्रमाणीकरण और सत्यापन अंकेक्षण कराने तथा कार्बन क्रेडिट की बिक्री में सहयोग करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. ने मैसर्स



वानिकी समिति सराय बेरियाखेड़ा, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) अंतर्गत आय अर्जन हेतु प्रारंभ स्टीविया की खेती

## (b) Agri-horti System Development

The Government of India is implementing the "National Horticulture Mission" (NHM) since 2004 aimed at ensuring nutritional security and income generation for farmers. To contribute to the additional income objectives of the NHM and the Sustainable Development Goal (SDG) No. 1 "No Poverty" and (SDG) No. 2 "Zero Hunger", particularly for farmers IFFDC has grafted the component of Agri-horti system development to its existing Social Forestry and Climate Change portfolio.

IFFDC also has embarked upon financial and technical support to farmers to undertake plantation on their arable land along with traditionally grown crops of fruit species, such as Banana and Papaya which give immediate returns . During the year 2022-23 in Uttar Pradesh, 20,000 Banana tissue culture saplings of variety G-9 were planted on a 5 hectare area. Agri-horticulture has shown encouraging results inasmuch as many more farmers are being attracted to this system.

## (c) Steps towards Carbon Credits

Afforestation & Reforestation absorbs Carbon Di-oxide ($CO_2$) and thus reduces the $CO_2$ in the atmosphere. This reduction of $CO_2$ can be used for off-setting the emission of Co2 mainly by industries in developed countries. Such reduction in $CO_2$ from the atmosphere can be traded as Voluntary Emission Reduction (VER) and is in demand in developed countries particularly in the United States of America and Europe.

Recognizing the transformative potential of "Carbon Finance" to unlock new avenues for forest-dwelling and rural communities to monetise their outputs and enhance incomes as also incentivise continuous and accelerated action in forestry, IFFDC got registered a carbon credit project with VERRA Registry, Washington DC for 189 ha plantation area developed during 2008 to 2013 in 12 PFFCS of Uttar Pradesh. To facilitate the carbon credit trading mechanism, IFFDC appointed M/s Emergent Venture India Pvt. Ltd. (EVI) as consultants

Banana Cultivation under Agro-horti System at Chirla-Bhagwatpur PFFCS, Prayagraj (Uttar Pradesh) for Income Generation

इमरजेंट वेंचर इंडिया प्रा. लि. (EVI) को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। मैसर्स साइंस, देहरादून द्वारा वानिकी स्थलों की जीपीएस मैपिंग और मैसर्स रेनफॉरेस्ट एलायंस, इंडोनेशिया द्वारा वीसीएस प्रमाणीकरण ऑडिट कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, मैसर्स कार्बन चेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना का सत्यापन ऑडिट किया गया जिसके अनुसार प्रति वर्ष लगभग 6000 कार्बन क्रेडिट का सृजन अनुमानित है। वर्ष 2008 से 2023 तक की अवधि में इस परियोजनांतर्गत 86,672 टन कार्बन का अवशोषण होना अनुमानित है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इच्छुक खरीदारों को बेचने की प्रक्रिया चल रही है।

आईएफएफडीसी की उक्त कार्बन क्रेडिट की पायलट परियोजना की सफलता संस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है, जिससे संस्था के प्रयासों को और बल मिला है। आईएफएफडीसी ने 455.25 हैक्टेयर में विकसित वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए एक दूसरी परियोजना तैयार कर वेरा रजिस्ट्री, वाशिंगटन डीसी के साथ आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध कर दी है। इस परियोजनांतर्गत उत्तर प्रदेश की 30 समितियों और मध्य प्रदेश की 6 समितियों में वर्ष 2015 और 2023 की अवधि के दौरान विकसित वृक्षारोपण को शामिल किया गया है। इस परियोजना के वृक्षारोपण से प्रतिवर्ष 10,370 टन कार्बन अवशोषण होगा जिससे वार्षिक 10,370 कार्बन क्रेडिट सृजित होने का अनुमान है। दो दशकों की इस अवधि में, कुल 2,07,447 कार्बन क्रेडिट सृजित होने का अनुमान है। मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकों, मैसर्स कार्बन चेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने इस दूसरी कार्बन क्रेडिट परियोजना का सत्यापन ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जैसे–जैसे परियोजना आगे बढ़ेगी, बाद की सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी, अंततः वेरा रजिस्ट्री द्वारा कार्बन क्रेडिट जारी करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

कार्बन क्रेडिट परियोजना अंतर्गत मेढावा वानिकी समिति, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में वृक्षों की वृद्धि एवं विकास मापने हेतु विकसित सैम्पल प्लॉट

for the preparation of the project proposal, development and facilitation of validation, verification of Afforestation/Reforestation Project and sale of carbon credits. The GPS Mapping of the forestry sites by M/S Science, Dehradun and VCS validation audit work by M/S Rainforest Alliance, Indonesia have been completed. Further, the verification audit of project completed by M/s Carbon Check (India) Pvt Ltd estimated generation of about 6000 carbon credits per year and since 2008 to 2023, it sequestrated 86,672 tons of carbon which under process for selling to the interested buyers internationally.

The achievement of IFFDC's Carbon Credit pilot project has served as an inspiring milestone, further bolstering its endeavours. IFFDC has since diligently devised and officially enlisted a second project with the VERRA Registry in Washington DC. This encompasses a plantation area spanning 455.25 hectares, meticulously cultivated between the years 2015 and 2023, across 30 PFFCS in Uttar Pradesh and 6 PFFCS in Madhya Pradesh. This initiative is expected to yield an annual production of 10,370 carbon credits, equating to a significant carbon sequestration of 10,370 tons. Over a span of two decades, this is estimated to culminate in an impressive grand total of 2,07,447 carbon credits. Accredited auditors, M/s Carbon Check (India) Pvt Ltd, have successfully completed the vital validation audit for carbon credit generation. As the project moves forward, the subsequent verification process will ensue, ultimately paving the way for the issuance of carbon credits by the VERRA Registry.

Training on Plantation Measurement to PFFCS members for Carbon Credit Project at Harkhumau PFFCS, Amethi (Uttar Pradesh) imparted by M/s Emergent Venture of India (EVI)

### प्रगति

- 231 हैक्टेयर (उत्तर प्रदेश मे 147 हैक्टेयर, उत्तराखण्ड मे 16 हैक्टेयर, मध्य प्रदेश मे 31 हैक्टेयर और राजस्थान मे 37 हैक्टेयर) मे वृक्षारोपण किया गया है।
- 2.50 लाख पौधे (उत्तर प्रदेश में 1.71 लाख, उत्तराखण्ड में 0.13 लाख, मध्य प्रदेश में 0.28 लाख और राजस्थान में 0.38 लाख) विभिन्न समितियों द्वारा लगाए गए है। प्रमुख प्रजातियों मिलिया (बर्मा नीम), आडुसा, क्लोन यूकेलिप्टस, सागौन,कुसुम सहजन व तेजपत्ता आदि है।
- देश में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु इफको को नीम के 3.74 लाख व इफको किसान सेज नेल्लोर को 0.05 लाख मिलिया कम्पोजिटा के पौधों की आपूर्ति की गई।
- विभिन्न समितियों की 88 वार्षिक आम सभायें व 644 कार्यकारिणी कमेटी की बैठकें आयोजित की गयीं। स्वयं सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु 3,475 बैठकें और सचिवों की 43 बैठकें आयोजित की गई। 71 वानिकी समितियों के ऑडिट का कार्य पूर्ण कर लिया गया।
- लाख का उत्पादन करने हेतु, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान सस्थान (टी.एफ.आर.आई), जबलपुर (म.प्र.) के वैज्ञानिकों के तकनीकी मार्गदर्शन मे "ढ़ाक के वृक्षों" पर लाख के बीज कीट छोडे गये तथा वैज्ञानिको द्वारा समिति सचिवों और सदस्यों के लिए तकनीकी व प्रायोगिक आयामो पर एक दिवसीय फील्ड प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया।
- जिला चित्तौगढ़ के रोलिया समिति द्वारा मक्का की कमोडिटी ट्रेडिंग की गयी एवं मैसर्स समोन्नति कम्पनी को 613 क्विंटल मक्का की आपूर्ति की गई।
- कार्बन क्रेडिट परियोजना के लिए, जी पी एस – मैपिग, कैप्चरिंग जी पी एस, कोआर्डिनेट्स और के.एम.एल. फाईल निर्माण व वृक्षारोपण की जानकारी एकत्र करने पर उत्तर प्रदेश राज्य में 12 समितियों के सचिवों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
- चारा विकास हेतु, 5 एकड क्षेत्र के लिए वानिकी समितियों के सदस्यों को उन्नत घास "दीननाथ एंव गिन्नी घास" के बीज की बुवाई करायी गयी। इससे पशुओ के दूध की गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों में स्वयं सहायता समूह सदस्यों की आय वृद्धि हेतु, मशरूम उत्पादन, लाख के विभिन्न उत्पाद निर्माण, सिलाई व ब्लॉक प्रिंटिंग पर कौशल विकास हेतु 7 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 125 महिला सदस्य प्रशिक्षित हुई।
- स्वयं सहायता समूहों के "उचित संचालन प्रबंधन व लेखा" पर 2 प्रशिक्षण आयोजित किये गये। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यो ने महसूस किया की इन प्रशिक्षणों ने उन्हे अपनी भूमिकाओ, जिम्मेदारियो एवं लेखा रख–रखाव को एक कुशल तरीके से निभाने में मदद की हैं।

### परिणाम

- प्राथमिक वानिकी समितियाँ पर्यावरण संरक्षण और जलाऊ लकड़ी, चारा एवं अन्य सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक प्रमुख संस्था के रूप में विकसित हो रही हैं।
- समस्याग्रस्त भूमियां (क्षारीय, लवणीय, बीहड़ और जल भराव भूमि) अब कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित होने से ये एक उत्पादक सम्पत्ति के रूप में सिद्ध हो रही हैं।
- कृषि वानिकी गतिविधियों द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने में मदद हो रही है। वेरा रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत आई.एफ.एफ.डी.सी. की 189 हैक्टेयर भूमि के लिए कार्बन क्रेडिट परियोजना से वर्ष 2038 तक औसतन 5651 सत्यापित कार्बन क्रेडिट / वर्ष सृजन हो रहे हैं।
- प्रक्षेत्र वानिकी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रक्षेत्र वानिकी गतिविधियों के द्वारा स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान किये गये।
- पी.एफ.एफ.सी.एस. व स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए लघु उद्योगों की स्थापना एवं आजीविका के साधनों में वृद्धि हेतु चक्रीय कोष मददगार सिद्ध हुआ है। संचालित लघु उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन से कृषकों की आय को दुगुनी करने के ध्येय को मदद मिल रही है।

### Progress

- 231 ha area (147 ha in Uttar Pradesh, 16 ha in Uttarakhand, 31 ha in Madhya Pradesh and 37 ha in Rajasthan) has been covered under plantation.
- 2.50 lakh plants (1.71 lakh in Uttar Pradesh, 0.13 lakh in Uttarakhand, 0.28 lakh in Madhya Pradesh, 0.38 lakh in Rajasthan ) have been planted by different PFFCS. Major species include Melia (Burma Neem), Arrusa, Clonal Eucalyptus, Teak, Kusum, Sahjan and Tejpatta etc.
- 3.74 lakh saplings of Neem have been supplied to IFFCO and 0.05 Lakh Melia composite saplings to IFFCO Kisan Sez, Nellore for plantation in different places in the country.
- 88 Annual General Body Meetings, 644 Executive Committee Meetings of different PFFCS were organised. 3,475 meetings of SHG and 43 meeting of Secretaries were organised. Audit work of 71 PFFCS has been completed.
- Imparted one day Field Training and inoculated Lac brood on "Palash trees" for Lac cultivation under technical guidance of Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur (M.P). The scientists from TFRI imparted the technical and practical inputs to PFFCS Secretaries and members.
- Roliya PFFCS in District Chittorgarh has undertaken Commodity Trading of Maize and supplied 613 quintals of Maize to M/s. Samunnati Company.
- 2 days training of 12 PFFCS Secretaries on "GPS- mapping, capturing GPS Coordinates and preparation of KML file to capturing plantation information" for Carbon Credit Project was organised at U.P.
- For the promotion of Fodder Development, seeds of improved grass of "Deenanath and Ginni" have been provided to PFFCS members of project villages which sown in 5 acre area. This will help in improving the quality & production of the Cattle' Milk.
- 7 Skill Development Trainings on "Mushroom Cultivation", "Preparation of various Lac items", Tailoring and Block Print aimed at Income generation of SHG Members were imparted in Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh in which, 125 women members were trained.
- 2 trainings on proper functioning & management by SHGs have been organized. Self Help Group Members felt that the training has helped them in undertaking their roles and responsibilities in an efficient manner

### Outcome

- PFFCS are serving as nodal agencies for environment up-gradation and catering to fuel wood, fodder and other needs of Agri-inputs supply of the community.
- Problematic lands (Sodic, Saline, Ravines and Water logged, etc) are now converted into cultivable lands and have proved to be productive assets.
- Farm forestry activities have helped to bring ecological balance. The Carbon Credit Project for 189 hectares of IFFDC registered with VERRA Registry is verified for generating average of 5651 Carbon Credits/year till the year 2038.
- Farm Forestry Programme has resulted in additional employment opportunities being created through various farm forestry activities for local communities and has especially benefited the women of these communities.
- Revolving Fund is helping to PFFCS as well as SHG members to established micro-enterprises and generating livelihood options. The operationalised microenterprises are helping to the aim of doubling the Farmer's income.

## 2. जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने काफी समय पूर्व ही अपने जलवायु परिवर्तन शमन व क्लाईमेट एक्शन कार्यक्रम में अन्य विषयक अवधानों जैसे जल संसाधन विकास, मृदा–जल संरक्षण, क्लाईमेट प्रूफिंग आदि को समाहित करने के महत्व को अपना लिया था। आई.एफ. एफ.डी.सी. को विशेषतः प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों की जेंडर केंद्रित आजीविका उत्थान के लिए जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का बहुत अनुभव है, इससे सतत् विकास लक्ष्य सं. 13 "क्लाईमेट एक्शन" में सहयोग मिलता है। इस कार्यक्रम के सहभागी तरीके से क्रियान्वयन हेतु ग्राम जलग्रहण कमेटी तथा जल उपयोग कमेटियां जैसी सामुदायिक संस्थायें विकसित की गयीं। जल एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में समुदाय के लिए पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन निर्माण हेतु इस गतिविधि में भू–उपयोग योजना एवं विकास तथा अन्य आजीविका अर्जन से संबंधित गतिविधियों के एक व्यापक समूह को क्रमबद्ध तरीके से समाहित किया गया है।

जलग्रहण विकास का मुख्य उद्देश्य, भूमि व जल संसाधनों को संरक्षित व पुनर्स्थापित करना जिससे, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिस्कंदन विकसित हो तथा इन क्षेत्रों में खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस हेतु, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जल संसाधनों के क्षरण को पुनर्स्थापित करने के लिए अन्य संस्थाओं तथा नाबार्ड से एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं से अभिमुखीकरण कर संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

जलग्रहण कार्यक्रम का क्रियान्वयन नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। वर्तमान में, "रिज से वैली तक" उपचार की अवधारणा के साथ भूमि उपचार, जलवायु शमन, आजीविका सृजन तथा ग्रामीण समुदाय का क्षमता विकास करते हुए चिरन्तर सामुदायिक संस्थाओं जैसे ग्राम जलग्रहण विकास समितियों (वी.डब्ल्यू.डी.सी.) का विकास एवं परियोजना चक्र के सभी स्तरों में जेन्डर समानता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से कुल 18,184 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया है।

जलग्रहण विकास परियोजना अमरौती, जिला सतना (मध्य प्रदेश) में नाबार्ड के सहयोग से वर्षा जल संरक्षण हेतु निर्मित तालाब

## 2. Watershed Management (Ecological Resilience)

Early on in its Climate Change Mitigation and Change Action, IFFDC recognised the importance of integrating other thematic interventions like Water Resource Development, Soil Water Conservation, Climate Proofing etc. into this activity. In particular, the IFFDC's experience of its watershed management programme for improving gender focused rural livelihoods of communities through natural resource management is noteworthy. It contributes to the Sustainable Development Goal No. 13 "Climate Action".

Village Watershed Committees and Water Users Committees are developed for implementing this programme using a participatory approach. Focusing on providing Water and Food Security, a comprehensive set of activities related to land use planning and development and other livelihood generation activities has been systematically integrated for building up the 'Ecosystem Resilience' of the community.

The purpose of watershed development is to rehabilitate and conserve land and water resources in order to develop resilience towards climate change to ensure food and livelihood security. For this, the IFFDC has joined hands with other agencies and is mobilising resources directly from NABARD and through convergence with various Government agencies for the restoration of depleting water resources.

The Watershed programme is being implemented with the financial support of NABARD. The focus is on land treatment with "Ridge to Valley" treatment concept, climate proofing, livelihood generation and building capacities of the rural community by developing sustainable community institutions like Village Watershed Development Committees (VWDC) and ensuring gender equity in all stages of the project cycle. Total 18,184 ha area has been treated by various soil & water conservation measures.

Ridge to Valley Area Treatment with Soil Water Conservation Measures (CCT) under NABARD Watershed Development Project-Surkhi-Ghana, Distt. Sagar (M.P.)

### परियोजना विवरण

| सहायक संस्था | राज्य | जिला | उपचारित क्षेत्र (हेक्ट.) |
|---|---|---|---|
| नाबार्ड | छत्तीसगढ़ | कवर्धा, बिलासपुर | 2,609 |
| | मध्य प्रदेश | सागर, छिंदवाड़ा, सतना | 3,555 |
| | राजस्थान | प्रतापगढ़, उदयपुर | 1,652 |
| | तेलंगाना | निजामाबाद | 1,837 |
| राज्य सरकारें | म.प्र. (मनरेगा) | भोपाल, श्योपुर, छतरपुर | 3,417 |
| | म.प्र. (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) | छतरपुर, रीवा | 5,114 |
| | | **कुल** | **18,184** |

### प्रगति

- 510 हैक्ट. क्षेत्र को प्रभावी मृदा–जल संरक्षण हेतु 6,962 घन मी फार्म बंड (एफ.बी), 135 घन मी स्टोन आउटलेट (एस.ओ.), 1010 घन मी जल अवशोशण ट्रैंच (डब्लू.ए.टी.) व 384 घन मी स्टेगर्ड ट्रैंच (एस.सी.टी.), 132 घन मी पत्थर की नालाबंदी (एस.जी.पी.) तथा 417 लूज स्टोन चैक डैम (एल.एस.सी.डी.), 01 गेबियन संरचना व 02 संकन पॉन्ड एवं 8 रिचार्ज पिट का निर्माण प्रभावी मृदा–जल संरक्षण के लिए किया गया।
- उप चरागाह क्षेत्र में, 3,500 वानिकी पौधे (मिलिया कम्पोजिटा व नीम) 5,000 फलदार पौधे (पपीता आम, अमरूद, नीबू, कटहल, शरीफा एवं आंवला) के पौधों का रोपण किया गया।
- फसल उन्नयन हेतु, 35 किसानो को 3.70 क्विंटल धान (प्रजाति–आर.एच.सुपर–444, आई आर–64 व गंगा कावेरी) के उच्च उत्पादक किस्मों के बीज प्रदान किये गये। अतिरिक्त आय सृजन हेतु 65 परिवारो को उन्नतशील किस्मों के सब्जी बीज जैसे आलू (प्रजाति पहाड़ी), प्याज (महालक्ष्मी) एवं लहसुन (गोरंग), के 70 किलोग्राम बीज प्रदान किये गये। क्षेत्र मे पोषक भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के 70 किसानों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को गाजर, मूली, मेथी, पालक, गोभी, मटर जैसे सब्जियों के बीज के 70 किट प्रदान किए गए है।
- आय अर्जन हेतु, 20 स्वयं सहायता समूह सदस्यो, 80 बकरियॉ (प्रति इकाई 4 बकरी), 1 मिनी दाल मिल, 1 मसाला ग्राइंडर, 1 पापड़ बनाने की मशीन आदि प्रदान की गई, जिससे स्वयं सहायता समूह की आय एवं आजीविका अर्जन हेतु एक वैकल्पिक स्रोत विकसित हुआ हैं।
- भू–जल संरक्षण तकनीकी, जल उपयोग दक्षता एवं सूक्ष्म सिंचाई, जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, लचीलापन विकास और जलवायु स्मार्ट फसल उत्पादन, "जैविक खेती" तथा जल बजट पर ग्राम जलग्रहण विकास समिति के सदस्यों के लिए 9 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 183 किसानों ने भाग लिया।
- 01 स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमे 60 रोगियो की जाँच की गयी एवं मुफ्त दवाइयॉ प्रदान की गयी। रोगियो में अवलोकित की गयी मुख्य बीमारियाँ, सर्दी, बुखार, खाँसी आदि थी।
- 15 पी.एस.एन., 35 कम्पोस्ट पिटों की स्थापना की गयी व किसानो को 20 बायो डिकम्पोजर प्रदान किये गये, जिससे खेतों मे पराली को सड़ाकर खाद मे परिवर्तित किया गया। जिससे किसानो को पोषक तत्वो से भरपूर खाद प्राप्त होगा एवं जैविक खेती के लिए भी मदद मिलेगी।
- मझगवां गांव मे एक ज्ञान केन्द्र खोला गया।

### परिणाम

- कुओं में पानी के स्तर में वृद्धि हुई तथा किसान अपनी दूसरी फसल लेने में सफल हुए, जिससे अधिक आमदनी हुई।
- मृदा संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों के करने से कृषि योग्य भूमि में अतिरिक्त क्षेत्र की बढ़ोत्तरी हुई।
- विभिन्न कौशल विकास एवं मृदा संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र के भूमिहीन कृषक एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले।
- सिंचित क्षेत्र से पशुओं के लिए उन्नत गुणवत्ता का चारा उपलब्ध हुआ जिससे पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
- परियोजना क्षेत्र में कृषकों में "जलवायु स्मार्ट खेती" करने के ज्ञान में वृद्धि हुई।
- भारत सरकार के उद्देश्यों "प्रत्येक बूँद से अधिक फसल" एवं "2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना" में योगदान प्रदान करने में सहायता मिली।

## PROJECT DETAILS

| Supporting Agency | State | District | Treated Area (ha) |
|---|---|---|---|
| NABARD | Chhattisgarh | Kawardha, Bilaspur | 2,609 |
| | Madhya Pradesh | Sagar, Chhindwara, Satna | 3,555 |
| | Rajasthan | Pratapgarh, Udaipur | 1,652 |
| | Telangana | Nizamabad | 1,837 |
| State Govt. | MP (MGNREGA) | Bhopal, Sheopur, Chhatarpur | 3,417 |
| | MP (IWMP) | Chhatarpur, Rewa | 5,114 |
| | | **Total** | **18,184** |

### Progress

- 510 ha area has been treated with 6,962 Cum. Farm Bund (FB), 135 Cum. Stone outlets (SO) 1010 Cum Water Absorption Trenches (WAT) and 384 Cum Staggerd Contour Trenches (SCT), 132 Cum. Stone Gully Plugs (SGP), 417 Loose Stone Check Dams (LSCD), one Gabion, 2 Sunken Ponds and 8 Recharge Pits have been constructed for effective Soil & Water Conservation purposes.
- 3,500 forestry plants (Melia Composita and Neem) & 5,000 Horticulture plants (Papaya, Mango, Guava, Lemon, Jackfruit, Custard Apple and Aonla) have been planted on Sub-Pasture land.
- 3.70 Quintal Seed of HYV seeds of Paddy (Variety-RH Super-444, IR-64 & Ganga Kaveri) have been provided to 35 Farmers for crop improvement. 70 Kg. of HYV Vegetable seeds of Potato (Pahari), Onion (Mahalaxmi) and Garlic (Gorang) have been provided to 65 families for Income Generation. Moreover, 70 Kits of vegetable Seeds such as Carrot, Radish, Fenugreek, Spinach, Cabbage, Peas have been provided to 70 farmers and SHG members to increase nutritive food availability in the area.
- For Income Generation, 80 Goats (4 Goat units) to 20 SHG members. One Mini Dal Mill, 1 Spices Grinder, 1 Papad making unit etc. provided to SHG members. An alternate source for generating income and livelihood for SHG members has been developed.
- 9 training programmes on Technical aspects of Soil Water Conversation Measures, Water Use Efficiency & Micro-irrigation, Climate Change Mitigation, Adaptation, Resilience Development and Climate Smart Cropping, Organic Farming and Water Budgeting were organised for Village Watershed Community members in which 183 farmers participated.
- One Health Camp was organised, in which 60 patients were examined and free medicines were provided. The main diseases observed in the patients were Cold, Fever and Cough etc.
- 15 PSN and 35 Compost pits units were established and 42 Bio-digesters were provided which are providing nutrient rich manure to farmers and also be helpful for organic farming.
- One Village Knowledge Centre was opened at Majhgawan village.

### Outcome

- Increase of water table of the wells has been observed and farmers are able to harvest their second crop successfully leading to more returns.
- Additional area has been brought under cultivation by adopting various soil conservation measures.
- Landless farmers and women have been endowed with employment opportunities in the area through skill development and various soil-moisture conservation activities.
- Treated area has produced good quality fodder for cattle by which health of cattle has been improved.
- The knowledge on "Climate Smart Agriculture" amongst the farmers of the project area has increased.
- It helped in contributing to the objectives of Govt. of India i.e. "More Crop from Each Drop" and Doubling Farmers Income.

## 3. जलवायु रोधन परियोजना

### करैया-सुरखी वाटरशेड, जिला-सागर (मध्य प्रदेश) में "जलवायु रोधन परियोजना"

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से विकासशील देशों में विशेषतया ग्रामीण गरीब समुदाय ही प्रभावित होता है। क्योंकि, जलवायु परिवर्तन से इनके अस्तित्व जैसे कि, इनके जीवनयापन के लिए की जाने वाली कृषि में समस्यायें और बढ़ जाती है। इस प्रकार की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी इनके पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। जलवायु अवरोधन अवधान परियोजना को क्रियान्वयन करने का मुख्य उद्देश्य, परियोजना क्षेत्र में अतिसंवेदनशील ग्रामीण समुदाय की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता को विकसित करना है ताकि, वे जलवायु परिवर्तनशीलता व परिवर्तनों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें।

संस्था द्वारा नाबार्ड के वाटरशेड डवलपमेंट फण्ड की सहायता से मध्य प्रदेश के जिला सागर के करैया–सुरखी वाटरशेड क्षेत्र में जलवायु रोधन की एक नई परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना की अवधि चार वर्ष अर्थात् मार्च 2019 से मार्च 2023 तक है।

#### प्रगति

- 14 किसानों को 5.50 क्विंटल गेहूँ की उच्च उत्पादक किस्म "पूसा तेजस" की बुवाई के लिए मदद की, जिसके लिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे सिंचाई के पानी की बचत करने में मदद मिली।
- परियोजना क्षेत्र में नियंत्रित वातावरण में फलों और सब्जियों के गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार करने के लिए कम लागत वाले 2 पॉली टनल स्थापित की गई हैं।

#### परिणाम

- जलवायु परिवर्तन व इसके प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन (सूखे की स्थिति) की स्थिति से निपटने के तरीकों व तकनीकियों के बारे में जलग्रहण समुदाय को जानकारी हुई।
- जलग्रहण समुदाय द्वारा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में कम प्रभावित होने वाले आजीविका के विकल्पों को अपनाना प्रारम्भ कर दिया।
- विकसित जल संसाधनों से परियोजना क्षेत्र में फसलों की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिल रही है।
- परियोजना अवधानों की चिरन्तरता के लिए जलग्रहण समुदाय की ग्राम स्तर पर समुदाय की अपनी संस्था है।
- परियोजना क्षेत्र के आसपास के समुदाय भी, परियोजना के प्रभावों का प्रसार होने से, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न उपायों को सीख रहे हैं।

नाबार्ड जलवायु रोधन परियोजना, करैया–सुरखी, जिला सागर (म.प्र.) अंतर्गत ग्राम जलग्रहण विकास समिति के सदस्यों को कृषि ड्रोन संचालन पर प्रशिक्षण

## 3. Climate Proofing Project

**Climate Proofing in Karaiya-Surkhi Watershed , District Sagar (Madhya Pradesh)**

The rural poor in developing countries particularly suffer from the negative impacts of climate change. This is because climate change aggravates their already existing problems arising for instance from subsistence farming. They are also the worst equipped for facing up to new challenges. The main objective of implementing the Climate Proofing Initiative Project is to enhance the adaptive capacities of vulnerable rural communities in the project area, so that, they are better equipped to cope with climate variability and changes.

The Karaiya-Surkhi Watershed "Climate Proofing" project in in District Sagar of Madhya Pradesh is being implemented with the help of NABARD Watershed Development Fund over a project period of four years i.e. March 2019 to March 2023.

**Progress**

- 14 farmers helped for sowing of 5.50 quintals HYV Wheat seeds variety "Pusa Tejas" which requires less irrigation helped in saving of irrigation water.
- For raising quality saplings of Fruits & Vegetables in control environment in the project area, 2 poly tunnels (low cost) have been established.

**Outcome**

- The Watershed Community is aware about Climate Change, its effect and tools & techniques to deal with Climate Change (drought conditions).
- Watershed Community started adoption of livelihood options which are less affected in adverse Climatic Conditions.
- Developed Water Resources are helping in increasing crop yields in the project area.
- Watershed Community is having own institution at village level for sustainability of the project interventions.
- The nearby communities of the project area are also learning various measures to deal with Climate Change through dissemination of the project impact.

Awareness Generation on IFFCO Nano Urea (Liquid) amongst VWDC members under Karaiya-Surkhi Climate Proofing Project, Sagar (Madhya Pradesh)

# किसान उत्पादक संगठन संवर्धन परियोजना

आईएफएफडीसी द्वारा नाबार्ड एवं एन.सी.डी.सी. द्वारा वित्तपोषित भारत सरकार की सेंट्रल स्कीम–10,000 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) संवर्धन परियोजना के तहत् 10 परियोजनायें सात राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में संचालित की जा रही है। परियोजना की अवधि अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक पांच वर्ष की है।

- आंवटित सभी 50 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन कर पंजीकरण करा दिया गया जिसमें से 27 सहकारिता अधिनियम व 23 कम्पनी अधिनियम के तहत् पंजीकृत कर दिए गये हैं। इन कृषक उत्पादक संगठनों में कुल सदस्यता 15,941 है।
- कृषक उत्पादक संगठन जागरूकता पर 761 बैठकें और कृषक उत्पादक संगठन के निदेशक मंडल की 599 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 25,223 किसानों ने भाग लिया।
- हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड के 43 कृषक उत्पादक संगठनों को 110.52 लाख रुपये का इक्विटी अनुदान प्राप्त हुआ है।
- 46 कृषक उत्पादक संगठनों ने पैन नंबर प्राप्त किया है, 34 कृषक उत्पादक संगठनों ने जीएसटी नंबर प्राप्त किया है, 33 कृषक उत्पादक संगठनों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) पोर्टल पर पंजीकृत किया है, 16 कृषक उत्पादक संगठनों ने मंडी लाइसेंस प्राप्त किया है और 29 कृषक उत्पादक संगठनों ने उर्वरक, बीज और कीटनाशक लाइसेंस प्राप्त किए हैं।
- अब तक, 44 कृषक उत्पादक संगठनों को प्रबंधन लागत के लिए पहली से छठी किस्त के रूप में 191.33 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।
- कृषक उत्पादक संगठनों के निदेशक मंडलों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 24 एक्सपोजर भ्रमण आयोजित किए गए हैं।
- 30 कृषक उत्पादक संगठनों ने कृषि–इनपुट यानी उर्वरक, बीज, कीटनाशक, जैव उर्वरक और वस्तुओं की खरीद और व्यापार की व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं और वर्ष (2022–23) के दौरान, 20 एफपीओ ने 71.52 करोड़ रुपये के कुल कारोबार के साथ कमोडिटी ट्रेडिंग की है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. संवर्द्धित श्रीधारी कृषक उत्पादक संगठन, जिला अमरेली (गुजरात) में श्री परषोत्तम रुपाला, केन्द्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री, भारत सरकार एवं श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष इफको द्वारा चना खरीदी व्यवसाय का शुभारंभ

## Promotion of Farmers Producer Organisation (FPO) Project

IFFDC is implementing 10 projects on Promotion of FPOs Projects in seven States i.e Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra with Financial support of NABARD and NCDC under Central Sector Scheme of Govt. of India for promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs). The project duration is for five years from April 2021 to March 2026

- All 50 allotted FPOs have been formed of which 27 FPOs, are registered under Cooperative Acts and 23 FPO registered under the Companies Act. The total membership is 15,941 Farmers in these FPOs.
- 761 meetings on FPO awareness and 599 meetings of Board of Directors of FPO have been organised, in which, 25,223 farmers participated.
- 43 FPO of Haryana, Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar and Uttarakhand have received Equity Grant of Rs.110.52 Lakh.
- 46 FPO have obtained PAN numbers, 34 FPO have obtained GST number, 33 FPOs registered on National Agriculture Market (e-NAM) portal, 16 FPOs obtained Mandi Licenses and 29 FPOs obtained Fertiliser, Seed and Pesticide Licenses.
- So far, 44 FPO have received of Rs. 191.33 Lakh as 1st to 6th installment towards Management Costs.
- 36 Training programmes of FPO Boards of Directors & Chief Executive Officers and 24 Exposure Visits have been organised.
- 30 Farmers Producer Organisations have started Business activities of Agri-inputs i.e. Fertiliser, Seed, Pesticides, Bio fertiliser and Procurement & Trading of Commodities and during the Year (2022-23), 20 FPO have undertaken Commodity Trading with total turnover of Rs 71.52 Crores.

Cultivation and Marketing of Prawns by Apna Sirsa FPO (Haryana) promoted by IFFDC with NABARD support under CSS of Govt. of India

# सी.एस.आर. पहल

"कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" (सी.एस.आर.) प्रबंधन की एक अवधारणा है जिसमें, कम्पनियाँ अपने व्यापार के संचालन तथा अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक एवं पर्यावरण चिन्ताओं को समन्वित करती है। सी.एस.आर. सामान्यतः एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से एक कम्पनी आर्थिक, पर्यावरण तथा सामाजिक अनिवार्यता में एक सन्तुलन प्राप्त करने के साथ–साथ शेयरधारकों की अपेक्षाओं को भी सम्बोधित किया जाता है। भारत में सी.एस.आर. को परम्परागत परोपकार की एक गतिविधि के रूप में देखा गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत् सी.एस.आर. का विचार प्रस्तुत किया गया था तथा अब यह, ऐसी सभी कम्पनियों के लिए अनिवार्य हो गया है जिनका वार्षिक टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक, अथवा 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवल मूल्य अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये से अधिक का हो। इस एक्ट के अनुसार, ऐसी कम्पनियों को उनके पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ की कम से कम 2 प्रतिशत राशि को सी.एस.आर. गतिविधियों पर खर्च करना होता है।

अधिकांश कारपोरेट, सी.एस.आर. नीति की अनुपालना कर रहे हैं तथा उनके केन्द्रित क्षेत्रों में सामाजिक व पर्यावरण विकास के विभिन्न सी.एस.आर. गतिविधियों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। सी.एस.आर. आधारित कार्यक्रमों को सूत्रीकरण करने व उनके क्रियान्वयन करने तथा इस प्रकार की पहलों के परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन के लिए विशेष मनोवृत्ति, रणनीति, कौशल तथा क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. के पास वांछित योग्यता, मनोवृति, कौशल क्षमता तथा अनुभव है, अतः कार्पोरेट्स को परिणामोन्मुखी तरीके से उनके सी.एस.आर. प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया। कार्पोरेट्स के सी.एस.आर. पहल की साझेदारी में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी सेवाओं का विस्तार करने के माध्यम से गरीबी उन्मूलन एवं चिरन्तर आजीविका विकास की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. की ग्रामीण आजीविका पहुँच में लोगों को विकास के केन्द्र में रखा जाता है तथा सम्पत्ति व कौशल निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है ताकि, महिलाएँ व पुरुष, रोजगार व आय अर्जन के लिए नये अवसरों तक अपनी पहुँच बना सके।

इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना–गरियाबंद (छत्तीसगढ़) अंतर्गत ग्राम भरुआमुंडा में आदिवासी समुदाय को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित सौर आधारित जल शोधन पेयजल इकाई

## CSR INITIATIVES

"Corporate Social Responsibility" (CSR) is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. CSR is generally understood as being the way through which a company achieves a balance of economic, environmental and social imperatives simultaneously, addressing the expectations of shareholders and stakeholders. CSR in India has traditionally been seen as a philanthropic activity. Under the Clause 135 of the Companies Act, 2013 has introduced the idea of CSR and now it is mandatory for the companies with an annual turnover of more than 1,000 crore INR, or a net worth of more than 500 crore INR, or a net profit of more than five crore INR. The Act encourages companies to spend at least 2% of their average net profit in the previous three years on CSR activities.

Most of the corporates are complying with the CSR policy and implementing various CSR activities/projects for social and environment development in their focused area. Formulation and Implementation of CSR based programme also requires specific attitude, strategy, skill and capabilities for outcome oriented implementation of such initiatives. IFFDC has the aptitude, attitude, skill, capability and experience in implementing such programmes and has started facilitating Corporates in achieving their CSR commitments in result oriented mode. Efforts are being made by IFFDC towards poverty alleviation and sustainable rural livelihood development through extending its services in partnership with Corporates under their CSR initiatives. IFFDC's rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills so that women and men can access new opportunities for income generation and employment.

Vegetable Kits for Kitchen Gardening provided by Shri Prahlad Singh, Chairman, IFFDC to tribal SHG members under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project- Gariaband (Chhattisgarh)

## सी.एस.आर. परियोजना

### इफको टोकियो–समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना (आई.आई.आर.डी.पी.)

इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंम्पनी लिमिटेड (आई.टी.जी.आई.) द्वारा इनके "सी.एस.आर. पहल" के अन्तर्गत "इफको टोकियो–समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना" 7 गाँवों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले के 4 गाँवों एवं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के 3 गाँवों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा सहयोग किया जा रहा है।

यह परियोजना आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इन गांवों में ग्रामीण सहभागी अध्ययन (पी.आर.ए.), आंकड़े एकत्रीकरण व विश्लेषण, समस्याओं की पहचान, मुद्दों का प्राथमिकीकरण, क्रान्तिक समस्या विश्लेषण (सी.पी.ए.) आदि जैसी (सहभागी प्रक्रियाओं) के माध्यम से तैयार की गयी।

परियोजना का क्रियान्वयन 8 घटकों (i) सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, (ii) स्वच्छ पेयजल एवं जलस्त्रोत विकास, (iii) कृषि उत्पादन (iv) पशुधन विकास, (v) महिला सशक्तिकरण, (vi) कौशल विकास व रोजगार सृजन, (vii) शिक्षा एवं (viii) पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत 62 गतिविधियों से अधिक के साथ किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान परियोजना की प्रगति :

- परियोजना गांवों में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए 16 सौर आधारित पेयजल इकाइयां स्थापित की गई हैं, बिजली और ऊर्जा की बचत के लिए 56 सौर स्ट्रीट लाइटें और 1,146 घरेलू सौर लाइटें स्थापित की गई।
- परियोजना गांवों में कौशल विकास के लिए 3 महीने की अवधि के सिलाई, लाख की चूड़ियां बनाना, दुपहिया वाहन की मरम्मत और बाल काटने, 2 महीने की अवधि के लिए ब्यूटीशियन, एक महीने की अवधि के लिए सौर संचालित उपकरणों और एलईडी बल्बों की मरम्मत पर 12 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। एसएचजी और युवाओं ने अपने सूक्ष्म उद्यम शुरू कर दिए हैं।
- परियोजना गांवों में अतिरिक्त आय सृजन स्रोत बनाने के लिए एसएचजी को 21 यूनिट मसाला ग्राइंडिंग मशीन, मिनी आटा मिल, मिनी राइस मिल, सेनेटरी नैपकिंग मेकिंग मशीन, हैंडलूम मशीन प्रदान की गई है।
- जल संसाधन विकास के अंतर्गत 06 तालाब एवं 03 रिंग वेल का निर्माण / पुनर्निर्माण किया गया है।

इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, गरियाबंद (छत्तीसगढ़) अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के लिए आय अर्जन हेतु अतिरिक्त स्त्रोत विकसित करने के लिए ब्यूटीशियन पर कौशल विकास प्रशिक्षण

## CSR PROJECT

### IFFCO-TOKIO Integrated Rural Development Project (IIRDP)

IFFDC is facilitating IFFCO-Tokio General Insurance Co. in implementation of its IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project in 07 villages i.e. 04 villages of Distt. Gariaband in Chhattisgarh and 03 Villages of Distt, Muzaffarpur in Bihar under its CSR initiative.

The project was developed with "Participatory Process" by adopting the steps like Participatory Rural Appraisal (PRA), Data Collection & Analysis, Problem identification, Prioritization of the issues, Critical Problem Analysis (CPA) etc in these villages by the IFFDC.

The Project is being implemented with more than 62 activities covered under eight components viz;

(I) Community Health and Sanitation, (ii) Safe Drinking Water and Water Resources Development (iii) Agriculture Production, (iv) Livestock Development, (v) Women Empowerment, (vi) Skill Development and Employment Generation, (vii) Education and (viii) Environment Up-gradation.

The Progress of the Project during the year :

- 16 Solar based drinking water units have been installed for ensuring safe drinking Water, 56 Solar Street Lights and 1,146 Solar home Lights established for saving electricity and energy in the Project Villages.
- For Skill Development in project villages, 12 trainings on Tailoring, Lac Bangles Making, Two Wheeler Repairing and Hair Cutting for 3 months period, Beautician for 2 months period, repairing of Solar operated equipments and LED Bulbs for one month period have been organised. The SHGs and Youth have started their micro-enterprises.
- 21 units of Masala Grinding Machine, Mini Flour Mill, Mini Rice Mill, Sanitary Napking Making Machine, Handloom Machine have been provided to SHGs to create additional income generation source in project villages.
- Under Water Resource Development, 06 Ponds and 03 Ring Wells have been constructed/ renovated.

Community Centre constructed for collective utilisation by Mushar Community under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project, Purbi Mushar Tola, Distt. Muzaffarpur (Bihar)

- गरीब मुसहर परिवारों के लिए परियोजना ग्रामों में 30 स्नानागारों का निर्माण किया गया है। इनकी आवश्यकता व उपयोग के मद्देनजर महिलाओं ने इसका नाम "इज्जत घर" रखा।
- पर्यावरण उन्नयन के तहत, केला (जी–9) और पपीता (रेड लेडी) प्रजातियों के 13,000 पौधे लगाए गए हैं एवं ग्रामीण गरीबों के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए मौसमी सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किचन गार्डन विकसित करने के लिए 2,600 परिवारों को मदद की गई है।
- परियोजना ग्रामों में एक सामुदायिक केन्द्र, 02 आंगनवाड़ी केन्द्र, एक प्राथमिक विद्यालय, एक पंचायत भवन एवं एक रंगमंच का निर्माण / पुनर्निर्माण किया गया।
- ईंधन की लकड़ी बचाने और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक को कम करने के लिए परियोजना गांवों के गरीब परिवारों को 1,096 बेहतर स्मार्ट धुआं रहित चूल्हे प्रदान किए गए।
- दिन के समय घरों का अंधेरा दूर करने के लिए 320 गरीब परिवारों के घरों की छतों पर प्राकृतिक रोशनी के लिए 320 पारदर्शी फाइबर शीट लगाई गई हैं.
- पशुधन विकास के तहत 175 गरीब परिवारों को "सोनाली" नस्ल के 3000 चूजे और "ब्लैक बंगाल" नस्ल की 55 बकरियां प्रदान की गई हैं।
- चारा विकास को बढ़ावा देने के लिए 15 एकड़ क्षेत्र में खेती करने के लिए परियोजना गांवों के 300 किसानों को 300 किलोग्राम "बरसीम" बीज प्रदान किया गया है। यह पशु के दूध की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार करने में मदद करेगा।
- मुसहर समुदाय के लिए सामाजिक जागरूकता, बाल विवाह, नशाखोरी और जनसंख्या नियंत्रण, सामुदायिक स्वच्छता, बच्चों की शिक्षा आदि के लिए परियोजना गांवों में तीन दिवसीय मैजिक शो का आयोजन किया गया।
- अक्षर परिचय अभियान के तहत परियोजना ग्रामों में रात्रि पाठशाला में 240 बच्चों को प्रतिदिन दो घंटे पढ़ाई तथा एक घंटे खेलकूद सिखाया जा रहा है।
- 20 स्वास्थ्य और जागरूकता शिविर विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए और 09 पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए।

इफको–टोकियो एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना, मुजफ्फरपुर (बिहार) अंतर्गत निर्मित स्नानघर जिसका नामकरण महिलाओं ने "इज्जत घर" किया है

- 30 Bathrooms have been constructed in project villages for poor Mushar families. In view of the necessity and usefulness of these bathrooms, the Women named it "Izzat Ghar".
- Under Environment up-gradation, 13,000 saplings of Banana (G-9) and Papaya (Red lady) species have been planted and 2,600 families were supported for developing Kitchen Garden for increasing availability of season vegetables for better nutrition and health of the rural poor community.
- One Community Centre, 02 Anganwadi Centre, One Primary school, One Panchayat Bhawan and one Rangmanch constructed/renovated in project villages.
- 1,096 Improved Smart Smokeless Chulhas were provided to poor families of project villages for saving fuel wood and reducing the health hazardous of women.
- To abolish the darkness of the houses in day time, 320 transparent fibre sheets have been installed on roofs of 320 poor families houses for natural lighting.
- Under Live Stock Development, 3,000 chicks of " Sonali" breed and 55 Goats of "Black Bengal" have been provided to 175 poor families.
- For promotion of Fodder Development, 300 kilogram of "Berseem" seed has been provided to 300 farmers of project villages for cultivating in 15 acre area. It will help in improving the quality & production of the Cattle Milk.
- Three days period Magic show was organised in project villages for social awareness on abolishing, Child Marriage, Intoxication & Population Control, community hygiene, Children Education etc for Musahar Community.
- Under "Akshar Parichay Abhiyan" 240 Children are being learnt reading for two hours daily and sports for one hour daily at the Night School in project villages.
- 20 Health & Awareness Camps particularly for pregnant women and 09 Veterinary Camps were organized.

Awareness generation on issues like Cleanliness, Child Marriage, Drug De-addiction, Population Control etc. in Mushar Community through Magician Show under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project-Muzaffarpur (Bihar)

प्रभाव

- परियोजना परिवारों व विद्यार्थियों में पढ़ाई का महत्व, साफ सफाई, स्वास्थ्य व स्वच्छता तथा स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई। परियोजना क्षेत्र के परिवारों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया तथा शौचालयों का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। परियोजना क्षेत्र के समुदायों में बाल–विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, नशामुक्ति आदि जैसी कुरीतियों पर जागृति उत्पन्न हो रही है। इससे परियोजना क्षेत्र की लड़कियों व महिलाओं में विशेषतौर पर आत्मसम्मान व सुरक्षित वातावरण की भावना विकसित हुई।
- 7 गाँवों के 1,150 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है जिससे जलजनित बीमारियाँ कम हुई हैं।
- सोलर लाईट व सोलर स्ट्रीट लाईट के प्रयोग से बिजली के खर्चे व ऊर्जा की बचत हुई।
- महिलाओं विशेषतया समूह सदस्यों ने कौशल विकास व आय अर्जन की गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जन के वैकल्पिक स्त्रोत विकसित किये। 92 महिला सदस्यों को प्रति माह 2000–10,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय अर्जित होना प्रारंभ हो गई।

### हरियाणा अर्द्धशुष्क क्षेत्र में मिलिया कम्पोजिटा (बर्मा नीम) की विभिन्न किस्मों के अनुकूलन पर शोध अध्ययन – बालधन खुर्द, रेवाड़ी

मित्सुई एंड कं. लि. के मीट ट्रस्ट द्वारा अपने सी.एस.आर. पहल के अंतर्गत बालधन खुर्द, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) में "हरियाणा अर्द्धशुष्क क्षेत्र में मिलिया कम्पोजिटा (बर्मा नीम) की विभिन्न किस्मों के अनुकूलन पर शोध अध्ययन" हेतु एक परियोजना स्वीकृत की गयी है। यह परियोजना अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न पौध प्रजातियों की वृद्धि एवं विकास पर अध्ययन करना है।

- रोपित की गई आठ प्रजातियों में से अभी तक, प्रजाति क्षितिज की वृद्धि सर्वाधिक अवलोकित की गई। इसके पश्चात् क्रमशः प्रजाति रितु व शरद की वृद्धि पाई गई।
- रखरखाव की गतिविधियाँ जैसे निराई–गुड़ाई, सिचाई, थामला का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।

### दिल्ली में बागवानी विभाग के तहत विभिन्न पार्कों में हरित पट्टी विकास एन.सी.टी.

मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड ने दिल्ली एन.सी.टी में 5 अलग–अलग पार्कों यानी पीतमपुरा में पुलु ब्लॉक पार्क और सेंट्रल पार्क, रामपुरा में टंकी वाला पार्क, रिंग रोड के पास नेफेड पट्टी पार्क और केशव पुरम में रेलवे लाइन के पास पार्क में हरित पट्टी विकास परियोजना प्रदान की है। परियोजना को तीन साल यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2024 के लिए लागू किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण बढ़ाना है जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में योगदान देता है।

- 4550 पौधों के रखरखाव की गतिविधियाँ जैसे निराई–गुड़ाई, सिंचाई, थामला निर्माण आदि नियमित रूप से की जा रही हैं।

इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना–मुजफ्फरपुर (बिहार) अंतर्गत प्रदत्त सोलर होम लाईट की रोशनी में रात्रि के समय अध्ययनरत मुसहर समुदाय के बच्चे

### Impact

- The project families and school children are getting aware about the importance of study, cleanness, health & sanitation and safe drinking water. The families of the project area stopped open defecation and started use of toilets. The project communities are getting aware about the social evils like Child Marriage, Population Control, De-addiction etc. It developed self-steemed and safe environment for the girls & women in particular.
- 1,150 Families in 7 villages are getting safe drinking water which helped in reducing water borne diseases.
- Use of Solar Lights and Solar Street Lights resulted into saving of electricity expenses and energy.
- The women particularly the SHG members have developed alternative income generation sources through skill development & other income generation activities. 92 women members are earning additional income ranging Rs. 2,000 to 10,000 per month through micro enterprises development.

### Research Study on adaptability of different varieties of Melia Composita (Burma Neem) in Semi-Arid Region of Haryana - Baldhan Khurd of Rewari

The MEET Trust of MITSUI & Co. has awarded a Research & Development Project on "Research Study on Adaptability of different varieties of Melia Composita (Burma Neem) in Semi-Arid Region of Haryana" at Baldhan Khurd, Dist. Rewari (Haryana) under its CSR Initiative. The project is being implemented for three years i.e. April 2019 to March 2022. The objective of the project is to study of the growth and development of different plant species.

- So far, the growth of variety Kshitij was observed highest amongst all the planted varieties in the trial. It followed by variety Ritu and Sharad respectively.
- The maintenance activities like hoeing & weeding, irrigation, Basin making are being carried out regularly.

### Green Belt Development in Different Parks under Horticulture Department in Delhi N.C.T.

The Mitsui & Co. Ltd. has awarded a Green Development Project in 5 different Parks i.e. Pulu Block Park & Central Park in Pitampura, Tanki wala Park in Rampura, Nafed Patti Park near Ring Road and Park near Railway Line in Keshav Puram in Delhi N.C.T. The project is being implemented for three years i.e April 2021 to March 2024. The objective of the project for increasing tree cover for environment improvement which contributes toward combating the climate change.

- Maintenance activities like hoeing & weeding, irrigation, Basin making etc. of 4,550 saplings are being carried out regularly.

Awareness Generation against various prevailing Social Evils in Mushar Community by Brahmakumaris under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project, Muzaffarpur (Bihar)

# मेहनत से बदली तकदीर

सफलता मेहनत से मिलती है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट के बल पर हासिल की गई सफलता कुछ समय के लिए ही टिकती है। यह सच है कि इसका रास्ता मुश्किलों भरा, लंबा और कुछ हद तक तन्हा होता है। मगर सफलता का एहसास इस रास्ते की सारी तकलीफें भुलाने के लिए काफी होता है।

यह कहानी, ग्राम सुरखी, विकासखंड व जिला सागर (मध्य प्रदेश) निवासी 45 वर्षीय महिला श्रीमती अंजना जायसवाल की है, जो अपने पति श्री योगेश जायसवाल के अलावा अपने 2 बच्चों (एक पुत्र व एक पुत्री) के साथ रहती हैं। श्रीमती अंजना परिवार की आजीविका हेतु पापड़ बनाने व टिफिन सेंटर का कार्य करके अपना जीवन यापन कर रही हैं।

अपनी कहानी बताते हुए श्रीमती अंजना की आंखों से आंसू छलक आते हैं। अंजना एक संपन्न परिवार की बेटी हैं। अंजना के घर वालों ने एक छोटे परिवार में उसकी शादी कर दी। शादी के बाद ससुराल आने पर अंजना को पता चला कि उसके ससुराल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, पति बेरोजगार है। तब अंजना ने पति को भोपाल जाकर कुछ कार्य करने की सलाह दी। परस्पर सहमति के बाद अंजना अपने पति एवं देवर के साथ भोपाल चली गई। वहाँ जाकर उसके पति एवं देवर ने एक पान की दुकान खोल ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक–ठाक चल रहा था लेकिन समय बीतने के साथ–साथ अंजना के पति एवं देवर के बीच दुकान की कमाई के बंटवारे को लेकर झगड़ा होने लगा। धीरे–धीरे ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अंजना ने अपने पति को वापस अपने घर सुरखी लौट जाने की सलाह दी। चूँकि अंजना का घर रोड पर था इसलिए उसने कुछ कर्ज लेकर एक आटा चक्की की दुकान खोल ली। इससे खर्चों को काटकर प्रतिदिन 50–60 रुपये की बचत होने लगी लेकिन ये राशि कर्ज चुकाने में ही चली जाती थी। इसी बीच आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। कृषकों के खेतों में मृदा जल–संरक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन कर आजीविका गतिविधियों से जोड़ना, फसल प्रदर्शन व तकनीकी ज्ञान, रोजगार सृजन व स्थायी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना, क्षमता विकास कर आय में वृद्धि इत्यादि इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य थे। इस परियोजना के तहत् स्वयं सहायता समूह गठन का कार्य चल रहा था। अंजना को भी जब इसकी जानकारी मिली तो वह तुरंत ही शारदा समूह से जुड़ गई। अंजना खाना बहुत अच्छा बना लेती थी इसलिए उसने पति से कहा कि उसे कहीं खाना बनाने का कार्य दिलवा दो जिससे परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो सके। लेकिन इसके लिए पति ने हामी नहीं भरी, तब अंजना ने घर पर ही खाना बनाकर टिफिन आपूर्ति का कार्य शुरू करने की सोची। इसके लिए अंजना के पति भी तैयार हो गये एवं समूह से आर्थिक मदद भी मिल गई। अंजना ने शुरुआत में 3 टिफिन से अपना कार्य शुरू किया। धीरे–धीरे यह संख्या बढ़ने लगी। लगातार मेहनत करने के बाद अंजना ने थोड़ी सी राशि जमा की।

इसके साथ ही उसके टिफिन अब 10–15 जगहों पर जाने लगे। टिफिन आपूर्ति से मिलने वाली राशि को वह बचत समूह में जमा करने लगी। अचानक उसकी बच्ची बीमार पड़ गई उसके पेट में दर्द होने लगा सभी स्थानीय अस्पतालों में दिखाया पर आराम नहीं लगा। फिर उसने सागर अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि बच्ची को अपेन्डेक्स है। वो दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही थी। पैसा नहीं होने की वजह से अच्छे से इलाज भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो फौरन सागर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए 25 हजार रुपया जमा करने पड़ेंगे। इतना पैसा उसके पास नहीं था। अंजना धन्यवाद करती हैं आई.एफ.एफ.डी.सी. का जिसके द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह से उसे बिना किसी गवाही के 25 हजार रुपये दिये। उस राशि से उसकी बच्ची का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ। इसके पश्चात् उसने बहुत मेहनत की। उसके घर के सामने से फोर लाईन बनने से उसके प्रतिदिन 60–70 टिफिन जाने लगे। इस राशि से उसने किस्तों में समूह की राशि वापस कर दी और अपनी बचत बढ़ायी। जब बचत ज्यादा होने लगी तो दूसरा रोजगार करने की सोची। आटा चक्की से उसे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था तो उसको बेच दिया और उसकी राशि से और समूह की बैंक क्रेडिट की राशि से पहले दोना पत्तल की मशीन खरीदी जो कि 40 हजार रुपये में आयी। उससे प्रतिदिन 300/– रुपया तक कमाई कर लेती थी पर दोना पत्तल की ज्यादा मार्केटिंग की सुविधा नहीं होने से उसे नुकसान होने लगा तो उसे भी बेच दिया। और अंत में समूह की बैंक क्रेडिट की राशि 01 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया जो कि समूह द्वारा दिया गया। क्रेडिट फंड की राशि और कुछ लागत घर से लगायी इस प्रकार लगभग 2.50 लाख रुपये की पापड़ की मशीन खरीदी और नये उद्यम की शुरुआत की। पापड़ की मशीन का चुनाव करने में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने मदद की और पापड़ मशीन का कार्य अच्छा चल गया। अब अंजना प्रति माह सारे खर्चों को काटने के पश्चात् 5000–6000 रुपये तक की बचत कर लेती हैं। अब तो पति को भी अच्छा काम मिल गया है। और उसने समूह की 03–04 महिलाओं को अपने साथ रोजगार भी दे दिया है। उन्हें वह प्रतिदिन 200/– रुपये मजदूरी देती है। इसके अलावा वह टिफिन सेंटर भी चला रही है। रोज के लगभग 25–30 टिफिन घर से ही जाते हैं। वह टिफिनों के सारे खर्चों को काटकर लगभग 8000/– रुपया प्रतिमाह की बचत कर लेती है। अब उसकी जीविका अच्छे से चल रही है। वह आई.एफ.एफ.डी.सी. एवं नाबार्ड की भूरि–भूरि प्रशंसा करती है, वह कहती है "इस परियोजना ने मेरे जीवन को बदल दिया है"। सही कहा गया है:– भाग्य से उतना ही मिलेगा, जितना ऊपर वाला देगा लेकिन मेहनत से उतना मिलेगा, जितना आप चाहते है।

# Collective Business Efforts of Farmers

With an aim to ensure better income for farmers by organising them in cooperatives, IFFDC mobilised 1500 farmers in Block Dhari, District Amreli (Gujarat) and registered "Shree Dhari Khedut Krushi Utpadak & Processing Sahakari Mandali Ltd." under Gujarat State Cooperative Act-1961 in the month of September, 2021. Need based skill and capacity building inputs were imparted to the members through trainings and exposure visits. The Small & Marginal producer farmers are not having the volume individually (both inputs and produce) to get the benefit of economies of scale, therefore, the cooperative was encouraged to undertake collective business action for their economic benefits. The Dhari Cooperative under facilitation of IFFDC started commodity trading business of Gram, Wheat, Groundnut, Extraction of Groundnut Oil and other produces and in two crop season their turnover reached to Rs 55 crores and earned about Rs 53 lakh. The member farmers benefited by getting 15% divident. These efforts created a great example towards success of the Government of India's Central Sector Scheme for Promotion of 10,000 Farmer Producers Organisations (FPOs).

IFFDC has promoted 50 FPOs with 15,917 shareholder farmers in the States of Haryana, Uttarakhand, UP, Bihar, MP, Gujarat and Maharashtra under Central Sector Scheme of Govt. of India, for promotion of 10,000 FPOs with the support of NABARD and NCDC. These FPOs are being facilitated by IFFDC to undertake Agri-business for economic benefits to the member farmers. Under this Scheme, National Cooperative Development Corporation (NCDC) the Implementing Agency (IA) has entrusted the work to IFFDC for promotion of 6 FPOs in District Amreli in Gujarat state covering six Blocks i.e. Amreli, Dhari, Babra, Lilia, Rajula and Savarkundla one FPO in each Block. By mobilizing 3,171 farmers through village meetings and organizing awareness programmes, IFFDC formed and registered these six FPOs with support of State Cooperative Department and NCDC.

The Shree Dhari FPO was registered on 3rd September, 2021 initially with 501 promoter member farmers. The Board of Directors (BoD) was constituted, the Board members elected "Ms Bhawanaben Mansukhbhai Gondaliya" as chairperson who is energetic and enthusiastic. With IFFDC facilitation, she made efforts to increase the membership (shareholders) and mobilized 1500 farmers of nearby 65 villages as members in the FPO. Each of the members purchased the share of Rs 1000/- and the FPO collected Rs 15.28 lakh share capital so far. The FPO is conducting Board Meetings and Annual General Body Meetings regularly and taking decision for undertaking business activities and its further development and growth. So far, the FPO received Rs 15 lakh as Equity Grant from Govt of India for business development.

**Initiation of Business Activities: (1)** The FPO has started agri-inputs supply i.e. Fertilizers including IFFCO Nano Urea (Liquid), Quality Seeds, Pesticides etc after obtaining license from the Govt Authorities. Besides the agri-inputs, the FPO is also providing agriculture Machineries and equipments i.e. Tractor, Power Tiller, Sprayers, Seed Drill etc to the member farmers to promote mechanization in agriculture. **(2)** The FPO started commodity procurement center for GUJCOMASOL and procured 1,01,922 qtls Gram, undertaken trading of 2,967 qtls Wheat and 266.46 qtls Groundnut from members farmers with total turnover of Rs 55.51 crore so far and earned profit of about Rs. 54 lakh. **(3)** The FPO also initiated extraction of Groundnut oil and so far 6000 liters groundnut oil extracted which sold to the members farmers.

**Success Mantra: (1)** The chairperson herself has taken lead and put efforts in community mobilisation, formation of Cooperative, mobilizing required funds and initiation of business activities. She has developed good rapport with the member farmers, cooperative department, govt officials, industries people etc to mobilise need based inputs. **(2)** The Shree Dhari Cooperative declared dividend @15% for the year 2022-23 just after 2 years of its registration which is encouraging and attracting more and more farmers to join the FPO. **(3)** Assured market linkage with GUJCOMASOL is helping farmers in avoiding distress sale in the hand of intermediaries and local market on low prices.

**Way Forward: (1)** The FPO has plan and making efforts for diversifying into value added products, Setting up a processing plant with NCDC and avail Credit guarantee Fund. **(2)** The FPO has plan to establish a agri-produce based shopping mall and associating with other FPOs for selling their products in this shopping mall.

**The Shree Dhari FPO with the support of IFFDC and NCDC has demonstrated the impact of collectivization of small and marginal farmers to leverage economies of scale in Production and marketing.**

# समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास

देश में समावेशी विकास को मुख्य ध्येय रखकर की गयी पहलों के उपरान्त भी भूमि, जल, उन्नत आदानों, तकनीकियों एवं सूक्ष्मवित्त जैसे उत्पादक आदानों तक सीमित पहुँच एवं इसके साथ–साथ सूखा के प्रति अति संवेदनशीलता एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण से गरीबी है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण में, लोगों को केन्द्र बिन्दु में रखा जाता है तथा उनके लिए सम्पत्तियाँ, दक्षता, सहायक नीतियाँ, सशक्त संस्थाओं एवं विनियामक संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जिससे, विकास को बढ़ावा मिलता है तथा अतिसंवेदनशील समुदाय को सुरक्षा प्राप्त होती है। ताकि, पुरुष एवं महिलाऐं साथ–साथ अपनी चिरन्तर आजीविका के लिए रोजगार एवं आय अर्जन के नये अवसरों तक अपनी पहुँच बना सकें।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा, इफको एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर, सीमांत समुदाय की आजीविका विकास के लिए उत्पादन वृद्धि, लागत में कमी, मूल्य वृद्धि, विपणन सहायता आदि पर विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये।

### परियोजना विवरण

| परियोजना | राज्य | जिला |
|---|---|---|
| ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना | ओडिशा | गंजाम |
| ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना | पश्चिम बंगाल | अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी एवं दार्जिलिंग |

इसमें, कृषि विकास पद्धति, जल संसाधन विकास, महिला सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण, कौशल विकास आदि की उपलब्ध उपयुक्त तकनीकियाँ, जो कि, अभी तक किसानों के खेत तक नहीं पहुँची, के संवर्द्धन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस संदर्भ में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने आर्थिक स्तर एवं प्रदर्शन प्रभावों के लिए 'किसानों को केन्द्रित' रखते हुए प्रशिक्षण, प्रसार, एक्सपोजर भ्रमण एवं क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाया है।

इफको ग्रामीण आजीविका विकास परियोजनांतर्गत विधाननगर क्षेत्र, जिला दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल) में स्वयं सहायता समूह द्वारा आय अर्जन हेतु स्ट्रॉबेरी की खेती

# Integrated Rural Livelihood Development

Despite initiatives aimed at inclusive growth in the country, poverty persists because of limited access to productive resources, such as land, water, improved inputs, technology and micro-finance, as well as vulnerability to drought and other natural calamities.

It bears repeating that IFFDC's rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills, supportive policies, robust institutions and regulatory structures that both encourage growth and protect the most vulnerable, so that, women and men together can access new opportunities for income generation and employment for their sustainable livelihoods.

IFFDC is undertaking several measures in collaboration with IFFCO for increasing productivity, reducing input costs, value addition, providing marketing support etc. for enhancing the livelihoods of the marginalised communities.

## PROJECT DESCRIPTION

| Project | State | District |
|---|---|---|
| Rural Livelihood Development Project | Odisha | Ganjam |
| Rural Livelihood Development Project | West Bengal | Alipurdwar, Jalpaiguri and Darjeeling |

The focus is on promotion of available appropriate technologies for farming system development, water resource development, women empowerment, capacity building, skill development etc. that have not yet percolated to the farmers' fields. In this regard, the IFFDC is adopting 'Farmer-Centric' processes through training, extension, exposure visits and cluster approach to achieve economies of scale and for having a demonstrative effect.

Vegetable Cultivation with the High Yielding Variety Seeds provided by IFFDC under IFFCO Rural Livelihood Development Project, Ganjam (Odisha)

प्रगति

- पर्यावरण विकास के तहत, 4,350 पपीता, नारियल एवं स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए गए।
- कौशल विकास हेतु, समूहों के उचित संचालन एवं प्रबंधन, रिकार्ड के रखरखाव आदि पर आठ प्रशिक्षणो आयोजन किया गया।
- आय सृजन के लिए गरीब परिवारों को उपकरण जैसे कि, 7 मसाला पीसने की मशीने, 2 राईस शेलर प्रदान किये गये एवं 149 मुर्गी पालन इकाईयाँ (प्रति इकाई में 25 चूजे) स्थापित की गईं साथ में चारा, अनाज पात्र, टीकाकरण किट एवं पानी के बर्तन प्रदान किए गये।
- गांव के तालाबों में मछली पालन के लिए गरीब परिवारों को रोहू, कतला एवं सिल्वर कार्प प्रजाति के 1,55,000 मछली बीज प्रदान किए गए।
- 1,746 किसानो को 1,236 किट उच्च उत्पादक सब्जी बीज, उच्च उत्पादक दलहन एवं तिलहन फसल के बीज के 510 किट्स उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इफको जल धुलनशील उर्वरको एवं जैव उर्वरको के 382 किट भी प्रदान किए गए।
- इफको नैनो यूरिया तरल को बढ़ावा के लिए, 1,032 किसानो को इफको नैनो यूरिया तरल की 1,032 बोतलें प्रदान की गई, जो उत्पादन लागत को कम करने, मृदा स्वास्थ्य मे सुधार एवं पर्यावरण संरक्षण मे सहायक होंगी।
- जल संसाधन विकास के तहत, 17 उथले ट्यूबवैल, सोलर सिस्टम सहित 02 बोरवेल एवं 13 हैण्डपंप लगाए गए।
- स्वयं सहायता समूह सदस्यो को, श्रम में कमी लाने हेतु 3 पेट्रोल चालित पंप सेट, 80 स्प्रे मशीनें एवं 65 सिचाई पाईप रोल प्रदान किए गए।
- पर्यावरण सुधार हेतु, 10 सोलर संचालित स्ट्रीट लाईटों की स्थापना की गई एवं 30 सोलर एलईडी लाईटे प्रदान की गई।
- 15 स्वास्थ्य व जागरुकता शिविर एवं 20 पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए।
- आय अर्जन के लिए 10 गरीब परिवारो को सुअर पालन हेतु, 10 इकाईयाँ (प्रति इकाई में धुंघरु नस्ल के 04 वराह के शिशु) प्रदान किए गए। गरीब परिवारो की आय एवं आजीविका अर्जन हेतु एक वैकल्पिक स्रोत विकसित किया गया हैं।

परिणाम

- कुँओं और ट्यूबवैल के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण अब किसान 2 से 4 बार अपनी फसलों को अतिरिक्त सिंचित करने लगे हैं। बंदगोभी, टमाटर, मटर, आलू, पपीता, स्ट्राबेरी आदि की नयी फसलों का परियोजना क्षेत्र में प्रचलन हुआ है।
- किसानों ने विकसित जल संसाधन सुनिश्चित किये हैं, जो सिंचाई के तहत अतिरिक्त क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। इन संसाधनों ने दूसरी फसल की खेती में भी मदद की है जिससे फसल क्षेत्र और फसल तीव्रता में भी वृद्धि हुई है।
- सभी परियोजना गांवों में संस्थागत रूप देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनकी तत्काल जरूरतों को पूर्ण करने और लघु उद्यमों की स्थापना के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- विभिन्न आयजनित गतिविधियों और लघु–उद्यमों के माध्यम से आय में वृद्धि हुई है जिससे, सदस्यों की आत्मनिर्भरता में बढ़ोत्तरी हो रही है।
- जागरूकता कार्यक्रमों के कारण, सामाजिक बुराइयों को कम करने और आजीविका में सुधार करने में समुदाय को मदद हो रही है।
- किसान उच्च पैदावार देने वाली किस्मों और नकदी फसलों की खेती करने लगे हैं जिससे, किसानों को अधिक उत्पादन और आय के कारण उनकी आजीविका बेहतर हो रही है।

**Progress**

- Under Environment Development, 4,350 Papaya, Coconut and Strawberry saplings have been planted.
- 8 Training programmes for skill development on Proper Functioning & Management of Groups, Record keeping etc for SHGs have been organised.
- Gadgets such as 7 Masala Grinding Machines, 2 Rice Shellers have been provided and 149 Poultry Units (25 Chicks in each unit) have been established along with feed, feeder box, vaccination kits and water pots provided to poor families for income generation.
- 1,55,000 fingerings of Rohu, Catla and Silver Carp species have been provided to poor families for fish farming in village ponds.
- 1,236 Kits HYV Vegetable seed, 510 Kits HYV Pulses & Oil Seed Crops Seed have been provided to 1,746 farmers. Moreover, 382 Kits of IFFCO Water Soluble fertilizers & Bio-fertilisers have also been provided for increasing crop yield.
- For Promotion of Nano Liquid Urea, 1,032 bottles of IFFCO Nano Liquid Urea (Liquid) have been provided to 1,032 farmers, which will be helpful in reducing production costs, improvement in soil health and environment conservation.
- Water Resource Development has been carried out and 17 Shallow tubewells, 2 Bore-Wells with solar system and 13 handpumps have been installed.
- 3 Petrol operated Pump Sets, 80 Spray Machines and 65 Rolls of Irrigation Pipe have been provided to SHG members for drudgery reduction.
- For Environment Up-gradation, 10 Solar Street Lights have been installed and 30 Solar LED Lights have been provided.
- 15 Health & Awareness Camps and 20 Veterinary Camps were organised.
- For Income Generation, 10 Piglets Units (4 Ghungroo breed Piglets in each unit) were provided to 10 poor families. An alternate source for generating income and livelihood for the poor families has been developed.

**Outcome**

- Due to increase in water availability in the nearby wells and tube wells, farmers are now able to provide 2-4 times more irrigation to their crops. New crops i.e. Cabbage, Tomato, Peas, Potato, Papaya, Straw Berry etc have been introduced in the project area.
- Farmers have assured with developed water resources which helps in increasing additional areaunder irrigation. These resoures have also helped in cultivation of second crop thereby, the cropped area and cropping intensity also increased.
- All the project villages are institutionalized through Self Help Groups (SHG) by providing financial support for addressing immediate needs and setting up of Micro-enterprises
- Enhanced income of members through various Income Generation activities and Micro-enterprises is leading towards their self-reliance.
- Awareness generation has helped in minimising social evils and improving livelihoods of the community.
- Farmers have started cultivating High Yield Varieties (HYV) and cash crops for more production and income leading to better livelihoods.

# आजीविका उद्यम विकास परियोजना (एल.ई.डी.पी.)

आईएफएफडीसी द्वारा नाबार्ड के सहयोग से आजीविका उद्यम विकास परियोजना–सागर एवं सतना (म.प्र.) का क्रियान्वयन सुरखी घाना, जिला सागर और अमरीती, ब्लॉक मझगवाँ, जिला सतना (म.प्र.) किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य स्थिर आजीविका हेतु उद्यम विकास करना है। प्रमुख गतिविधियों की प्रगति इस प्रकार है:

- कौशल विकास के लिए सतना (म.प्र.) में सिलाई पर 15 दिनों की अवधि के 02 प्रशिक्षण पूरे कर लिए गये है। जिसके परिणामस्वरूप 60 महिलाओं को कपड़ा सिलाई कार्य में प्रशिक्षित किया गया है।
- 60 प्रशिक्षित सदस्यों को सिलाई के टूल किट प्रदान किए गए। कुछ महिलाओं ने अपने घरो पर कपडे की सिलाई का काम शुरू कर लिया है और अपनी आजीविका के लिए आय अर्जित कर रही हैं। इन्हें स्कूल की यूनिफार्म सिलने हेतु सरकारी स्कूलों से भी जोडा गया है।
- ग्राम अमरीती, सीधा, गगवा, व सिला में 5 स्वयं सहायता समूह सदस्यो को मध्यांचल ग्रामीण बैक, बिरसिंहपुर और करोही शाखा से लघु–उद्योग प्रारंभ करने हेतु 3 लाख रुपये का का ऋण प्रदान कराया गया।

नाबार्ड – आजीविका उद्यम विकास परियोजना, सतना (मध्य प्रदेश) अंतर्गत सिलाई कौशल विकास प्रशिक्षण

# Livelihood Entrepreneurs Development Project (LEDP)

The Livelihood Entrepreneurship Development Projects-Sagar and Satna (M.P.) are being implemented by IFFDC with the support from NABARD in the area of Surkhi Ghanna, Dist. Sagar and Amiriti, Block Majhgawan, Dist. Satna (M.P.). The objective of the project is to develop entrepreneurs for sustainable livlelihood. The progress of major activities is as follows:

- For Skill Development, two 15 day training programmes on tailoring have been completed in Satna (M.P.) resulting in 60 women being trained in stitching of clothes.
- Tool Kits of tailoring have been provided to the 60 trained members. Some women have started clothes stitching work at home and are generating income for their livelihood, also linking with Government Schools for stitching of School uniforms.
- 5 Self Help Groups in village Amirit, Sidha, Gugwa and Sleha have obtained credit linkages of Rs. 3 Lakhs from Madhyanchal Gramin Bank, Birsinghpur and Karigohi for initiating microenterprises.

Credit Linkage developed for Self Help Group Members with Madhyanchal Gramin Bank, Sagar (Madhya Pradesh) for setting-up Micro-enterprises

# सार्वभौमिक अवधान

ऐसे अवधान एवं गतिविधियाँ जो आई.एफ.एफ.डी.सी. की अधिकांश परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं उन्हें "सार्वभौमिक अवधानों" के तहत् रखा गया है, जो निम्नानुसार हैं:–

## अ. सामुदायिक संस्थाएं

सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों (सी.पी.आर.) के सफलतापूर्वक प्रबन्धन एवं परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के उपरान्त भी, विकास की प्रक्रिया को जारी रखने हेतु, स्थायी तन्त्र विकसित करने के क्रम में सामूहिक कार्यवाही के लिए क्षमता निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी विकासात्मक गतिविधियों को संस्थागत रूप देने हेतु सामुदायिक संस्थाओं के संवर्द्धन की नीति को विवेकपूर्ण तरीके से अपनाया है। विकसित किये गये अभिनव समूह सहकारिता की अवधारणा पर आधारित हैं। परन्तु, इनका नामकरण उनके उद्देश्य, जिसके लिए उन्हें विभिन्न परियोजना के अन्तर्गत गठित किया गया, के अनुसार किया गया है। इस प्रकार की सामुदायिक संस्थाऐं जैसे कि, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.), कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), आजीविका समितियाँ (एल.सी.), कृषक क्लब, वाड़ी समूह, स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), ग्राम जलग्रहण विकास कमेटी (वी.डब्ल्यू.डी.सी.) आदि हैं।

### प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. स्वयं एक सहकारी संस्था होने के नाते सहकारिता की ताकत से भलीभाँति परिचित है जो, स्थानीय स्तर की संस्थाओं को बनाये रखने, उनका विकास करने में तथा परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के पश्चात् भी विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। सामुदायिक संस्थाएं, समुदाय की उनके वातावरण में आजीविका को सुनिश्चित करने एवं संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र एवं अवसर प्रदान करती हैं।

विभिन्न परियोजनाओं के तहत विकसित एवं पोषित सामुदायिक संस्थायें:

| क्र.सं. | सामुदायिक संस्थायें | कुल संख्या | कुल सदस्य |
|---|---|---|---|
| 1. | पी.एफ.एफ.सी.एस. | 151 | 19,118 |
| 2. | पी.एल.डी.सी.एस. | 14 | 1,788 |
| 3. | स्वयं सहायता समूह | 1900 | 19,451 |
| 4. | किसान क्लब | 258 | 2,599 |
| 5. | वाडी समूह / टुकडी | 180 | 2,475 |
| 6. | जल उपभोक्ता समिति | 189 | 2,508 |
| 7. | ग्राम जलग्रहण समिति | 69 | 785 |
| 8. | कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) | 88 | 51,067 |
| 9. | आजीविका स्वायत्त सहकारी समिति (एल.सी.) | 11 | 6,044 |
| | **कुल योग** | **2,860** | **1,05,835** |

- वर्ष के दौरान 50 सदस्यों को जोड़कर 4 नये स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) व 10 कार्यकारी सदस्यों की एक ग्राम जलग्रहण विकास समिति का गठन किया गया जिनका पोषण किया जा रहा है।

# CROSS CUTTING INTERVENTIONS

Interventions and activities which are common to most of the IFFDC projects have been placed under the thematic area "Cross Cutting Interventions" which are as under: -

## A. Community Institutions

Building capacity for collective action is crucial for the successful management of Common Property Resources (CPR) and to provide sustainable mechanisms for continuing the development process after withdrawal of project based interventions. IFFDC has consciously adopted the policy of promoting Community Institutions for institutionalizing its development interventions. The promoted groups are strongly rooted in the cooperative principles but differently named depending on the purpose for which formed, under its different projects viz: Primary Farm Forestry Cooperatives Societies (PFFCS), Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS), Farmer Producers Organisation (FPOs), Livelihood Collectives (LCs), Farmer Clubs, Wadi Groups, Self Help Group (SHG), Village Watershed Development Committees (VWDC) and so on.

### PROGRESS

Being a Cooperative itself, IFFDC believes strongly in the strength of 'cooperative action' to uphold institutions at the local level and to provide support to the development process and help them sustain after withdrawal of the project. Community Institutions provide institutional mechanisms and opportunities for collective management of resources.

Community Institutions Developed and Nurtured under different Projects :

| S.No. | Community Institutions | Total No. | Total Members |
|---|---|---|---|
| 1. | PFFCS | 151 | 19,118 |
| 2. | PLDCS | 14 | 1,788 |
| 3. | SHG | 1,900 | 19,451 |
| 4. | Farmer Clubs | 258 | 2,599 |
| 5. | Wadi Groups/Tukdi | 180 | 2,475 |
| 6. | Water User Committee | 189 | 2,508 |
| 7. | Village Watershed Committee | 69 | 785 |
| 8. | Farmers Producers Organisation (FPO) | 88 | 51,067 |
| 9. | Self Reliant Livelihood Coop. Society (LC) | 11 | 6,044 |
| | **Total** | **2,860** | **1,05,835** |

- During the year, 4 new Self Help Groups (SHGs) consisting of 50 members and 1 village Watershed Development Committee (VWDC) with 10 Executive members have been formed are being nurtured.

## ब. जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण

सभी परियोजनाओं के अन्तर्गत जेंडर को मुख्य धारा से जोडना एवं महिला सशक्तिकरण के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. का दृष्टिकोण विद्यमान गतिविधियों में केवल 'महिला घटक' को जोड़ना या 'जेंडर समानता घटक' ही नहीं है अपितु, महिला भागीदारी को बढ़ाने, उनमें अनुभव, ज्ञान व विकास के मुद्दों पर महिला एवं पुरुषों में रुचि पैदा करने से कहीं अधिक है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से असमान सामाजिक एवं संस्थागत संरचनाओं को समान एवं महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए, उनकी अपनी संरचनाओं के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में किए गये प्रयासों को सभी परियोजनाओं में सार्वभौमिक रूप से 'जेंडर को मुख्य धारा से जोडना एवं महिला सशक्तिकरण' के अन्तर्गत रखा गया है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,900 स्वयं सहायता समूहों का पोषण किया जा रहा है। जिनकी कुल सदस्यता 19,451 है, जिनमें 94 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। इन समूहों ने अभी तक कुल 584.53 लाख की बचत करके सदस्यों ने आपस में 218.76 लाख का ऋण वितरित किया। स्थानीय बैंक भी इन समूहों को लघु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिनसे सदस्यों की चिरन्तर आजीविका सुनिश्चित हो रही है। इन समूहों को नियमित बैठक, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषित किया जा रहा है। 336.23 लाख रुपये की राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में 'सूक्ष्म–वित्त–प्रक्रिया' सहयोग हेतु चक्रीय कोष संचालित किया जा रहा है।

परियोजना क्षेत्र में, महिलाओं में कौशल विकास व अतिरिक्त आय अर्जन के लिए और अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए "नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन – इंडिया" (निफी), सीबार्ट, ट्राईफेड की उन्नत तकनीकियाँ जैसे हैंडलूम उत्पादों की बुनाई, बाँस के फर्नीचर / उत्पाद निर्माण, सेनेटरी नेपकिन निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, मसाला प्रसंस्करण, दिया–बाती निर्माण, पेपर प्लेट निर्माण, सुपारी के पत्तों से प्लेट निर्माण, ब्यूटीशियन, हेयर कटिंग, लाख के सामान बनाना, चाँदुआ निर्माण, कृत्रिम आभूषण निर्माण, मधुबनी पैंटिंग, एल.ई.डी. बल्ब निर्माण, कम्प्यूटर ऑपरेशन आदि अपनाई गई। इसके अलावा, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड व बी पॉजिटिव कं. के तकनीकी सहयोग से मधुमक्खी पालन इकाइयाँ स्थापित की गईं। मधुमक्खी पालन इकाईयों से महिलाओं के आय–अर्जन में वृद्धि हो रही है।

वानिकी समिति सिंदेसर कलाँ, राजसमन्द (राजस्थान) के सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

## B. Gender Mainstreaming & Women Empowerment

IFFDC's approach to mainstreaming gender and women empowerment in all its projects is not about adding merely a 'woman's component' or even a 'gender equality component' into an existing activity. It goes beyond increasing women's participation, bringing the experience, knowledge, and interests of women and men to bear on the development agenda. Its efforts for empowering women through transforming unequal social and institutional structures into equal and just structures for both men and women are an essential feature of all IFFDC interventions and constitute the cross cutting thematic area 'Gender Mainstreaming and Women Empowerment.

### PROGRESS

IFFDC is nurturing 1,900 SHG with a total membership of 19,451 of which 94% are women. The cumulative savings of these groups has reached Rs. 584.53 lakh. Loans taken by members are around Rs. 218.76 lakh. The local banks are also providing financial assistance to them for initiating micro-enterprises for sustainable livelihood development. These SHG are being nurtured through Regular Meetings, Skill Development and Capacity Building Programmes. Furthermore, the revolving fund amounting to Rs. 336.23 lakh has been operationalised for facilitating Micro-Credit Mechanism in the rural areas.

To develop skill and open new avenues of income generation to the women members, the innovative technologies of "National Innovation Foundation - India" (NIFI), CIBART, TRIFED etc are being mobilised. The income generating activities suc as Handlooms items weeving, Bamboo furniture/Products making, Sanitary Napkin Manufacturing, Agarbatti Making, Spices Processing, Wick making, Paper Plates manufacturing, Arecanut leaves plates manufacturing, Beautician, Hair Cutting, Lac Items Making, Applique work, Artificial Ornaments Making, Madhubani Painting, LED Bulbs Making, Computer Operation etc. have been adopted in the project area. Moreover, the Bee-keeping units setup with the technical guidance of National Bee Board and Bee Positive Co. are resulting in additional income generation.

Skill Development on Handloom Items weaving for SHG women members for income generation under IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project-Muzaffarpur (Bihar)

स्वयं सहायता समूहों के अलावा, अन्य सामुदायिक संगठनों जैसे–प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ, प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ, ग्राम जलग्रहण विकास कमेटी, आजीविका स्वायत्त सहकारी समितियाँ इत्यादि में भी महिलाओं की सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु निम्न गतिविधियाँ आयोजित की गयीं।

महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने सम्बन्धी गतिविधियों का विवरण:

| क्र.सं. | गतिविधियाँ | उपलब्धि (संख्या) |
|---|---|---|
| 1. | स्वास्थ्य चिकित्सा व स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम (सं.) | 312 |
| 2. | पीने का स्वच्छ जल सहयोग (परिवार सं.) | 5,911 |
| 3. | धूम्ररहित चूल्हा निर्माण (परिवार सं.) | 2,788 |
| 4. | महिला विकास गतिविधियाँ (सं.) | 338 |
| 5. | शौचालय/स्नानघर निर्माण (परिवार सं.) | 378 |
| 6. | महिला श्रम बचत गतिविधियाँ (सदस्य सं.) | 1,849 |
| 7. | मधुमक्खी पालन इकाईयाँ – 5 बॉक्स प्रति इकाई (सं.) | 92 |
| 8. | आय अर्जन गतिविधियाँ (सदस्य सं.) | 1,496 |

### परिणाम

- स्वयं सहायता समूह तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर महिलाओं के सामरिक हितों के समाधान से उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद कर रहे हैं। उन्नत कृषि से सम्बन्धित मुद्दों के अलावा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं, कार्यात्मक साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, बाल विवाह, अनियोजित परिवार, कम उम्र में गर्भधारण, सामाजिक शोषण तथा शराब, जुंआ, तम्बाकू आदि की लत जैसी सामाजिक बुराईयों की पहचान कर उनका उपयुक्त समाधान कर रहे हैं।
- सौर ऊर्जा आधारित पेयजल फिल्टर इकाईयाँ, सौर स्ट्रीट लाईट, सौर होम लाईट महिलाओं के कठिन श्रम को कम करके जीवन को आसान बनाया है।
- कौशल विकास से स्वयं सहायता समूह में सम्बद्धता, स्वामित्व और समुदाय के बीच अपनेपन की भावना पैदा हुई है।
- वर्तमान में सभी परियोजना गांव स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संस्थागत सहभागी योजना निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
- महिला श्रम में कमी हेतु आयोजित की गयी गतिविधियों से उनकी मेहनत व समय में बचत हुई। इस बचत के समय को महिलाऐं स्वयं के विकास व आय अर्जन में उपयोग कर रही हैं।
- शौचालय/स्नानघर निर्माण से खुले में शौच व नहाने की प्रवृत्ति में कमी आयी है। लड़कियाँ व महिलाऐं अब स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं जिससे, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। निर्मित स्नानघरों को महिलाओं ने "इज्जत घर" का नाम दिया है जिससे इनकी अति आवश्यकता व उपयोगिता प्रदर्शित होती है।
- नयी तकनीकी जैसे बायो–डाईजेस्टर शौचालय के प्रयोग से मानव विष्टा पूर्ण तरह से विघटित हो जाती है, परिणामस्वरूप भू–जल की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। अन्ततोगत्वा, इससे भारत सरकार के कार्यक्रम "स्वच्छ भारत अभियान" में योगदान करने में सहायता मिलती है।
- आय अर्जन गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र में चिरन्तर आजीविका सृजन में सहयोग हो रहा है तथा उद्यमी महिला सदस्यों की भूमिका उनके परिवार में और अधिक मजबूत हुई है।

Apart from Self Help Group formation, women membership is also encouraged in Community Based Organisations such as PFFCS, PLDCS, VWDC, LCs etc. During the year following activities were undertaken for Gender mainstreaming.

Details of Gender mainstreaming related activities:

| S. No. | Activities | Achievement (Nos.) |
|---|---|---|
| 1. | Health Checkup & Sanitation Awareness Programme (No.) | 312 |
| 2. | Safe Drinking Water (No. of Families) | 5,911 |
| 3. | Construction of Smokeless Chulha (No. of Families) | 2,788 |
| 4. | Women Development Activities (No.) | 338 |
| 5. | Toilets/Bathrooms Construction (No. of Families) | 378 |
| 6. | Women Drudgery Reduction Activities (No. of Members) | 1,849 |
| 7. | Bee-keeping Units - 5 Boxes per unit ( No.) | 92 |
| 8. | Income Generation Activities (No. of Members) | 1,496 |

**Outcome**

- Self Help Groups (SHG) are helping in addressing the fulfillment of immediate needs as well as the strategic interests of women and helping to bring them into the mainstream. SHG are also discussing their problems related to health, functional literacy, education of children, child marriage, unplanned family, early age pregnancy, social exploitation and social evils like addiction to alcohol, gambling, tobacco consumption etc. and are identifying suitable solutions for their problems.
- Solar based drinking water filter units, Solar Street Lights, Solar Home Lights are made the life easy to women by reducing drudgery.
- Skill Development of SHG has generated income and created a sense of cohesiveness, ownership and belongingness amongst community members.
- SHG have been institutionalized in all project villages at present, which is ensuring that the women and marginalized communities are actively involved in the participatory planning and implementation exercises.
- The women drudgery reduction activities helped in saving time and labour of the women. The women are utilising the saved time in their own development & income generation.
- Open defecation and bathing is reduced due to construction of toilets/bathrooms. Girls and women are feeling safe which has helped in improving their self-esteem. The bathrooms are named as "Izzatghar" by the women which reflects the necessity and usefulness of the bathrooms.
- Use of new technology i.e. Bio-Digester Toilets helped in total decomposition of human waste consequently the quality of ground water does not deteriorate ultimately it contributes significantly to the agenda of Government of India for "Swachh Bharat Abhiyan".
- Income generating activities helping in sustainable livelihood in rural area and the role of entrepreneur women in their families has increased.

## स. क्षमता निर्माण

आई.एफ.एफ.डी.सी. में क्षमता निर्माण एक सार्वभौमिक अवधान के रूप में आवश्यक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। जिससे, संस्था के कर्मियों/भागीदारों के प्रायोगिक ज्ञान, दक्षता एवं मनोभावों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपने प्रशिक्षणों में, निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन अथवा प्रशिक्षण प्रणाली दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण में धारणा प्रणाली के प्रयोग से अनवरत परिवर्तित हो रहे वातावरण में प्रयोग की जा सकने वाली आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सामग्रियों का नियमित विकास सुनिश्चित हो जाता है।

### प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने स्थानीय लोगों को परिवर्तनकारी भूमिकाओं के संवारने पर जोर दिया– वह भूमिकाएँ जिनका उद्देश्य व्यक्तियों एवं समूहों का क्षमता निर्माण है। इन भूमिकाओं में उद्यमिता विकास, वानिकी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों, ग्राम जलग्रहण विकास समितियों एवं अन्य समूहों का प्रबंधन तथा ग्राम स्तर पर स्थानीय सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षणों से कौशल विकास शामिल है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए कौशल विकास पर 40 प्रशिक्षण, 18 एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन किया गया।

### परिणाम

- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों ने जागरूकता सृजन, कौशल और ज्ञान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो परियोजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन, लघु उद्योग स्थापना और समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित करने में मदद करता है जो अवधानों की समग्र स्थिरता में मदद करता है।
- स्थानीय स्तर के 200 से अधिक सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित कर पैरा–प्रोफेशनल जैसे कृषक मित्र, जानकार, स्वयं सेवकों/कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स, समूह प्रेरक, इत्यादि का कौशल निर्माण किया।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।

वानिकी समिति, पड़रिया, जिला सागर (मध्य प्रदेश) में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कृत्रिम आभूषण निर्माण पर कौशल विकास

## C. Capacity Building

Capacity building, essentially an organised process of providing systematic inputs to personnel/ stakeholders that results in acquisition of practical knowledge, skills and attitudes, is another cross cutting component that IFFDC places great emphasis on.

IFFDC's use of System Approach to Training ensures that training programs and the required support materials are developed continuously to adapt to the variety of needs and rapidly changing environment.

### PROGRESS

The IFFDC has laid emphasis on grooming people from the community for performing transformational roles that aim at capacity building of groups and individuals. These roles include entrepreneurship and management skills of PFFCS, SHGs, FPOs, Village Watershed Development Committee and other groups and village level local service providers. During the year, 40 trainings on Skill Development and 18 Exposure Visits were organised.

### Outcome

- Capacity building programmes have played a crucial role generating awareness, developing skill & knowledge which helped in smooth implementation of projects, initiating micro-enterprises and inculcating a sense of ownership in the community that helps in turn in the overall sustainability of interventions.
- A cadre of more than 200 local-level service providers are trained and groomed as para-professionals such as Krishakmitras, Jankars, volunteers / community facilitators group motivators, etc. and are involved in skill up-gradation of the community.
- Involvement of women in the training programmes has helped in instilling a sense of confidence in these women.

Skill Development Training to Women Members on Lac Items Making for income generation at Jaitpur Kachhya Forestry Cooperative, Distt. Sagar (Madhya Pradesh)

अन्य

- आई.एफ.एफ.डी.सी. का एक लेख "महिला सशक्तिकरण के प्रयास" पर "दी कोऑपरेटर" पत्रिका मे प्रकाशित हुआ। इस पत्रिका का विमोचन, दिनाँक 15/11/2022 को माननीय सहकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री.बी.एल.वर्मा द्वारा 69वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह (नवम्बर 14 –20, 2022) के उद्घाटन समारोह के अवसर पर किया गया।
- 28 मई, 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इफको कलोल (गुजरात) मे विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर आई. एफ.एफ.डी.सी ने 17 राज्यों में भौतिक रूप से 1,993 स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमे कुल 1,53,472 किसानों, वानिकी सदस्यों, आदिवासियों, कृषक महिलाओं, एस.एच.जी. महिला सदस्य, बीज उत्पादक किसान और आई.एफ.एफ.डी.सी फ्रेचाइजी ने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा।
- अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ–एशिया प्रशान्त की उपभोक्ता कमेटी, आई सी वाय सी तथा वानिकी कमेटी के संयुक्त तत्वावधान मे आयोजित "वन के लिए हम क्या कर सकते है" विषय पर वेबिनार मे 10 एशियाई देशों के सदस्यों ने भाग लिया। श्री. एस. पी.सिंह, प्रबंध निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी ने आई.एफ.एफ.डी.सी वानिकी परियोजना और "एस.डी.जी. 13–क्लाईमेट एक्शन" पर प्रस्तुतिकरण किया।
- जिला बारां (राजस्थान) मे आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों, द्वारा तैयार की गई 705 बेडशीट्स इफको एफ.एम.डी.आई को 5 माह की अवधि मे आपूर्ति की गई है।
- गो ग्रीन कैंपेन 4.0 विषय #केवलएकपृथ्वी# के 4 संस्करण को मनाने के दौरान आई.सी.वाई.सी, अंगकासा, मलेशिया और अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ–एशिया प्रशान्त की वानिकी व उपभोक्ता कमेटियों द्वारा आयोजित वेबिनार मे श्री. एस.पी. सिंह प्रबंध निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा "एकीकृत जलगहण विकास कार्यक्रम" पर एक प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें 12 देशों के सदस्यों ने भाग लिया और आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा "एसडीजी–13 क्लाईमेट एक्शन" पर किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया (तरल) उत्पादन संयंत्र इफको कलोल (गुजरात) के उद्घाटन कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को 17 राज्यों में ऑनलाईन माध्यम से 1.53 लाख ग्रामीण समुदाय को 1933 क्षेत्र कार्यक्रम आयोजित कर दिखाया गया

### Other

- An article on "Efforts of IFFDC as a Cooperative for Women Empowerment" was published in "The Cooperator" released on 15/11/2022 by Shri B.L. Verma, Hon'ble Minister of State (Cooperation), Government of India on the occasion of the inauguration of the 69th All India Cooperative Week (November 14-20, 2022).
- On the occasion of the inauguration of the World's First Nano Urea Plant at IFFCO Kalol (Gujarat) by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi Ji held on 28th May, 2022, IFFDC organised 1,933 physical field level programmes in 17 States. A total 1,53,472 farmers, Forestry Cooperative Members, Tribals, Farm Women, SHG Women Members, Seed Farmers and IFFDC Franchise viewed the live telecast of the event.
- At the Webinar on the topic "What We Can Do For Forests" organised by JCCU ,collaborating ICA-AP committees Consumer, ICYC & Forestry Committee Members from 10 Asian countries participated, Mr. SP Singh, MD, IFFDC made a presentation on IFFDC Forestry Project & Efforts on SDG 13 - Climate Action.
- 705 Bed sheets prepared by IFFDC promoted Self Help Groups in Baran District (Rajasthan) have been supplied to IFFCO-FMDI in 5 months duration.
- A presentation on "IFFDC's Integrated Watershed Development Programme" was made by Mr. SP Singh MD, IFFDC in a webinar organized by ICYC, ANGKASA, Malaysia, ICA-AP Committees on Forestry & Consumer at the celebrations of the 4th edition of Go Green Campaign 4.0 on the theme #OnlyOneEarth. Members from 12 countries participated & appreciated IFFDC work on SDG - 13 Climate Action.

Managing Director, IFFDC made presentation on "IFFDC's Integrated Watershed Development Programme" in webinar organized by ICYC, ANGKASA, Malaysia, ICA-AP Committees on Forestry & Consumer. Members from 12 countries participated & appreciated IFFDC work on SDG - 13 Climate Action.

# बीज एवं अन्य कृषि आदान

## (अ) बीज

बीज कृषि उत्पादन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं क्रांतिक आदान है जिस पर अन्य कृषि आदानों की कार्य क्षमता एवं प्रभाव बहुत हद तक निर्भर करता है। भिन्न–भिन्न फसलों में केवल सही बीज के प्रयोग से ही फसल उत्पादन में 15–20 प्रतिशत की वृद्धि संभव है तथा बीज के साथ अन्य कृषि आदानों के बेहतर प्रबंधन से फसल उत्पादन को 45 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि–जलवायु परिस्थितियों में अधिक उत्पादन देने वाले बीज की समुचित मात्रा उचित मूल्य पर उपलब्ध होना आवश्यक है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निरन्तर बढ़ोत्तरी के लिए नई व उन्नतशील किस्मों के बीजों का विकास अत्यन्त आवश्यक है जिससे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यह साबित हो चुका है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भविष्य में खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापना दर (सीड रिप्लेसमेंट रेट) को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे देश में अधिकतर किसानों को आज भी अच्छी गुणवत्ता का उन्नत बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी घर के बीजों को ही प्रयोग में ले रहे हैं। फसल की अधिक उपज हेतु गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता पूर्व अपेक्षित है।

इस समस्या के समाधन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. ने 'किसान केन्द्रित' बाजारोन्मुखी बीज उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों के खेतों में आई.एफ.एफ.डी.सी. व राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था (एस.एस.सी.ए.) के तकनीकी पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन किया जा रहा है। बीज उत्पादन कार्य में रुचि रखने वाले व आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन के मापदण्डों को पूरा करने वाले किसानों को 'बीज उत्पादक समूहों' (एस.जी.जी) के रूप में संगठित कर उनमें उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन की क्षमता को विकसित किया जा रहा है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा स्वयं के अथवा किराये के प्रसंस्करण संयंत्रों पर अपने पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन के तकनीकी पहलुओं के अनुरूप प्रसंस्करण किया जाता है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित करवाने के पश्चात् सहकारी बिक्री तन्त्र के माध्यम से बीज किसानों को विपणन किया जाता है।

लाखा, इटावा (उत्तर प्रदेश) में मूँग की किस्म विराट का बीज उत्पादन

# SEED & Other Agri-Inputs

## (A) SEED

Seed is the critical determinant of agricultural production on which depends the performance and efficacy of other inputs. Seed itself can potentially raise total production by about 15% - 20% depending upon the crop and further up to 45% with efficient management of other inputs. Quality seeds appropriate to different agro-climatic conditions and in sufficient quantity at affordable prices are required to raise productivity. Availability and use of quality seeds is not a one time affair. Sustained increase in agriculture production and productivity necessarily requires continuous development of new and improved varieties of crops befitting to the needs of the farmers and efficient system of production and supply of seeds to farmers.

It has become evident that in order to achieve the food security in future for growing population, a major effort will be required to enhance the seed replacement rates of various crops. Many of the farmers in the country have little or no access to improved seed and continue to use the Farm Saved Seeds (FSS) generation after generation. For a good crop harvest, availability of quality seeds is a prerequisite.

To address this problem, the IFFDC has initiated a 'farmer centric', market driven Seed Production Programme. Seed is being produced on farmer's fields under technical supervision of IFFDC and the State Seed Certification Agencies (SSCA). Interested farmers fulfilling the criteria of "IFFDC Seed Production Guidelines" are organised into "Seed Grower Groups" (SGG) and their capacities are built for seed quality control alongwith technical aspects of seed production. The seed is then processed either in IFFDC's own processing plants or hired processing plants under its supervision as per the "Seed Certification Standards". After certification by the SSCA, the seed is being marketed to the farmers through the existing cooperative network.

Produced bumper crop with Hybrid Paddy Seed (RH Super 444) of IFFDC at demonstration undertaken in Distt. Satna (Madhya Pradesh)

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता बढ़ाने व कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बीज उत्पादन तथा विपणन कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान बीज उत्पादन कार्यक्रम में सत्तरह नई किस्में एवं 2 नई फसलों को जोड़ा गया है। 18 किलोवाट क्षमता की पहली सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई बीज प्रसंस्करण इकाई, दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) में एवं 15 किलोवाट क्षमता की दूसरी सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई बीज प्रसंस्करण इकाई, रामपुराफुल, भटिंडा, पंजाब में स्थापित की गई।

अधिक से अधिक कृषकों को बीज उत्पादन प्रणाली से जोड़ने के लिए, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों के साथ प्रभावी संवाद के लिए 'बीज उत्पादक समूह' के गठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे, उनमें क्षमता विकास हो व गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढावा मिले। इन बीज उत्पादक समूहों को नियमित बैठकों, प्रशिक्षणों व जागरूकता लाने वाली गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन के लिये आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी स्वयं की आन्तरिक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली विकसित की गई है जिसके तहत, विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बीज स्त्रोंतों का प्रबंधन, बुवाई, खड़ी फसल में की जाने वाली शस्य क्रियायें, कटाई उपरान्त गतिविधियाँ, प्रसंस्करण व प्रमाणीकरण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि के समय निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा बीज के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति तथा बीज उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के कार्य में योगदान किया।

### संपर्क (लिंकेज) विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जनक एवं आधार बीजों के क्रय के लिए भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य बीज निगमों व अन्य सस्थानों के साथ तथा उत्पादित बीज के प्रमाणीकरण के लिए राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित किये गये हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. को सात केन्द्रीय बीज उत्पादक एजेंसियों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। केन्द्रीय बीज उत्पादक एजेंसी के रूप में आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की दलहन, पोषक अनाज एवं तिलहन योजनाओं के अंतर्गत अपनी सेवायें प्रदान कर रही है। यह योजना मुख्य रूप से प्रजनक बीज खरीद, आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन एवं मिनीकिट वितरण पर केंद्रित है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा पोषक अनाज (ज्वार एवं संकर बाजरा) का तेलंगाना में बीज उत्पादन प्रक्षेत्र

IFFDC has undertaken Seed Production and Marketing in the states of Uttar Pradesh, Uttrakhand, Haryana, Punjab, Jammu, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Odisha, Chattisgarh, Jharkhand and Himachal Pradesh to increase availability of quality seed and thus enhance agricultural productivity. 17 new varieties and 2 new crops have been added in the Seed Production Programme during the year 2022-23. The first Solar Power Generation Unit of 18 KW capacity has been established at SPU, Durjanpur, Hisar (Haryana) and Second Solar Power Generation Unit of 15 KW capacity has been established at SPU, Rampuraphul, Bhatinda (Punjab).

To bring farmers under the ambit of the Seed Production System, IFFDC is focusing on formation of Seed Growers Groups (SGG) for effective communication with the farmers, helps in capacity building and also ensure quality seed production. These SGGs are being nurtured through regular meetings, training and other awareness creating activities. For ensuring the quality of seeds produced, the IFFDC has an inbuilt Internal Quality Control (IQC) System which involves inspection and control at various critical stages viz. arranging seed sources, sowing, field/crop level, post-harvest, processing, certification, packaging, storage, transportation etc. Wider publicity of IFFDC seeds is being undertaken through organising various activities. IFFDC also contributed towards doubling the farmers income by providing quality seeds and also providing incentives to the seed grower farmers.

**Linkages Development**

IFFDC has developed strong linkages with National Seed Association of India (NSAI), National Seed Corporation (NSC), Agricultural Universities, Research Institutes, State Seed Corporations and other Agencies for procuring Breeder/Foundation Seed and also with the State Seed Certification Agencies for getting Certification of the IFFDC produced seeds. IFFDC has also been recognised as one of the seven central seed producing agencies. As a central seed producing agency IFFDC is delivering its services under different schemes of National Food Security Mission (NFSM) - Pulses, Nutri-Cereals & Oilseeds, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, Govt. of India, New Delhi. These scheme are mainly focused on procurement of Breeder seeds, production of Foundation & Certified Seed and minikit distribution.

Farmer's Witnessing bumper crop at Seed Production Field of Carrot at Rampuraphul (Punjab)

## बीज ग्रेडिंग इकाई , गोदाम एवं बीज परीक्षण प्रयोगशाला

संस्था की ताखा, इटावा (उत्तर प्रदेश), चपरतला, लखीमपुर–खीरी (उत्तर प्रदेश), रामपुराफूल, भटिंडा (पंजाब), दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) तथा कोटा (राजस्थान) में पाँच प्रसंस्करण इकाईयाँ जिनमें समुचित भण्डारण व्यवस्था है, कार्यरत हैं। बीज उत्पादन इकाई चपरतला, लखीमपुर–खीरी (उत्तर प्रदेश) में आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रथम बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई।

### वर्ष के दौरान प्रगति

**(I) उत्पादन**

- खरीफ 2022 के दौरान कुल 22,165 क्विंटल प्रमाणित बीज (16,567 क्विंटल धान, 2,345 क्विंटल मूँग, 1,581 क्विंटल सोयाबीन, 56 क्विंटल उड़द, 1,412 क्विंटल ज्वार एवं 204 क्विंटल बाजरा) का उत्पादन किया गया जो कि खरीफ 2023 में विपणन के लिये उपलब्ध होगा।
- रबी 2022–23 के दौरान लगभग 2.57 लाख क्विंटल उत्पादित प्रमाणित बीज (2.53 लाख क्विंटल गेहूँ, 2,888 क्विंटल चना, 793 क्विंटल जौ, 616 क्विंटल सरसों, 150 क्विंटल बरसीम) रबी 2023–24 में विपणन के लिए उपलब्ध होगा।
- इसी प्रकार, लगभग 10,782 क्विंटल आधार बीज (65 क्विंटल मूँग, 10 क्विंटल धान, 10,343 क्विंटल गेहूँ, 235 क्विंटल चना, 111 क्विंटल जौ एवं 17 क्विंटल तोरिया) आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्पादित किया गया जो कि अगले वर्ष के बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।
- रामपुराफुल, पंजाब में सब्जी बीज उत्पादन के अतिरिक्त सी.एन.–इफको परियोजना भूमि, समराला, पंजाब में भी पहली बार सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया। राज्य में रबी 2022–23 के दौरान, सात सब्जी फसलों का अनुमानित 8,219 किलोग्राम सब्जी बीज का उत्पादन किया गया जिसमें से अनुमानित 5,315 किलोग्राम का उत्पादन सी.एन.–इफको परियोजना भूमि पर किया गया।

**(ii) विपणन**

- खरीफ 2022 के दौरान, कुल 17,745 क्विंटल (10,400 क्विंटल धान, 2491 क्विंटल मूँग, 1,992 क्विंटल संकर धान, 436 क्विंटल संकर बाजरा, 302 क्विंटल बाजरा, 1,677 क्विंटल ज्वार, 70 क्विंटल उड़द, 76 क्विंटल ढैंचा एवं 301 क्विंटल संकर मक्का) बीज की बिक्री किसानों को सहकारी नेटवर्क, आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचायजी एवं इफको ई–बाजार लिमिटेड को ऑनलाईन बिक्री हेतु की गई।
- रबी 2022–23 के दौरान कुल 2.64 लाख क्विंटल (2.54 लाख क्विंटल गेहूँ, 65 क्विंटल जौ, 8,570 क्विंटल चना, 402 क्विंटल संकर सरसों, 393 क्विंटल सरसों, 128 क्विंटल जीरा, 180 क्विंटल बरसीम एवं 556 क्विंटल मटर) बीज को सहकारी नेटवर्क एवं आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचायजी के माध्यम से किसानों को बिक्री की गई।

bQdi uui ;fj;i ij fopij xi"Bh d nkjiu vib-,Q-,Q-Mh-Ih- d v/;{k pk/kjh çgyin flg fxYyi[iM dk {i= d fdlkui dk lci/ku

## Seed Grading Units, Godown & Seed Testing Lab

It's five Seed Processing Units at Takha, Etawah (Uttar Pradesh), Chapartala, Lakhimpur Khiri (Uttar Pradesh), Rampura Phul, Bhatinda (Punjab), Durjanpur, Hisar (Haryana) and Kota (Rajasthan) with sufficient storage facility are in operation. The first IFFDC's Seed Testing Lab has been established at SPU Chapartala, Lakhimpur-Khiri (Uttar Pradesh).

### Progress during the year

#### (i) Production

- During Kharif 2022, total 22,165 qtls Certified Seeds (16,567 qtls Paddy, 2,345 qtls Moong, 1581 qtls Soybean, 56 qtls Urd, 1412 qtls Sorghum and 204 qtls Pearl Millet) have been produced, the same will be available for marketing during Kharif 2023.
- During Rabi 2022-23, approximately 2.57 lakh qtls Certified Seeds (2.53 lakh qtls Wheat, 2,888 qtls Gram, 793 qtls Barley, 616 qtls Mustard and 150 qtls Berseem) produced will be available for marketing during Rabi 2023-24.
- Similarly, approximately 10,782 qtls Foundation Seed (65 qtls Moong, 10 qtls Paddy, 10,343 qtls Wheat, 235 qtls Gram, 111 qtls Barley, 17 qtls Toria) has been produced by IFFDC for further multiplication
- In addition to the Vegetable Seed Production at Rampuraphul, Punjab, for the first time vegetable seed production has been taken up at CN-IFFCO Project Land, Samrala, Punjab. Approximately 8219 kg vegetable Seed of Seven vegetable crops have been produced by IFFDC during Rabi 2022-23 in the State. Out of its approximately 5315 kg has been produced at CN-IFFCO Project Land.

#### (ii) Marketing

- During Kharif 2022, total 17,745 quintals seeds (10400 qtls Paddy, 2491 quintals Moong, 1992 quintals Hybrid Paddy, 436 quintals Hybrid Bajra, 302 quintals Bajra, 1677 quintals of Sorghum, 70 quintals Urd, 76 quintals Dhaincha and 301 quintals Hybrid Maize) has been sold to the farmers through cooperative network, IFFDC Franchisees and IFFCO e-Bazar Ltd. for online sale.
- During Rabi 2022-23, total 2.64 lakh quintals (2.54 lakh quintals Wheat, 65 quintals Barley, 8570 quintals Gram, 402 quintals Hybrid Mustard, 393 quintals Mustard, 128 quintals Cumin, 180 quintals Berseem and 556 quintals Peas) seeds have been sold to the farmers through cooperative network and IFFDC Franchisees.

The foundation stone of Kisan Samridhi Kendra, Durjanpur (Hisar) laid by Chaudhary Prahlad Singh, Chairman, IFFDC

- वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 48,540 किग्रा (5618 किग्रा सब्जी बीज कॉम्बो किट, 38,100 किग्रा मटर, 1,919 किग्रा पालक, 1,003 किग्रा धनिया, 458 किग्रा मूली, 346 किग्रा भिंडी, 319 किग्रा बीन्स, 200 किग्रा मैंथी, 299 किग्रा गाजर, 35 किग्रा लौकी, 34 किग्रा तोरई, 34 किग्रा घीया तोरई, 21 किग्रा तोरई, 9 किग्रा बैंगन, 38 किग्रा कद्दू, 55 किग्रा चुकंदर, 32 किग्रा करेला, 11 किग्रा खीरा, 8 किग्रा फूलगोभी, 1 किग्रा बंद गोभी, 3 किग्रा मिर्च, 8 किग्रा टमाटर, 1 किग्रा शिमला मिर्च, 16 किग्रा तरबूज, 2 किग्रा ककड़ी, 3 किग्रा खरबूजा एवं 1 किग्रा चप्पन कद्दू) सब्जी बीज को आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचाइजियों एवं सहकारी नेटवर्क के माध्यम से किसानों को बिक्री की गई। वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न सब्जी बीजों के 0.92 लाख पैकेटों की बिक्री की गई।

| o"k | Qlyk dh l[;k | idVk dh l[;k | ek=k ¼fdxk½ | % of) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 27 | 1.42 | 48,540 | 176 |
| 2021-22 | 28 | 1.93 | 27,652 | 279 |
| 2020-21 | 24 | 1.25 | 9924 | - |

**बीज उत्पादक समूह (एस.जी.जी.) और बीज प्रचार–प्रसार**

- वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 355 सदस्यों के साथ 17 बीज उत्पादक समूहों का गठन किया गया है।
- कृषक समूहों के सदस्यों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की नई तकनीकियों की जानकारी हेतु कृषि अनुसंधान संस्थानों में आठ और कृषि विश्वविद्यालयों के कृषक मेलों में आठ भ्रमणों का आयोजन किया गया।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. बीज एवं इफको नैनो यूरिया (तरल) के प्रचार–प्रसार के लिए, 39 किसान–दिवसों, 5 फसल संगोष्ठी, 27 विशेष बिक्री अभियानों, बिक्री कर्मियों हेतु 56 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 6,011 वर्ग फुट दीवाल पेंटिंग, 50 ट्रैक्टर–ट्रॉली पेंटिंग, किसान मेलों में 10 प्रदर्शनी स्टॉल तथा विभिन्न स्थानों पर बोर्ड व बैनर आदि लगाये गये।

vkb-,Q-,QMh-lh- i tkc }kjk lh-,u-&bQdk ifj;kstuk dh Hkfe ij fofHkUu lCt;k dk cht mRiknu

- During 2022-23, total 48,540 kg (5618 kg in vegetable seed Combo Kits, 38100 kg Peas, 1919 Kg Palak, 1003 Kg Coriander, 458 kg Radish, 346 kg Okra, 319 kg Beans, 200 Kg Methi, 299 kg Carrot, 35 kg Bottle Gourd, 34 kg Ridge Gourd, 21 Kg Sponge Gourd, 9 kg Brinjal, 38 kg Pumpkin, 55 kg Beetroot, 32 kg Bitter Gourd, 11 kg Cucumber, 8 kg Cauliflower, 1 kg Cabbage, 3 kg Chilli, 8 kg Tomato, 1 kg Capsicum, 16 kg Watermelon, 2 kg Longmelon, 3 kg Muskmelon & 1 kg Summer Squash) vegetable seeds have been sold to the IFFDC KSKs and through cooperative network etc. Total 0.92 Lakh packets of vegetable seeds were sold during the year 2022-23.

| Year | No. of Crops | No. of Packets (Lakh) | Quantity (Kg) | Increase% (Qty) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 27 | 1.42 | 48540 | 176 |
| 2021-22 | 28 | 1.93 | 27652 | 279 |
| 2020-21 | 24 | 1.25 | 9924 | - |

### Seed Grower Groups (SGG) and Seed Publicity

- 17 Seed Grower Groups with 355 members have been formed during 2022-23.
- 8 exposure visits to the Agriculture Research Institutes and 8 visits to the Farmer Fairs of Agriculture Universities have also been organised to expose them to new technologies and practices of quality seed production.
- Wider publicity of IFFDC Seed & IFFCO Nano Urea (Liquid) has been undertaken through organising 39 Field-days, 5 Crop Seminars, 27 Special Sales Campaigns, 56 Sale Personnel Trainings, 6011 Sq. Ft. Wall Paintings, 50 Tractor Trolley Paintings, participating in 10 Exhibition Stalls in Farmers Fairs, displaying boards and banners etc at various places.

IFFDC Board of Directors visited Gillakhera Farm and witnessed Scientifically raised Guava Nursery and other farm activities

## (ब) उर्वरक एवं कृषि रसायन

स्थाई रूप से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. अपनी वितरण श्रृंखला (कृषि–वानिकी सेवा केन्द्र, पी.एफ.एफ.सी.एस. नेटवर्क, कृषक सेवा केन्द्र आदि) के माध्यम से दूरदराज के किसानों को भी समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

### प्रगति

वर्ष 2022–23 के दौरान 31.03.2023 तक 17.35 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री की जा चुकी है। वर्ष 2021–22 की इसी अवधि के दौरान उर्वरक बिक्री 19.64 लाख मीट्रिक टन थी।

2021&22 d lki{k 2022&23 d nkjku vkb-,Q-,Q-Mh-lh- }kjk vU; mRiknk dh fcØh

| Ø-l- | fooj.k | vçy&ekp 2022-23 | vçy&ekp 2021-22 | % of) / deh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | uuk ;fj;k ckVy ¼500 feyh½ ¼l[;k½ | 53,56,555 | 37,25,625 | 43.78 |
| 2. | ty foy; mojd +Lif'k,fyVh mojd ¼ehfVd Vu½ | 37,071 | 32,193 | 15.15 |
| 3. | lkxfjdk fyfDoM ¼yhVj½ | 3,29,681 | 2,68,216 | 22.92 |
| 4. | lkxfjdk xuyj ¼ehfVd Vu½ | 14,713 | 15,180 | -3.07 |

### कृषि–वानिकी सेवा केन्द्र

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में 15 कृषि वानिकी सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के द्वारा उच्च उत्पादक किस्मों के बीज, इफको उर्वरक, जैव उर्वरक एवं इफको–एम.सी. कृषि–रसायन की आपूर्ति के साथ–साथ कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 22,368 मैट्रिक टन इफको खाद (15,533 मैट्रिक टन यूरिया, 895 मैट्रिक टन एन.पी.के., 5,786 मैट्रिक टन डी.ए.पी. / एन.पी., 61 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक और 93 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर), 985 लीटर सागरिका तरल, 1,045 लीटर जैविक खाद, 86.71 लाख रुपये का कृषि–रसायन एवं 6,848 क्विंटल गेहूँ एवं धान के प्रमाणित बीजों की आपूर्ति किसानों को इन कृषि वानिकी सेवा केन्द्रों द्वारा की गयी।


e/; çn'k


mÙkj çn'k

gfj;k.kk




vkb-,Q-,Q-Mh-lh- }kjk fofHkUu jkT;k e bQdk uuk ;fj;k tkx:drk dk;Øe ,o Qly ij çn'ku

## (B) FERTILISERS & AGRO-CHEMICALS

To increase production and productivity of crops, timely supply of quality agri-inputs to the farmers even in the remote areas is being ensured by IFFDC through its supply chain (Agro-forestry Service Centres, PFFCS Network, Krishak Seva Kendra etc).

### PROGRESS

During the year 2022-23, 17.35 Lakh MT of fertiliser has been sold up to 31.03.2023. The sale during the corresponding period of 2021-22 was 19.64 Lakh MT.

**Sales of Other Products through IFFDC during 2022-23 v/s 2021-22**

| S.No. | Particulars | April-March 2022-23 | April-March 2021-22 | % Increase/ Decrease |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nano Urea Bottle (500 ML) (Numbers) | 53,56,555 | 37,25,625 | 43.78 |
| 2. | WSF+ Speciality Fertiliser (MT) | 37,071 | 32,193 | 15.15 |
| 3. | Sagarika Liquid (ltr) | 3,29,681 | 2,68,216 | 22.92 |
| 4. | Sagarika Granular (MT) | 14,713 | 15,180 | -3.07 |

### Agro-Forestry Service Centers

The IFFDC is operating 15 Agro-Forestry Service Centres (AFSC) in Uttar Pradesh, Haryana, Bihar and West Bengal. These AFSC are providing inputs like, HYV seed, IFFCO fertilisers, bio-fertilisers and IFFCO-MC Agro-Chemicals along with technical guidance to farmers. During the year, 22,368 MT IFFCO fertilisers (15,533 MT Urea, 895 MT NPK, 5,786 MT DAP/NP, 61 MT WSF, 93 MT Sagarika Granular), 985 litre Sagarika Liquid, 1045 litre Bio Fertiliser, Agro- Chemical of Rs.86.71 lakh and 6848 quintals Certified Seed of Wheat and Paddy etc have been supplied to the farmers through these AFSC.

Establishment of IFFDC Seed Testing Lab at Maigalganj, Lakhimpur-Khiri (Uttar Pradesh)

### प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति नेटवर्क

उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इफको उर्वरकों का विपणन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। वर्ष के दौरान, कुल 40 समितियों ने 3,974 मैट्रिक टन इफको उर्वरक (जिसमें 3,239 मैट्रिक टन यूरिया, 563 मैट्रिक टन एन.पी.के., 75 मैट्रिक टन डी.ए.पी./एन.पी., 94 मैट्रिक टन अन्य उर्वरक, 2 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर एवं 1 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक) 23 लीटर सागरिका तरल तथा 1,358 क्विंटल विभिन्न फसलों के गुणवत्तायुक्त बीजों की भी आपूर्ति की गयी।

### कृषक सेवा केन्द्र (के.एस.के.)

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के विशेषकर उन क्षेत्रों/जिलों में जहाँ सहकारी समितियां कमजोर हैं, वहाँ गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कृषक सेवा केन्द्र खोलकर एक वितरण श्रृंखला प्रणाली विकसित की गई। देश भर में संचालित इस प्रकार के 9,906 केन्द्रों द्वारा इस वर्ष 17,08,665 मैट्रिक टन इफको उर्वरक (जिसमें 9,01,389 मैट्रिक टन यूरिया, 5,36,645 मैट्रिक टन डी.ए.पी./एन.पी. और 2,28,047 मैट्रिक टन एन.पी.के., 1,190 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक, 14,618 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर, 26,776 मैट्रिक टन अन्य खाद), 3,28,674 लीटर सागरिका (तरल), 1,47,636 लीटर जैविक खाद तथा 89,544 क्विंटल गेहूँ, धान, मूँग, संकर धान, संकर बाजरा, सरसों, जौ, संकर सरसों, संकर मक्का, सोरगम, चना एवं जीरा के गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति की गई। वर्ष 2022–23 के दौरान 621 फ्रेंचायजी बनाये गये।

vkb-,Q-,Q-Mh-lh- }kjk çnÙk ldj ljlk cht fdLe ,p-,e- lij&222 l mxkb xb Qly;k l Hkjij Qly

### PFFCS Network

The Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh were encouraged to take up the marketing of fertiliser and other Agri-inputs for economic self-sufficiency. 40 PFFCS have marketed 3974 MT IFFCO fertiliser (comprising of 3239 MT Urea, 563 MT NPK, 75 MT DAP/NP, 94 MT other Fertiliser, 2 MT Sagarika Granular, 1 MT WSF) , 23 Litre Sagarika Liquid and also 1358 quintals of quality seeds of various crops.

### Krishak Seva Kendra (KSK)

To provide quality agricultural inputs, a delivery chain mechanism has been developed by opening IFFDC Krishak Seva Kendras (KSKs) in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Tamilnadu, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Chhattisgarh, Rajasthan, Haryana, Punjab and Maharashtra especially in the areas / districts where cooperative societies are weak. 9,906 such Centres operating all over India supplied 17,08,665 MT of IFFCO fertiliser (comprising of 9,01,389 MT Urea, 5,36,645 MT DAP/NP and 2,28,047 MT NPK, 1,190 MT WSF, 14,618 MT Sagarika Granular, 26,776 MT other fertilisers), 3,28,674 Litre Sagarika Liquid, 1,47,636 litre Bio Fertiliser and 89,544 quintals of quality seed of Wheat, Paddy, Moong, Hybrid Paddy, Hybrid Bajra, Mustard, Barley, Hybrid Mustard, Hybrid Maize, Sorghum, Gram and Cumin etc has been marketed. 621 Franchisees have been added during 2022-23.

IFFCO Nano Urea being sprayed on Wheat Seed Production Field at Hisar (Haryana)

# मानव संसाधन विकास

प्रारम्भ से ही आई.एफ.एफ.डी.सी. में प्रोफेशनल स्टॉफ को सभी स्तरों पर पर्याप्त अवसर दिया गया है। 31 मार्च, 2023 को आई. एफ.एफ.डी.सी. में कर्मचारियों की कुल संख्या 276 कर्मचारी हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रेरित तथा समर्पित मानव पूँजी के पोषण तथा विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रगतिशील, समग्र और स्थाई दृष्टिकोण को अपनाया है। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने कर्मचारियों की प्रभावशाली कार्यप्रणाली के लिए आवश्यकता आधारित विशेष प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया है। वर्ष के दौरान, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने 35 आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण एवं कार्यशालायें आयोजित कीं जिसमें कुल 1,116 प्रतिभागियों को क्षमता निर्माण इनपुट प्रदान किया गया जिनका कुल प्रशिक्षण मानव दिवस 1,248 रहा। इस प्रकार औसतन 4.04 प्रशिक्षण प्रति कर्मचारी को दिए गए। प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का विवरण निम्नानुसार है:

### परियोजना सम्बन्धी प्रशिक्षण

- वृक्ष कटाई प्रौद्योगिकी एवं परियोजना विकास व परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर दो ऑनलाईन प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 81 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- वानिकी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास पर दो प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 70 प्रशिक्षणार्थियों ने भागीदारी की।
- कृषक उत्पादक संगठनों के लिए व्यवसाय प्रबंधन पर ऑनलाईन तीन प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 123 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

### बीज कार्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण

- "बीज गुणवत्ता नियंत्रण" पर चार ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिसमें 175 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- "बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, बीज भण्डारण, प्रसंस्करण तथा पैकिंग" पर चार ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिसमें 153 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- बीज कम्प्यूटरीकरण–ई पवन पर तीन ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें 65 सदस्यों ने भाग लिया।
- कृषि वानिकी सेवा केन्द्र के स्टॉफ हेतु दो ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित कर 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- बीज परीक्षण प्रयोगशाला पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 1 प्रतिभागी ने भाग लिया।

### लेखा संबंधित कार्यक्रम

- बजट पर एक ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- भौतिक आंतरिक लेखा अवलोकन पर चार ऑनलाईन प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 94 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- टैक्सेशन–जी.एस.टी. पर तीन ऑनलाईन प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया जिसमें 80 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।
- बिक्री एवं देनदार प्रणाली पर एक ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

### व्यावसायिक विकास

- "कंप्यूटर प्रोग्राम (एमएस ऑफिस– वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट इत्यादि) पर एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- प्रस्तुति एवं संचार कौशल पर एक ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

### व्यवहारिक कार्यक्रम

- मेडीटेशन–रिट्रीट पर एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- कार्य संस्कृति, कार्य नैतिकता, कार्य जीवन संतुलन पर एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- मानव संसाधन कार्मिक एवं प्रशासन पर एक ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

# Human Resource Development

**Human Resource Development**

Since inception, IFFDC has been providing great opportunities to the professionals at all levels. There are total 276 employees as on 31st March, 2023. IFFDC has adopted a forward looking, people centric approach for nurturing and developing motivated and committed human capital with an aim to achieve the goals of IFFDC. It places major emphasis on capacity building through need-based and specialised training of its staff for effective functioning. During the year, IFFDC organised 35 need based trainings and workshops in which 1,116 participants were imparted capacity building inputs which comes total 1,248 training mandays. Thus, on average 4.04 trainings per employee/Franchisee sales man were imparted. The details of trainings & workshop organised during the year are as follows :

**Project related trainings**

- Two online training programmes on Tree Harvesting Technology and Project Development & Project Report Preparation were organised in which, 81 trainees participated.
- Two training programmes on Leadership Development For PFFCS Chairmen/Directors were organised in which there were 70 participants.
- Three online training programmes on Business Management for Farmer Producer Organisations were organised for 123 participants.

**Seed related trainings**

- Four online training programmes on "Seed Quality Control" were organisedfor 175 participants.
- Four online training programmes on "Production Technologies, Seed Storage, Processing and Packing of Seed" were organisedfor 153 participants.
- Three online training programmes on "Seed Computerisation- E-Pawan" were organised in which, 65 members participated.
- Two online training programmes on "AFSC Staff" were organised in which there were 51 participants.
- One training program on "Seed Testing Lab" was organised with one participant.

**Accounts related programme**

- One online training programme on " Budgeting" wase organised, in for 40 participants.
- Four online training programmes on " Physical Internal Audit Observation" were organised, in which, 94 employees participated.
- Three online training programmes on " Taxation-GST" were organised, in which, 80 trainees participated.
- One online training programme on " Sales and Debtors System" was organised, in which there were 45 participants.

**Professional Development**

- One training programme on "Computer Programme ( MS Office- Word, Excel, Power Point etc." was organised for 40 participants.
- One online training programme on " Presentation & Communication Skills" was organised, in which there were 30 participants.

**Behavioural Programmes**

- One training programme on "Meditation Retreat" was organised for 24 participants.
- One training programme on "Work Culture, Work ethics & Work Life Balance" was organised with 24 participants.
- One online training programme on "HR Personnel & Administration" was organised for 20 participants.

# प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ

संस्था के मुख्य विषयक कार्यक्रमों की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. ने कई महत्वपूर्ण अनुभव व सीख प्राप्त की है जिन्हें ग्रामीण विकास के क्षेत्र की अन्य संस्थाओं, भागीदारों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में दोहराया जा सकता है। इन अनुभवों व सीखों का आदान–प्रदान करने, दोहराने तथा प्रभावित व आपसी सामंजस्य का एक दायरा विकसित करने के लिए प्रचार–प्रसार घटक के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाये गये:–

- 28 मई, 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इफको कलोल (गुजरात) में विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर आई.एफ.एफ.डी.सी ने 17 राज्यों में भौतिक रूप से 1,993 स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें कुल 1,53,472 किसानों, वानिकी सदस्यों, आदिवासियों, कृषक महिलाओं, एस.एच.जी. महिला सदस्यों, बीज उत्पादक किसानों और आई.एफ.एफ.डी.सी फ्रेंचाइजियों द्वारा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया।

- 30 मई, 2023 को आयोजित इफको की 52वीं वार्षिक आम सभा के अवसर पर एन.सी.यू.आई. परिसर में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा एक स्टॉल लगाई गई जिसमें स्वयं सहायता समूहों, वानिकी समितियों एवं कृषक उत्पादक संगठनों के उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। इफको के प्रबंध निदेशक माननीय डा. उदय शंकर अवस्थी, अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी, विपणन निदेशक श्री योगेन्द्र कुमार के अलावा हजारों किसानों ने आई.एफ.एफ.डी.सी. स्टॉल का भ्रमण किया।

- माननीय श्री. बी. एल. वर्मा, सहकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार, माननीय केन्द्रीय सहकारिता मंत्री के ओ.एस.डी. डा. के. के. त्रिपाठी, डा. चन्द्रपाल सिंह यादव, आई.सी.ए.–ए.पी. के अध्यक्ष तथा अन्य कई विशिष्टगणों ने "एन.सी.यू.आई. हाट" नई दिल्ली में लगायी गई आई.एफ.एफ.डी.सी. की स्टॉल का भ्रमण किया तथा उन्होंने स्वयं सहायता समूहों/एफ.पी.ओ./वानिकी समितियों द्वारा निर्मित विभिन्न हस्तकला उत्पादों, खाद्य एवं मसालों व दालों का अवलोकन किया व आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

- श्री बी.एल. वर्मा, माननीय राज्य मंत्री (सहकारिता), भारत सरकार ने दिनांक 14.11.2022 को "एनसीयूआई हाट" में लगाए गए आईएफएफडीसी स्टॉल का दौरा किया। उन्होंने आईएफएफडीसी द्वारा संवर्द्धित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. के प्रयासों की सराहना की।

- श्री बी.एल. वर्मा, माननीय राज्य मंत्री (सहकारिता), भारत सरकार ने 69वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर "दी को–आपरेटर" का एक विशेषांक जारी किया, जिसमें "महिला सशक्तिकरण के लिए एक सहकारी समिति के रूप में आईएफएफडीसी के प्रयास" पर एक लेख प्रकाशित किया गया।

- जॉर्डन कोआरेटिव की एक टीम ने आई.एफ.एफ.डी.सी. मुख्यालय का दौरा किया। उन्हें आई.एफ.एफ.डी.सी. की पर्यावरण संरक्षण और विभिन्न ग्रामीण विकास गतिविधियों की जानकारी दी गई। जॉर्डन कोआरेटिव टीम ने सहकारी मंच के माध्यम से सामाजिक वानिकी, जल संसाधन और ग्रामीण आजीविका के विकास की दिशा में किये गये आई.एफ.एफ.डी.सी. के प्रयासों की सराहना की।

- इफको प्रायोजित ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना, गंजाम (ओडिशा) के तहत, आईएफएफडीसी द्वारा 35 स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को संगठित करके संवर्द्धित "नारी शक्ति फेडरेशन" ने इफको नैनो यूरिया तरल के उपयोग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 200 से अधिक महिला सदस्यों ने भाग लिया।

- आईएफएफडीसी के प्रबंध निदेशक द्वारा आईएफएफडीसी की गतिविधियों पर विभिन्न राज्यों के कॉलेज प्रोफेसरों, अनुसंधान विद्वानों के लिए एनसीयूआई में एक व्याख्यान दिया गया।

- ओडिशा राज्य में मोबाइल मृदा परीक्षण वैन की पेंटिंग के माध्यम से स्थानीय भाषा में नैनो यूरिया लिक्विड का प्रचार किया गया।

# Publicity Activities

In the process of implementing various interventions in its selected thematic areas, IFFDC has gained valuable experiences and lessons, which can be replicated by other partners and stakeholders. To share/disseminate such experiences and learning, and also to develop a circle of influence and networking, the following steps have been taken under publicity component:

- On the occasion of inauguration of world's first Nano Urea Plant at IFFCO Kalol (Gujarat) by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi on May 28, 2022. IFFDC has physically established 1,993 locations in 17 states Programs were organized in which a total of 1,53,472 farmers, forestry members, tribals, farm women, S.H.G. Women members, seed producing farmers and IFDC franchisees watched the live telecast of the event.
- On the occasion of 52nd Annual General Meeting of IFFCO held on 30th May, 2023 at NCUI Campus. A stall was set up by IFFDC in which the products of Self-help Groups, PFFCS and Farmers Producer Organizations were displayed and sold. IFFCO's Managing Director Honourable Dr. U.S. Awasthi, Chairman Shri Dilip Sanghani, Marketing Director Shri Yogendra Kumar besides thousands of farmers have visited the stall.
- Shri B.L. Verma, Hon'ble Minister of State (Cooperation), Govt. of India, Dr K K Tripathy, OSD to Hon'ble Cooperation Minister, Govt of India, Dr. Chandrapal Singh Yadav, ICA-AP President and several other dignitaries visited IFFDC stall at NCUI Haat, New Delhi. They were appreciative of the Handicraft Products, Food & Spices items prepared by SHG/FPO/PFFCS, the pulses produced by IFFDC and efforts of IFFDC for empowering rural women.
- On Shri B.L. Verma, Hon'ble Minister of State (Cooperation), Govt. of India visited IFFDC stall put in "NCUI Haat" on 14.11.2022. He appreciated the different products prepared by IFFDC promoted Self Help Groups (SHGs) and the efforts of IFFDC for empowering rural women.
- Shri B.L. Verma, Hon'ble Minister of State (Cooperation), Govt. of India released the Special Issue Volume 60 No. 5 "The Cooperator" on the occasion of inauguration of 69th All India Cooperative Week, in which, an article on "Efforts of IFFDC as a Cooperative for Women Empowerment" has been published.
- A Co-operative Team from Jordan visited IFFDC Head Office. They were briefed regarding the Organisation and its Environment Conservation and various Rural Development activities through a Power Point Presentation. The Team appreciated the efforts of IFFDC for development of Social Forestry, Water Resources and Rural Livelihood through the Cooperative Platform.
- Under IFFCO Sponsored Rural Livelihood Development Project, Ganjam (Odisha), "Nari Shakti Federation" formed by federating 35 Self Help Groups (SHGs) and promoted by IFFDC organized a programme on the use of IFFCO Nano Urea Liquid, in which more than 200 women members participated.
- A lecture was delivered at NCUI to College Professors, Research Scholars from different states on activities of IFFDC by the Managing Director, IFFDC.
- Publicity of Nano Urea Liquid in local language was made through painting of Mobile Soil Testing Van in the state of Odisha.

# आभार

आपका निदेशक मंडल आलोच्य वर्ष के दौरान सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर किये गये सतत् और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता है। कर्मचारियों के इन प्रयासों एवं कठिन परिश्रम के बिना समिति इन उत्साहजनक परिणामों एवं उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाती।

आपके निदेशक, इफको के निदेशक मंडल एवं प्रबन्धन विशेषतः डा. यू.एस. अवस्थी, प्रबन्ध निदेशक, इफको का अभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आई.एफ.एफ.डी.सी. को वर्तमान स्वरूप में विकसित होने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान की। हम डा. यू.एस. अवस्थीका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने विश्व के पहले नैनो यूरिया व नैनो डी.ए.पी. (तरल) का आविष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह उत्पाद कृषि के क्षेत्र में विश्व स्तर पर गेम चेंजर साबित होगा। हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी विकास संगठन (एन.सी.डी.सी.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, देहरादून, इफाड, लघु कृषक व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.), ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी (रूडा) जयपुर; मित्सुई इंडिया एण्ड क. प्रा. लि.; राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, भारतीय बाँस स्त्रोत व तकनीकी केन्द्र (सिबार्ट), बी–पॉजिटिव कं. प्रा. लि., मित्सुबिशी कॉर्प. इंडिया प्रा. लिमि., परिद्याम हैल्थकेयर प्रा. लि., ट्राईफेड तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों (राजस्थान और मध्य प्रदेश) के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनसे परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में निरन्तर आर्थिक सहयोग और अमूल्य मार्गदर्शन मिला।

निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी. और उनकी टीम को उनके द्वारा समिति के विकास के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने के लिए हार्दिक बधाई देता है।

निदेशक मंडल, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों विशेषतः वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर; उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी तथा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (राजस्थान), नरेद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर (उ.प्र.), चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा) तथा नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन – इंडिया (निफी) के प्रति विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रदान किये गये सहयोग एवं तकनीकी सहायता के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है।

आपका निदेशक मण्डल संस्था की कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं को सफल बनाने में प्रदत्त सहयोग के लिए परामर्शदात्री संस्था "इमरजेंट वेंचर ऑफ इंडिया प्रा. लि., गुड़गाँव" व कार्बन अंकेक्षण संस्था मैसर्स "कार्बन चेक" का भी आभार प्रकट करता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु प्रदत्त सहयोग एवं आवश्यक सहायता के लिए आपका निदेशक मण्डल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन, नई दिल्ली, बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया (बीसा), राज्य कृषि विभागों, भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगमों, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं आदि का आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, आई.एफ.एफ.डी.सी. की गतिविधियों, कार्यक्रमों व परियोजना प्रभावों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए दिये गये सहयोग हेतु मीडिया विशेषतौर पर डी.डी. नेशनल, डी.डी. किसान चैनल व ऑल इंडिया रेडियो का भी आभार व्यक्त करता है।

आपके निदेशक, सदस्य समितियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान किये गये निरन्तर सहयोग हेतु अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समिति के प्रबंधन में अपना विश्वास बनाए रखा।

निदेशक मंडल आश्वासन देना चाहता है कि आपकी समिति बहुमुखी प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास करती रहेगी और आगामी वर्षों में नये कीर्तिमान स्थापित करेगी।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**(प्रहलाद सिंह)**
अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी.

# Acknowledgements

The Board of Directors wishes to deep gratitude for the dedicated efforts made by the employees of the Society at all levels during the year. Their committed efforts and hard work have made such encouraging results and achievements by the Society possible.

Your Directors wish to acknowledge continued financial support and valuable guidance extended by IFFCO Board and Management, particularly by Dr. U. S. Awasthi, Managing Director, IFFCO, who has been the guiding and motivating spirit in the growth of IFFDC to high levels. We express our gratitude to Dr. U.S. Awasthi who has been instrumental in inventing World's First Nano Urea and Nano DAP (Liquid) which will be the game changer product in agriculture sector globally. We also thank National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Cooperative Development Corporation (NCDC), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi, IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd., Uttarakhand Gramin Vikas Samiti, Dehradun, IFAD, Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC), RUDA, Jaipur, Mitsui India & Co. Pvt. Ltd., National Bee Board, Center for National Bamboo Resource & Technology (CIBART), Bee Positive Co. Pvt. Ltd., Mitsubishi Corp. India Pvt. Ltd., Paridyam Healthcare Pvt. Ltd., TRIFED and State Governments of Rajasthan, Uttarakhand and Madhya Pradesh for their support in the implementation of project activities.

The Board of Directors also wishes to express hearty congratulations to the Managing Director, IFFDC and his team for their dedicated commitment to the betterment of society.

The Board of Directors also acknowledges with thanks the cooperation and technical support provided by various Research Institutes and Agriculture Universities, especially by Forest Research Institute (FRI), Dehradun; Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, National Research Centre for Agroforestry, Jhansi and National Research Center for Soyabean (NRCS), Indore, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur (Rajasthan), Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj Faizabad (U.P.), Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur (U.P.), Ch. Charan Singh University of Agriculture, Hisar (Haryana) and also the National Innovation Foundation - India (NIFI).

Your Directors also expressed gratitude to the consulting firm M/s Emergent Ventures of India Pvt. Ltd., Gurgaon and the Carbon Auditors M/s Carbon Check for helping in success of the Carbon Credits Projects.

The Board of Directors also expresses its sincere thanks to the National Food Security Mission, National Mission on Oil Seed and Oil Palm (NMOOP), New Delhi, Borlaug Institute for South Asia (BISA), various State Agriculture Departments, National Seed Association of India, National Seed Corporation, State Seed Corporation, State Seed Certification Agencies, etc for providing necessary support and help in the successful implementation of IFFDC's Seed Production Programme.

The Board of Directors is thankfull to the Media specially the D.D. National, D.D. Kisan Channel and All India Radio for providing support in wider publicity of the activities, programmes and project's impact of IFFDC.

Your Directors also wish to express their deep gratitude to the Member Societies for their continued support and for reposing trust in the management of the Society.

The Board of Directors would like to assure you that your Society would continue to strive to achieve all-round progress and establish new records in the coming years.

**For and On Behalf of the Board of Directors**

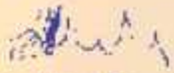

**(Prahlad Singh)**
Chairman, IFFDC

# पुरस्कार तथा सम्मान

आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड को एक संस्था के रूप में निम्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है :

1. पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया का सोशल इम्पैक्ट एवार्ड 2015 हेतु पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के लिए कारपोरेट कैटेगरी के तहत आई.एफ.एफ.डी.सी. को चयनित किया गया।

2. गरीब आदिवासी समुदाय की चिरन्तर आजीविका विकास के लिये उत्कृष्ट कार्य करने की दिशा में आजीविका विकास क्षेत्र में 'टाइम्स ऑफ इंडिया का सोशल इम्पैक्ट एवार्ड' 2 अक्टूबर 2011 को माननीय डा. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में प्राप्त किया गया।

3. वृक्षारोपण तथा बंजरभूमि विकास में विशिष्ट कार्य करने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार, 1999'। संस्था द्वारा संवर्द्धित पाँच प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (राजस्थान में सांगवा व रख्यावल, उत्तर प्रदेश में कटारी व मड़वा तथा मध्य प्रदेश में करैया) को विभिन्न वर्षों में बंजर भूमि विकास व वृक्षारोपण में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

4. राजस्थान के प्रतापगढ़ एवं बारां तथा ओडिशा के जाजपुर जिलों में संचालित आई.आई.आर.डी.पी. परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वच्छता तथा समुदाय विकास के उत्कृष्ट कार्यों को जिला व ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया एवं विभिन्न स्तरों पर इनकी प्रशंसा की गई।

5. आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित इफको–टोकियो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, प्रतापगढ़ (राजस्थान) व जाजपुर (ओडीशा) को ग्रामीण महिलाओं के आजीविका सृजन के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्कॉच अवार्ड–2018 से सम्मानित किया गया।

6. एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना अल्मोड़ा के अन्तर्गत आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा संवर्द्धित 6 सहकारी आजीविका समितियों एवं 3 उत्पादक समूहों को विभिन्न श्रेणियों जैसे उत्तम व्यापार एवं उत्तम टर्न ओवर आदि के लिए जिला प्रशासन द्वारा 9 पुरस्कार प्राप्त किये गये।

7. आई.एल.एस.पी. अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की आजीविका उत्थान हेतु किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. समन्वयक चौखुटिया को उप जिला अधिकारी द्वारा "प्रशस्ति पत्र" प्रदान कर सम्मनित किया गया।

8. एस.एफ.ए.सी. के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अधिशाषी, एन.सी.यू.आई, नई दिल्ली द्वारा जिला सागर (म.प्र.) में आई.एफ.एफ.डी.सी द्वारा संवर्द्धित किसान उत्पादक संगठन "बीना कृषक उत्पादक कम्पनी लिमिटेड" को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया।

9. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा जिला सतना (म.प्र.) में आई.एफ.एफ.डी.सी द्वारा संवर्द्धित किसान उत्पादक संगठन "कामतानाथजी कृषक प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड" को उत्कृष्ट कार्य हेतु "ग्रामीण आइकन पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

10. आई.एफ.एफ.डी.सी द्वारा संवर्द्धित स्वयं सहायता समूहों की आदिवासी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जयपुर (राज.) व भोपाल (म.प्र.) में ट्राइफेड द्वारा आयोजित "आदि महोत्सव" के अवसर पर पुरुस्कृत किया गया।

11. राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आई.एफ.एफ.डी.सी द्वारा संवर्द्धित सुरखी–घाना ग्राम जलग्रहण विकास समिति, सागर (म.प्र.) को उत्कृष्ट जलग्रहण कार्य के लिए, नाबार्ड भोपाल द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार श्री शैलेन्द्र सिंह (आई.ए.एस.) कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र. द्वारा प्रदान किया गया।

12. इफको–ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना को ओडिशा में ग्रामीण समुदाय के उत्थान के लिए कृषि एवं सम्बद्व क्षेत्रो में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए माननीय श्री रानेन्द्र प्रताप स्वाँई, कृषि व किसान सशक्तिकरण, मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास मंत्री, ओडिशा द्वारा एक प्रशंसा प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान किया गया।

13. इफको–ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना को ओडिशा में महिला सशक्तीकरण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्रीमती सूर्योमणि वैदया, माननीय विधायक खलीकोट, गंजाम द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक प्रशंसा प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान किया गया।

# Awards and Recognition

The IFFDC has been honoured with several prestigious awards:

1. IFFDC has been selected for the prestigious Social Impact Award 2015 by Times of India in Environment Sector under Corporate Category for its outstanding performance in environment protection and development.
2. The Times of India "Social Impact Award" under the Livelihood category on 2nd October, 2011 in the presence of Hon'ble Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of India, for its remarkable and excellent work on Sustainable Livelihood Enhancement of the Poor Tribal Community.
3. "Indira Priyadarshini Vrikashamitra Puraskar 1999" conferred by the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India for excellence in afforestation and wasteland development. Five of its promoted PFFCS (Sangwa & Rakhyawal in Rajasthan, Katari & Madwa in Uttar Pradesh and Karaiya in Madhya Pradesh) have also been honoured with this award for their outstanding work in afforestation & wasteland development.
4. The remarkable work of IIRDP Projects, Pratapgarh and Baran in Rajasthan and Jajpur in Odisha for Health and Sanitation and Community Development have been awarded by District and Block Administration and also appreciated at different level.
5. The "IFFCO-Tokio Integrated Rural Development Project" (IIRDP) Pratapgarh (Raj.) and Jajpur (Odisha) implemented by IFFDC was honoured with "SKOCH Award- 2018" for its excellent work of "Livelihood Generation for Rural Women.
6. IFFDC promoted 6 Cooperatives (Livelihood Federations) and 3 Producer Groups under "Integrated Livelihood Support Project" (ILSP) Almora has won 9 Awards under different categories i.e. Best Business & Best turnover etc by District Administration.
7. Sub District Magistrate honoured IFFDC Coordinator, Chaukhutiya with Appreciation Certificate for excellent works towards livelihood Improvement of the community in Hilly areas under "Integrated Livelihood Support Project" (ILSP), Uttarakhand.
8. IFFDC promoted Farmer Producer Organization (FPO) "Bina Krishak Utpadak Company Ltd." in District Sagar (Madhya Pradesh) has been honoured by Chief Executive, NCUI, New Delhi for its excellent work on occasion of 26th foundation of SFAC at New Delhi.
9. IFFDC promoted Farmer Producer Organization (FPO) "Kantanath ji Krishak Producer Company Ltd." in District Satna (Madhya Pradesh) has been honoured with Rural Icon Award by Shri. Narendra Singh Tomar, Minister of Agriculture & Farmers Welfare and Minister of Rural Development, Govt. of India for its excellent work.
10. Ministry of Tribal Affairs, Govt of India honoured IFFDC and presented appreciation certificates for undertaking stall of SHG products in the "Aadi Mahotsav" at Jaipur (Raj.) and Bhopal (M.P.) Haat organized by TRIFED.
11. The Surkhi-Ghana Village Watershed Development Committee, Sagar (M.P.) promoted by IFFDC has been awarded with first prize by NABARD Bhopal on the occasion of National Farmers Day for its excellent Watershed work. The award conferred by Shri. Shaliendra Singh, (IAS), Agriculture Production Commissioner, Madhya Pradesh.
12. Hon'ble Shri Ranendra Pratap Swain, Agriculture and Farmer's Empowerment, Fisheries & Animal Resources Development Minister, Govt of Odisha hunoured IFFCO-IFFDC with Appreciation Certificates and Shield for excellent work on upliftment of Rural Community in Odisha under IFFCO-Rural Livelihood Development Project - Ganjam (Odisha).
13. On the Occasion of Republic day, an Appreciation Certificate and Shield was conferred to IFFCO-Rural Livelihood Development Project for excellent work in Women Empowerment in Odisha by Smt. Suryomani Baidya, Hon'ble M.L.A. of Khalikote, Ganjam.

# सहयोगी संस्थायें

1. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)
2. इफको–टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
3. इंडिया कनाडा इनवायरनमेंट फैसिलिटी (आई.सी.ई.एफ.), कनाडा
4. डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.), यूनाइटेड किंगडम
5. कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, भारत सरकार
7. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), नई दिल्ली
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.), नई दिल्ली
10. रैन–फॉरेस्ट एलाइन्स, न्यूयार्क
11. राजस्थान राज्य सरकार के माध्यम से इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट (इफाड)
12. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.), नई दिल्ली
13. राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.), नई दिल्ली
14. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), नई दिल्ली
15. कोआपरेटिव रूरल डवलपमेन्ट ट्रस्ट (कोरडेट), फूलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
16. उत्तराखण्ड ग्राम विकास समिति, देहरादून, उत्तराखण्ड
17. भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, नई दिल्ली
18. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एन.एस.सी.), नई दिल्ली
19. इफको किसान संचार लिमिटेड (आई.के.एस.एल.), नई दिल्ली
20. इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलाईंस (आई.सी.ए.), एशिया पैसिफिक, नई दिल्ली
21. एच.डी.एफ.सी. बैंक, नई दिल्ली
22. यस बैंक, नई दिल्ली
23. कोटक महिंद्रा बैंक
24. इंडसइंड बैंक
25. एक्सिस बैंक
26. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.), नई दिल्ली
27. भारत–ओमान रिफाइनरी लि., बीना, मध्य प्रदेश
28. ग्रामीण गैर–कृषि विकास एजेंसी (रूडा), जयपुर, राजस्थान
29. मित्सुई इंडिया एण्ड कं. प्रा. लि., नई दिल्ली
30. महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि.
31. बायर बायोसाइंस प्रा. लि.
32. क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लि.
33. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड, भारत सरकार
34. भारतीय बाँस स्त्रोत एवं तकनीकी केंद्र, नई दिल्ली
35. बी पॉजिटिव प्रा. लि., नई दिल्ली
36. मित्सुबिशी कॉर्प. इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली
37. परिदयाम हैल्थकेयर प्रा. लि., गुड़गाँव
38. बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया (बीसा)
39. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड), नई दिल्ली
40. इमरजेंट वेंचर्स ऑफ इंडिया प्रा. लि., गुड़गाँव
41. कार्बन चेक (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय

1. वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.), देहरादून, उत्तराखण्ड
2. उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान (टी.एफ.आर.आई.), जबलपुर, मध्य प्रदेश
3. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर, राजस्थान
4. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर, राजस्थान
5. अर्ध–शुष्क क्षेत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट), हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
6. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, (एन.आर.सी.एस.), इंदौर, मध्य प्रदेश
7. राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र (एन.आर.सी.ए.एफ.), झांसी, उत्तर प्रदेश
8. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि एवं वानिकी अनुसंधान केन्द्र (आई.सी.आर.ए.एफ.), नई दिल्ली
9. राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं आई.सी.ए.आर. संस्थान
10. सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान
11. भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा
12. महाराणा प्रताप कृषि एवम् प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एम.पी.यू.ए.टी.), उदयपुर, राजस्थान
13. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक)
14. सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

# Support Organisations

1. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO).
2. IFFCO-Tokio General Insurance Company Ltd.
3. India Canada Environment Facility (ICEF), Canada.
4. Department for International Development (DFID), United Kingdom (UK).
5. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India
6. Ministry of Rural Development and Ministry of Drinking Water and Sanitation, Govt of India.
7. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
8. National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi.
9. Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi.
10. Rain-forest Alliance, New York.
11. International Fund for Agriculture Development (IFAD) through State Government of Rajasthan.
12. Ministry of Non-conventional Energy Sources (MNES), New Delhi.
13. National Afforestation and Eco Development Board (NAEB), New Delhi.
14. National Cooperative Union of India (NCUI), New Delhi
15. Cooperative Rural Development Trust (CORDET), Phulpur, Allahabad (UP).
16. Uttarakhand Gram Vikas Samiti, Dehradun (Uttarakhand).
17. National Seed Association of India (NSAI), New Delhi.
18. National Seed Corporation Ltd. (NSC), New Delhi.
19. IFFCO Kisan Sanchar Ltd (IKSL), New Delhi.
20. International Cooperative Alliance (ICA), Asia Pacific, New Delhi.
21. HDFC Bank, New Delhi.
22. Yes Bank, New Delhi.
23. Kotak Mahindra Bank
24. Indusind Bank
25. Axis Bank
26. Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC), New Delhi.
27. Bharat-Oman Refinery India Limited, Bina, Madhya Pradesh.
28. Rural Non-Farm Development Agency, Jaipur, Rajasthan.
29. Mitsui India & Co. Pvt. Ltd., New Delhi
30. Maharashtra State Seed Corporation Ltd.
31. Bayer Bioscience Private Ltd.
32. Crystal Crop Protection Ltd.
33. National Bee Board, Govt. of India
34. Centre for Indian Bamboo Resource and Technology, New Delhi
35. Bee Positive Pvt. Ltd., New Delhi
36. Mitsubishi Corp. India Pvt. Ltd., New Delhi
37. Paridyam Health Care Pvt. Ltd., Gurgaon
38. Borlaug Institute for South Asia (BISA)
39. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED), New Delhi
40. Emergent Ventures of India Pvt. Ltd., Gurgaon
41. Carbon Check (India) Pvt. Ltd.

**Research Institutes/Universities**

1. Forest Research Institute (FRI), Dehradun, Uttarakhand
2. Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, Madhya Pradesh
3. Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Rajasthan
4. Central Arid Zone Research Institute (CAZRI), Jodhpur, Rajasthan
5. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Hyderabad (AP)
6. National Research Center for Soyabean, (NRCS), Indore (Madhya Pradesh)
7. National Research Center for Agro-Forestry, (NRCAF), Jhansi (Uttar Pradesh)
8. International Centre for Research on Agriculture and Forestry. (ICRAF), New Delhi
9. State Agriculture Universities and ICAR Institutes.
10. Directorate of Rapeseed Mustard Research, Bharatpur (Rajasthan)
11. Indian Institute of Wheat & Barley Research, Karnal (Haryana)
12. Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), Udaipur (Rajasthan)
13. University of Agriculture Sciences, Dharwad (Karnataka)
14. CCS, Haryana Agriculture University, Hisar

# वित्त एवं लेखा
# Finance & Accounts

## *Financials Snapshot*

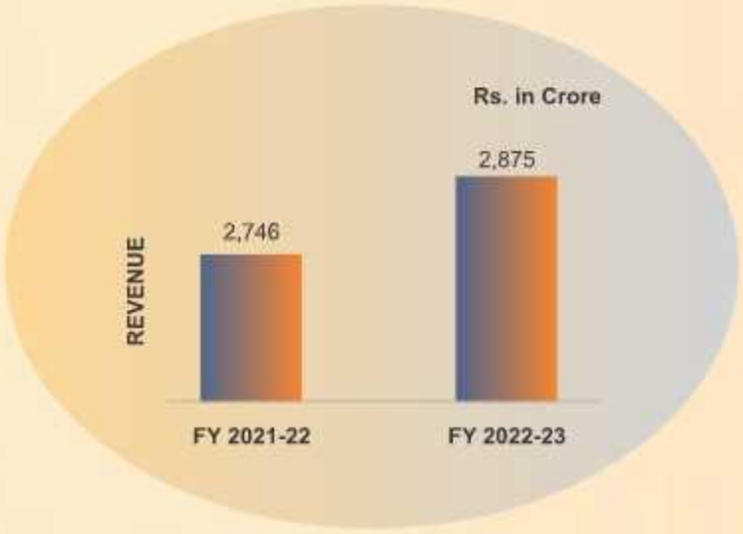


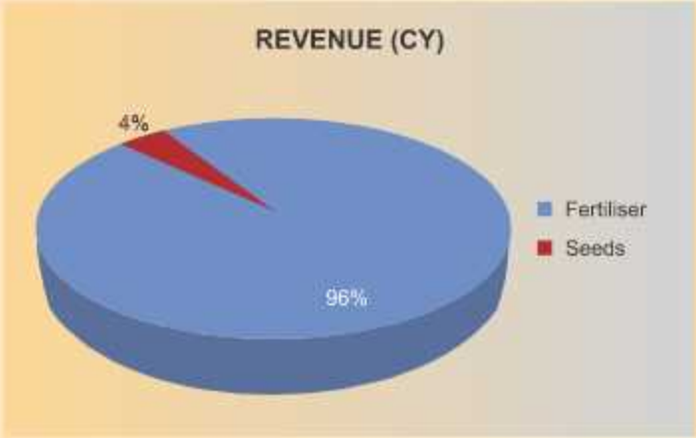

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

## इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड के शेयरधारकों को

### राय

हमने इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड (एक बहुराज्य सहकारी समिति, यहाँ इसे "समिति" कहा गया है) के संलग्न वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च 2023 तक का तुलन–पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि लेखा, नकदी प्रवाह का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनायें दी गई हैं की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोतम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार ये संलग्न वित्तीय विवरण बहुराज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 2002 (अधिनियम) में यथा अपेक्षित सूचनायें प्रदान करते हैं। 31 मार्च, 2023 तक समिति के मामलों की स्थिति के अनुसार, आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष दृष्टिकोण, और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह उस तारीख को समाप्त हो गया।

### हमारी राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के मामले में लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत विस्तार से बताया गया है। हम आईएसीआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसरण में तथा उन नैतिक अपेक्षाओं जो भारत में वित्तिय विवरणों को लेखापरीक्षा करने के लिये महत्वपूर्ण है, के अनुसार समिति की लेखापरीक्षा करने के लिसे स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं तथा हमने इन नैतिक अपेक्षाओं व आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा राय के संबंध में समुचित और पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं।

### वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन व प्रबंधन के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों की जिम्मेदारी

इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुरुप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है जो समिति कह वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिस्पादन और नकदी प्रवाह का उचित चित्र प्रस्तुत करते हों। इस दायित्व में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से सम्बंध आंतरिक नियंतत्र का डिजायन, कार्यान्वयन और अनुक्षरण भी शामिल है जो वित्तीय विवरणें का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करें और जो किसी बड़ी गलतबयानी चाहे वह कपट या गलती से हों, से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन समिति की लाभकारी संस्था के तौर पर कार्य करने सम्बंधी योग्यता का मूल्यांकन करने, जहां कहीं भी आवश्यक हो, समिति की कार्यकुशलता से सम्बंधित मामलों के बारे में जानकारी देने और लाभकारी संस्था के आधार पर लेखाकरण करने के लिये जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन का समिति का परिसमापन करने या प्रचालनों को रोकने का कोई इरादा नही है अथवा समिति के पास समिति को प्रभावशाली संस्था के तौर पर चलाने के लिये इसके अलावा कोई विकल्प न रहे।

प्रबंधन के लिये जिम्मेदार अधिकारी समिति की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सम्बंध में लेखापरिक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त करना हैकि पूरे वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई बड़ी गलत जानकारी नहीं दी गई है, तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार भी

# Independent Auditors' Report

## To the Shareholders of Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited

### Opinion

We have audited the financial statements of Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (a Multi State Cooperative Society, hereafter called "the Society") which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2023, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (the Act) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Society as at March 31, 2023, and profit, and its cash flows for the year ended on that date.

### Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institiue of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Society in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Responsibility of Management and those charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Society in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act 2002. This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material mis-statement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Society's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Society or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

### Auditors' Responsibility for the Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that

शामिल है। उचित आश्वासन उच्च आश्वासन हैं परन्तु इस बात कि गारंटी नही हैं की एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी बड़ी गलत जानकारी का पता लगा लेगी। गलत जानकारियां धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती है और यदि इस गलत जानकारी को एकल या पूर्णतः गलत माना जाता है तो ये इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिये गये आर्थिक निर्णायों को प्रभावित कर सकती है।

एसएएस के अनुसार कराये जाने वाले लेखापरीक्षा के तहत, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायकि निर्णय देते है और पूरे लेखापरीक्षा कार्य के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाये रखते हैं हम निम्नलिखित कार्य भी करते है–

(क) धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में दी गई बड़ी गलत जानकारी के जोखिम को पहचानना और मूल्यांकन करना, इन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करना व लेखापरीक्षा करना और उसका सबूत प्राप्त करना जो हमारे विचारों के लिये पर्याप्त व उचित आधार है। धोखाधडी के कारण दी गई बडी गलत जानकारी का पता न लगने से होने वाला जोखिम त्रुटि के कारण होने वाले जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या जानकारी, या आंतरिक नियन्त्रण की अनदेखी शामिल हैं।

(ख) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन इस बात पर राय व्यक्त करने के उद्देश्यों के लिए नहीं कि, समिति के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशील तरीके से हो रहा है।

(ग) अपनाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों और प्रबंधन द्वारा दी गई इससे सम्बंधित जानकारी का मूल्यांकन करना।

(घ) प्राप्त लेखापरीक्षा सबूत जिससे किसी घटना या परिस्थिति से सम्बंधित किसी बड़ी अनिश्चितता का पता लगे जिससे समिति की भविश्य में लाभकारी संस्था के रुप में कार्य करने की क्षमता पर संदेह पैदा हो, के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि प्रबंधन भविष्य में भी प्रभावशाली रुप से कार्य करने के लिये उपयुक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे लिये लेखारीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में सम्बंधित जानकारी की तरफ ध्यान दिलाना आवश्यक है या यह निष्कर्ष निकालते है कि ये जानकारियां हमारा विचार बदलने के लिये अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त सबूत पर आधारित है। तथापि, यह हो सकता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण समिति प्रभावशाली रुप से कार्य करने वाली संस्था न रहें।

(ड़) वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, ढांचे और विशय वस्तु तथा जानकारियों का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेनदेन तथा घटनाओं के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत की गई है या नही।

भौतिकता वित्तीय वक्तव्यों में व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर गलत बयानों की भयावहता है, जिससे यह संभावना बनती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर और (ii) वित्तीय वक्तव्यों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर विचार करते हैं।

हम प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों से अन्य मामलों के साथ–साथ सुनियोजित स्कोप, लेखापरीक्षा के समय या लेखापरीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियों, जिसमें आंतरिक नियत्रण में महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जों लेखापरीक्षा के समय सामने आती है, के बारे में बात करते है।

includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

(a) Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

(b) Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purposes of expressing an opinion on whether the Society has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

(c) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

(d) Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Society's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Society to cease to continue as a going concern.

(e) Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

हम प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों को यह बताते है कि हमने स्वतंत्र रुप से, सम्बंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और हम सभी सम्बंधों व अन्य मामलों पर स्वतंत्र रुप से विचार करते है तथा जहां कहीं भी लागू हो, सुरक्षा की दृष्टि से उनसे बातचीत करते है।

**अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए है;

(ख) हमारे विचार से समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसायटीज नियमावली, 2002 के अनुसार यथावश्यक लेखा पुस्तकें समुचित रुप से रखी है, जैसा कि पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं में हम नहीं जा पाए हैं वहां से समुचित रिटर्न्स हमें प्राप्त हो गई है और जो रिटर्न्स लेखापरीक्षा के हमारे प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं;

(घ) इस रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय विवरण अर्थात तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

As required under the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(b) In our opinion proper books of account as specified in the Multi State Cooperative Societies Rules, 2002 have been kept by the Society so far as appears from our examination of those books, and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us;

(c) The financial statements i.e. the Balance sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

Ñr ,l- Vdjhoky ,M ,'kksfl,V l
lunh y[kkdkj
,Q-vkj-,u-% 009612,u
**For S. Tekriwal and Associates**
**Chartered Accountants**
**FRN: 009612N**

%lh-,- f'kf'kj Vdjhoky%
lk>nkj
(CA Shishir Tekriwal)
PARTNER
M.No. 088262

Place : New Delhi
Date : 25.05.2023

# तुलन–पत्र मार्च 31, 2023 को
# BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount in ₹)

| | | टिप्पण संख्या/Note No. | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| इक्विटी तथा देयताएं | **EQUITY AND LIABILITIES** | | | |
| **शेयरधारकों की निधियां** | **Shareholder's Funds** | | | |
| शेयर पूंजी | Share Capital | 1 | 133,705,000 | 133,705,000 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | Reserves and Surplus | 2 | 577,829,094 | 481,938,299 |
| **शेयर आवेदन संबंधित राशि का लंबित आवंटन** | **Share Application money pending allotment** | | - | - |
| **गैर–चालू देयताएं** | **Non-current Liabilities** | | | |
| दीर्घावधिक ऋण | Long-Term Borrowings | 3 | 22,248,000 | 29,409,428 |
| आस्थगित कर देयताएं (निवल) | Deferred Tax Liabilities (Net) | | 9,787,230 | 10,874,691 |
| दीर्घावधिक प्रावधान | Long-Term Provisions | 4 | 7,494,139 | 5,743,225 |
| **चालू देयताएं** | **Current Liabilities** | | | |
| भुगतान योग्य व्यापार राशियाँ | Trade Payables | | | |
| – बकाया लघु एवं सूक्ष्म उद्यम | - Outstanding due to Micro & Small Enterprises | | - | - |
| – बकाया अन्य | - Outstanding due to Others | 5 | 864,059,240 | 29,479,496 |
| अन्य चालू देयताएं | Other Current Liabilities | 6 | 744,188,991 | 809,309,330 |
| अल्पावधिक प्रावधान | Short-Term Provisions | 7 | 16,380,916 | 11,018,850 |
| योग | Total | | 2,375,692,610 | 1,511,478,319 |
| परिसम्पत्तियां | **ASSETS** | | | |
| **गैर–चालू परिसम्पत्तियां** | **Non-current Assets** | | | |
| सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण | Property, Plant and Equipment | | | |
| – मूर्त परिसम्पत्तियां | - Tangible Assets | 8 | 223,005,596 | 216,806,722 |
| – पूँजीगत चालू निर्माण कार्य | - Capital Work-in-Progress | | 1,366,552 | 3,800,012 |
| गैर–चालू निवेश | Non Current Investment | 9 | 41,175,000 | 41,175,000 |
| दीर्घावधिक ऋण व अग्रिम | Long-Term Loans and Advances | 10 | 985,191 | 1,979,191 |
| अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ | Other Non-Current Assets | 11 | 404,300,000 | 329,400,000 |
| **चालू परिसम्पत्तियां** | **Current Assets** | | | |
| मालसूचियां | Inventories | 12 | 113,458,061 | 65,444,745 |
| प्राप्त होने वाली व्यापार राशियाँ | Trade Receivables | 13 | 1,053,980,376 | 411,771,618 |
| नकदी तथा बैंकों में शेष | Cash and Bank Balances | 14 | 381,515,671 | 346,329,739 |
| अल्पावधिक ऋण व अग्रिम | Short-Term Loans and Advances | 15 | 155,906,163 | 94,771,292 |
| योग | Total | | 2,375,692,610 | 1,511,478,319 |

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखाओं के लिये टिप्पणियां उक्त उल्लेखित टिप्पणियों वित्तीय विवरणों का ही एक अभिन्न भाग है।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts: 27
The notes referred to above form an integral part of the Financial Statements.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
**As per our report of even date attached**
कृते एस. टेकरीवाल एंड एशोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 009612एन
**For S. Tekriwal and Associates**
**Chartered Accountants**
**FRN: 009612N**

(सी.ए. शिशिर टेकरीवाल)
साझेदार
(CA Shishir Tekriwal)
(Partner)
M.No. 088262

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
**For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.**

(सुकांत शर्मा)
वरि. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Sr. Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 25.05.2023

# लाभ हानि लेखा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का
# PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

(Amount in ₹)

| | | टिप्पण संख्या/ Note No. | Year ended 31 March 2023 | Year ended 31 March 2022 |
|---|---|---|---|---|
| राजस्व: | **REVENUE:** | | | |
| प्रचालन से राजस्व | Revenue from Operations | 16 | 28,616,539,120 | 27,331,603,262 |
| सामाजिक एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी | Contribution towards Social & Rural Development Programmes | 17 | 85,574,295 | 87,928,280 |
| अन्य आय | Other Income | 18 | 52,684,966 | 40,635,619 |
| **कुल राजस्व** | **Total Revenue** | | **28,754,798,381** | **27,460,167,161** |
| व्यय: | **EXPENSES:** | | | |
| खपत की गई कच्चे माल की लागत | Cost of Raw Material Consumed | 19 | 814,287,448 | 1,071,888,350 |
| प्रमाणन, पैकिंग तथा वितरण व्यय | Certification, Packing and Distribution Expenses | | 240,325,426 | 238,387,820 |
| स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद | Purchases of Stock-in-Trade | 20 | 27,399,167,934 | 25,791,571,662 |
| स्टॉक–इन–ट्रेड की मालसूची में परिवर्तन एवं तैयार माल की मालसूची | Changes in Inventories of Stock-in-Trade and Finished Goods | 21 | (52,683,546) | 62,256,734 |
| सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यय | Social & Rural Development Programme Expenses | 22 | 97,608,986 | 98,793,406 |
| कर्मचारी लाभ व्यय | Employee Benefits Expenses | 23 | 63,524,510 | 53,640,245 |
| वित्तीय लागत | Finance Costs | 24 | 11,827,645 | 20,708,688 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | Depreciation and Amortization Expenses | 25 | 9,764,813 | 8,686,539 |
| अन्य व्यय | Other Expenses | 26 | 30,068,711 | 14,033,872 |
| **कुल व्यय** | **Total Expenses** | | **28,613,891,927** | **27,359,967,316** |
| **कर पूर्व लाभ** | **Profit before Tax** | | **140,906,454** | **100,199,845** |
| कर व्यय | Tax Expense: | | | |
| – चालू कर | - Current Tax | | 37,997,000 | 23,879,000 |
| – गत वर्षों के लिए कर समायोजन | - Tax Adjustment for Earlier Years | | 384,748 | (272,682) |
| – आस्थिगत कर – संपत्ति /(देयता) | - Deferred Tax - Asset / (Liability) | | 1,087,461 | (2,228,599) |
| **कर पश्चात् लाभ** | **Profit after Tax** | | **103,612,167** | **74,364,928** |
| **को अंतरित लाभ** | **Profit transferred to:** | | | |
| – लाभांश समानीकरण निधि | - Dividend Equalisation Fund | | - | - |
| **बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अनुसार निवल लाभ** | **Net Profit as per Multi State Cooperative Societies Act, 2002** | | **103,612,167** | **74,364,928** |
| **मूल तथा तनुकृत आय प्रति शेयर (ईपीएस)** | **Basic & Diluted Earning Per Share (EPS)** | | | |
| – ₹ 1000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर | - Equity Shares of Face Value ₹ 1000/- each | | 774.93 | 556.19 |
| – ₹ 10000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर | - Equity Shares of Face Value ₹ 10,000/- each | | 7,749.31 | 5,561.87 |
| – ₹ 50000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर | - Equity Shares of Face Value ₹ 50,000/- each | | 38,746.56 | 27,809.33 |

लेखाओं के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा टिप्पणियां उपरोक्त उल्लेखित टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का ही एक अभिन्न भाग है।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts: 27
The notes referred to above form an integral part of the Financial Statements.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
**As per our report of even date attached**
कृते एस. टेकरीवाल एंड एशोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 009612एन
**For S. Tekriwal and Associates**
**Chartered Accountants**
**FRN: 009612N**

(सी.ए. शिशिर टेकरीवाल)
साझेदार
(CA Shishir Tekriwal)
(Partner)
M.No. 088262

Place : New Delhi
Date : 25.05.2023

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
**For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.**

(सुकांत शर्मा)
वरि. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Sr. Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

# वित्तीय कथनों पर टिप्पणियाँ
# NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

टिप्पण – 1 NOTE - 1 (Amount in ₹)

| 1. शेयर पूंजी | Share Capital | As at 31.03.2023 | | As at 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Number | Amount | Number | Amount |
| प्राधिकृत: | **Authorised** | | | | |
| ₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 50000/- each | 14,000 | 700,000,000 | 14,000 | 700,000,000 |
| ₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 10000/- each | 10,000 | 100,000,000 | 10,000 | 100,000,000 |
| ₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 1000/- each | 200,000 | 200,000,000 | 200,000 | 200,000,000 |
| योग | **Total** | **224,000** | **1,000,000,000** | **224,000** | **1,000,000,000** |
| जारी | **Issued** | | | | |
| ₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 50000/- each | 2,515 | 125,750,000 | 2,515 | 125,750,000 |
| ₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 10000/- each | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 |
| ₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 1000/- each | 7,935 | 7,935,000 | 7,935 | 7,935,000 |
| योग | **Total** | **10,452** | **133,705,000** | **10,452** | **133,705,000** |
| अभिदत्त तथा प्रदत्त: | **Subscribed & Paid up** | | | | |
| ₹50000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 50000/- each fully paid | 2,515 | 125,750,000 | 2,515 | 125,750,000 |
| ₹10000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 10000/- each fully paid | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 |
| ₹1000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 1000/- each fully paid | 7,935 | 7,935,000 | 7,935 | 7,935,000 |
| योग | **Total** | **10,452** | **133,705,000** | **10,452** | **133,705,000** |
| अ. बकाया शेयरों की संख्या एवं शेयर राशि का मिलान इस प्रकार निर्धारित किया गया है: | **a. Reconciliation of number of shares outstanding and amount of share capital is set out as follows:** | **As at 31.03.2023** | | **As at 31.03.2022** | |
| | | **Number** | **Amount** | **Number** | **Amount** |
| शेयरों का मिलान: | **Share Reconciliation:** | | | | |
| ₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | **Equity Shares of ₹ 50000/- each** | | | | |
| वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर | Shares Outstanding at the beginning of the year | 2,515 | 125,750,000 | 2,515 | 125,750,000 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर | Add: Shares issued during the year | - | - | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर | Less: Shares redeemed during the year | - | - | - | - |
| **वर्ष के अन्त में बकाया शेयर** | **Shares Outstanding at the end of the year** | **2,515** | **125,750,000** | **2,515** | **125,750,000** |
| ₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | **Equity Shares of ₹ 10,000/- each** | | | | |
| वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर | Shares Outstanding at the beginning of the year | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर | Add: Shares issued during the year | - | - | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर | Less: Shares redeemed during the year | - | - | - | - |
| **वर्ष के अन्त में बकाया शेयर** | **Shares Outstanding at the end of the year** | **2** | **20,000** | **2** | **20,000** |
| ₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | **Equity Shares of ₹ 1,000/- each** | | | | |
| वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर | Shares Outstanding at the beginning of the year | 7,935 | 7,935,000 | 6,896 | 6,896,000 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर | Add: Shares issued during the year | - | - | 1,039 | 1,039,000 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर | Less: Shares redeemed during the year | - | - | - | - |
| **वर्ष के अन्त में बकाया शेयर** | **Shares Outstanding at the end of the year** | **7,935** | **7,935,000** | **7,935** | **7,935,000** |
| ब. प्रत्येक श्रेणी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर का विवरण: | **b. Details of share holding more than 5% of equity shares in each category:** | **As at 31.03.2023** | | **As at 31.03.2022** | |
| शेयरधारियों का 5% शेयरों से अधिक नियन्त्रण | **Shareholder(s) holding more than 5% shares** | **No. of Shares held** | **% of Holding** | **No. of Shares held** | **% of Holding** |
| कुल देय ₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 50000/- each fully paid | | | | |
| – इफको | - Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. | 2,507 | 99.68 | 2,507 | 99.68 |
| कुल देय ₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर | Equity Shares of ₹ 10000/- each fully paid | | | | |
| – यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. | - UP Sehakari Gram Vikas Bank Ltd. | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| – एम.पी. राज्य सहकारी विपणन संघ लि. | - MP State Coop. Mktg. Fed. Ltd. | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| ₹1000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | Equity shares of ₹ 1,000 each fully paid | | | | |
| – पी.एफ.एफ.सी.एस. हरखूमऊ | - PFFCS Harkhumau | 550 | 6.93 | 550 | 6.93 |
| – पी.एफ.एफ.सी.एस. मलिकमऊ | - PFFCS Malikmau | 400 | 5.04 | 400 | 5.04 |

स. बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 एवं समिति के उपनियम के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक सदस्य के पास एक ही मतदान का अधिकार होता है, धारित शेयर पूंजी की संख्या/मूल्य चाहे कुछ भी हो। इक्विटी शेयर धारक उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। सदस्य को वोटिंग का अधिकार केवल कम से कम एक पूर्ण प्रदत्त शेयर प्राप्त करने पर होगा।

c. As per provision of the Multi-State Co-operative Societies Act 2002 and Bye-Laws of the Society, every member has a single voting right irrespective of the number/value of share capital held. The holders of the equity shares are entitled to receive dividends as declared from time to time in proportion to their shareholding. Member will have the voting right only on acquiring at least one fully paid up share.

## टिप्पण – 2 NOTE - 2

(Amount in ₹)

| आरक्षित एवं अधिशेष निधियां | Reserves and Surplus | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| अ. आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(अ) के अनुसार) | a. Reserve Fund (As per Section 63(1)(a) of MSCSA 2002) | | |
| वर्ष के आरंभ में शेष | Balance as at the beginning of the year | 112,731,937 | 94,140,705 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं | Add : Addition during the year | 25,903,042 | 18,591,232 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / अंतरित | Less : Utilised / transferred during the year | - | - |
| वर्ष के अन्त में बकाया | Balance as at the end of the year | 138,634,979 | 112,731,937 |
| ब. दान के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(स) के अनुसार) | b. Reserve fund for Contingency (As per Section 63(1)(c) of MSCSA 2002) | | |
| वर्ष के आरंभ में शेष | Balance as at the beginning of the year | 23,347,814 | 15,911,321 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं | Add : Addition during the year | 10,361,217 | 7,436,493 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / अंतरित | Less : Utilised / transferred during the year | - | - |
| वर्ष के अन्त में बकाया | Balance as at the end of the year | 33,709,031 | 23,347,814 |
| स. प्रासंगिकताओं के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(2)(स) के अनुसार) | c. Reserve for Donation (As per Section 63(2)(c) of MSCSA 2002) | | |
| वर्ष के आरंभ में शेष | Balance as at the beginning of the year | 1,500,000 | 1,200,000 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं | Add : Addition during the year | 2,000,000 | 300,000 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / अंतरित | Less : Utilised / transferred during the year | - | - |
| वर्ष के अन्त में बकाया | Balance as at the end of the year | 3,500,000 | 1,500,000 |
| द लाभांश समानीकरण निधि | d. Dividend Equalisation Fund | | |
| वर्ष के आरंभ में शेष | Balance as at the beginning of the year | 55,000,000 | 55,000,000 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं | Add : Addition during the year | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / अंतरित | Less : Utilised / transferred during the year | - | - |
| वर्ष के अन्त में बकाया | Balance as at the end of the year | 55,000,000 | 55,000,000 |
| इ. सामान्य आरक्षित निधि | e. General Reserve | | |
| वर्ष के आरंभ में शेष | Balance as at the beginning of the year | 282,673,298 | 242,064,995 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जमाएं | Add : Addition during the year | 57,626,536 | 40,608,303 |
| जोड़ें: पूर्व अवधि से संबंधित मूल्यह्रास रिजर्व में समायोजन | Add : Adjustment in Depreciation reserve relating to prior period | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग / अंतरित | Less : Utilised / transferred during the year | - | - |
| वर्ष के अन्त में बकाया | Balance as at the end of the year | 340,299,834 | 282,673,298 |
| य. प्रतिधारित आय (लाभांश के लिए प्रतिधारित आय) | f. Retained Earnings (Retained earning for Dividend) | | |
| वर्ष के आरंभ में शेष | Balance as at the beginning of the year | 6,685,250 | 6,633,300 |
| जोड़ें: एम.एस.सी.एस.ए., 2002 के अनुसार शुद्ध लाभ / (शुद्ध हानि) | Add : Net profit/(Net Loss) as per MSCSA, 2002 | 103,612,167 | 74,364,928 |
| घटाएं: विनियोजन | Less : Appropriation | | |
| – आरक्षित निधि 25%(बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के खण्ड 63(1)(अ) के अनुसार) | - Reserve fund 25% (As per Section 63(1)(a) of MSCSA 2002) | 25,903,042 | 18,591,232 |
| – सहकारी शिक्षा कोष में योगदान के लिए प्रावधान 1%(बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(ब) के अनुसार) | - Provision for Contribution to Cooperative Education Fund 1% (As per Section 63(1)(b) of MSCSA 2002) | 1,036,122 | 743,649 |
| – प्रासंगिकताओं के लिए आरक्षित निधि 10%(बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(स) के अनुसार) | - Reserve fund for Contingency 10% (As per Section 63(1)(c) of MSCSA 2002) | 10,361,217 | 7,436,493 |
| – दान के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(2)(स) के अनुसार) | - Reserve fund for Donation (As per Section 63(2)© of MSCSA 2002) | 2,000,000 | 300,000 |
| – लाभांश का भुगतान | - Dividend Payment | 6,685,250 | 6,633,300 |
| – सामान्य आरक्षित निधि का अंतरण | - Transfer to General Reserve | 57,626,536 | 40,608,304 |
| वर्ष के अन्त में बकाया | Balance as at the end of the year | 6,685,250 | 6,685,250 |
| योग | Total | 577,829,094 | 481,938,299 |

## टिप्पण – 3 NOTE - 3

| दीर्घावधिक ऋण | Long Term Borrowings | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| आरक्षित – आवधिक ऋण | Unsecured- Term Loan | | |
| राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम* | - From National Cooperative Development Corporation* | 29,801,000 | 37,783,828 |
| घटाएं: आवधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (संदर्भ टिप्पण 6) | Less: Current Maturity of Term Loan (Ref. Note No. 6) | (7,553,000) | (8,374,400) |
| योग | Total | 22,248,000 | 29,409,428 |

* Term of Repayment - Repayable in two yearly installment on each part of loan and shall be fully repaid by 2027. The carrying interest rate @10.89%, 10.90%, 11.45% and 11.90%.

(Amount in ₹)

## टिप्पण – 4 NOTE - 4

| दीर्घावधिक प्रावधान | Long Term Provisions | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान | **Provision for Employee benefits** | | |
| – अनुपस्थिति नकदीकरण | - Leave Encashment | 7,494,139 | 5,743,225 |
| योग | **Total** | **7,494,139** | **5,743,225** |

## टिप्पण – 5 NOTE - 5

| भुगतान योग्य व्यापार राशियाँ | Trade Payable | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| असुरक्षित लेनदार | **Unsecured Creditors** | | |
| (अ) बकाया लघु एवं सूक्ष्म उद्यम | (a) Outstanding due to Micro and Small Enterprises | - | - |
| (ब) बकाया अन्य | (b) Outstanding to Others | 864,059,240 | 29,479,496 |
| योग | **Total** | **864,059,240** | **29,479,496** |

## टिप्पण – 6 NOTE -6

| अन्य चालू देयताएं | Other Current Liabilities | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| सावधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता अवधि (संदर्भ टिप्पण 3) | Current Maturity of Term Loan (Ref. Note No. 3) | 7,553,000 | 8,374,400 |
| सांविधिक देयताएं | Statutory Dues Payable | 31,576,284 | 7,924,741 |
| व्ययों पर देयताएं | Expenses Payable | 32,573,994 | 32,287,882 |
| अदत्त लाभांश* | Unpaid Dividend* | 39,750 | 87,550 |
| ग्राहकों से अग्रिम | Advance from Customer | 174,511,939 | 325,795,812 |
| | Advance against Sale of Land | - | - |
| धरोहर राशि / जमानत राशि | Earnest Money / Security Deposit | 494,026,761 | 424,866,678 |
| अनुपयोगी परियोजना योगदान / अनुदान | Unutilised Project Contribution / Grant | 3,907,263 | 9,972,267 |
| योग | **Total** | **744,188,991** | **809,309,330** |

* Unpaid Dividend represents the amounts which have not been claimed by the investors/shareholders.

## टिप्पण – 7 NOTE - 7

| अल्पावधिक प्रावधान | Short Term Provisions | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| कर्मचारियों के हितों के लिए प्रावधान | **Provision for Employee benefits** | | |
| अवकाश नकदीकरण | Leave Encashment | 1,026,006 | 905,963 |
| अन्य प्रावधान | **Other provision** | | |
| सहकारी शिक्षा निधि के लिए प्रावधान | Provision for Cooperative Education Fund | 1,036,122 | 743,649 |
| आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर निवल / टी.डी.एस.) | Provision for Income Tax (net of Advance tax/TDS) | 14,318,788 | 9,369,238 |
| योग | **Total** | **16,380,916** | **11,018,850** |

## टिप्पण – 10 NOTE - 10

| दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम | Long-Term Loans & Advances | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| अरक्षित, सुविचारित सामान, जब तक अन्यथा नहीं कहा गया | **Unsecured, Considered Goods, unless otherwise stated** | | |
| सुरक्षा जमा राशि | Security Deposits | 639,191 | 1,579,191 |
| समितियों के साथ चक्रीय निधि | Revolving Fund with Societies | 346,000 | 400,000 |
| योग | **Total** | **985,191** | **1,979,191** |

## टिप्पण – 11 NOTE - 11

| अन्य गैर-चालू परिसम्पत्ति | Other Non-Current Assets | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| अरक्षित, सुविचारित सामान, जब तक अन्यथा नहीं कहा गया | **Unsecured, Considered Goods, unless otherwise stated** | | |
| 12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली सावधि जमायें | Fixed Deposits with more than 12 months maturity | 404,300,000 | 329,400,000 |
| योग | **Total** | **404,300,000** | **329,400,000** |

## टिप्पण – 12 NOTE - 12

(Amount in ₹)

| मालसूचियाँ* (लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो) | **Inventories*** (Valued at cost or Net Realisable Value, whichever is lower) | **As at 31.03.2023** | **As at 31.03.2022** |
|---|---|---|---|
| पैकिंग सामग्री | Packing Material | 24,784,905 | 29,455,136 |
| तैयार माल की मालसूची | Finished Goods | 14,543,578 | 9,655,999 |
| स्टॉक–इन–ट्रेड | Stock-In-Trade | 74,129,578 | 26,333,610 |
| योग | **Total** | **113,458,061** | **65,444,745** |

* As taken, valued and certified by the Management.

## टिप्पण – 13 NOTE - 13

| प्राप्त होने वाली व्यापार राशियाँ | **Trade Receivables** | **As at 31.03.2023** | **As at 31.03.2022** |
|---|---|---|---|
| **छः महीने से कम अवधि के लिए बकाया ऋण** | **Outstanding for a period less than six months** | | |
| अरक्षित, विचारणीय माल | Unsecured, Considered Goods | 926,690,534 | 265,733,161 |
| **छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण** | **Outstanding for a period more than six months** | | |
| अरक्षित, विचारणीय माल | Unsecured, Considered Goods | 127,289,842 | 146,038,457 |
| अरक्षित, विचारणीय संदिग्ध | Unsecured, Considered Doubtful | 14,736,400 | 5,350,448 |
| घटायें: संदिग्ध व्यापार प्राप्ति के लिए प्रावधान | Less: Provision for Doubtful Trade Receivable | (14,736,400) | (5,350,448) |
| योग | **Total** | **1,053,980,376** | **411,771,618** |

## टिप्पण – 14 NOTE - 14

| नकद एवं बैंकों में शेष | **Cash and Bank Balances** | **As at 31.03.2023** | **As at 31.03.2022** |
|---|---|---|---|
| पास में नकदी | Cash on hand | 66,480 | 84,073 |
| बैंकों के साथ शेष | Balances with Banks | | |
| – लघु अवधि खाते में शेष | - Balances in Short-Term Accounts | 50,049,191 | 71,076,516 |
| – 12 महीने से कम परिपक्वता के साथ सावधि जमा | - Fixed Deposits with less than 12 months maturity | 331,400,000 | 275,169,150 |
| योग | **Total** | **381,515,671** | **346,329,739** |

## टिप्पण – 15 NOTE - 15

| अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम | **Short-Term Loans and Advances** | **As at 31.03.2023** | **As at 31.03.2022** |
|---|---|---|---|
| **असुरक्षित, सुविचारित सामान** | **Unsecured, Considered Goods** | | |
| ब्याज अर्जित किया गया लेकिन सावधि जमा पर देय नहीं | Interest accrued but not due on Fixed Deposits | 11,753,082 | 17,760,519 |
| पूर्व प्रदत्त व्यय | Prepaid Expenses | 6,298,563 | 6,044,445 |
| दावा / अन्य वसूली योग्य | Claim/Other Recoverable | 15,504,228 | 11,232,652 |
| घटायें: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान | Less : Provision for Doubtful recoverables | (2,437,455) | (2437,455) |
| अनुदान वसूली योग्य | Grant Recoverable | 15,826,976 | 15,334,401 |
| राज्य सरकारों से वसूली योग्य सब्सिडी* | Subsidy Recoverable from State Govt.* | 43,496,241 | 17,321,323 |
| घटायें: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान | Less : Provision for Doubtful recoverables | (1,891,329) | (1,891,329) |
| आपूर्तिकर्ता / किसान / समितियों को अग्रिम | Advance to Supplier/Farmer/Societies | 28,352,192 | 18,044,687 |
| आयकर वापसी योग्य | Income Tax Refundable | 1,331,076 | 1,704,406 |
| जी.एस.टी. वसूली योग्य | GST Recoverable | 35,425,095 | 8,617,505 |
| कर्मचारियों के लिए अग्रिम | Advance to Employee | 6,152 | 5,703 |
| अन्य अग्रिम | Other Advances | 2,241,342 | 3,034,435 |
| योग | **Total** | **155,906,163** | **94,771,292** |

* FY 2022-23: Rajasthan - Rs. 98.90 Lakhs, Haryana - Rs. 71.59 Lakhs and Punjab - Rs. 264.47 Lakhs
* FY 2021-22 : Rajasthan 143.96 Lakhs, Haryana - 29.25 Lakhs.

टिप्पण – 8: सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण

**Note - 8 : Property, Plant and Equipments**

(Amount in ₹)

| विवरण PARTICULARS | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION/AMORTISATION | | | | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As at 01.04.2022 | Additions | Deductions/ Adjustments | As at 31.03.2023 | As at 01.04.2022 | For the year | Deductions/ Adjustments | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
| **मूर्त परिसंपत्तियाँ/Tangible Assets :** | | | | | | | | | | |
| (क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि<br>(a) Freehold Land | 23,974,694 | - | - | 23,974,694 | - | - | - | - | 23,974,694 | 23,974,694 |
| (ख) कारखाना भवन<br>(b) Factory Building | 142,650,194 | 5,109,322 | - | 147,759,516 | 20,546,689 | 4,561,276 | - | 25,107,966 | 122,651,550 | 122,103,505 |
| (ग) वाहन<br>(c) Vehicle | 6,031,067 | 1,602,388 | 299,011 | 7,334,444 | 2,899,280 | 718,490 | 299,240 | 3,318,530 | 4,015,914 | 3,131,787 |
| (ड) कार्यालय उपकरण<br>(e) Office Equipments | 5,028,752 | 1,151,847 | 987,577 | 5,193,023 | 3,151,401 | 439,198 | 815,053 | 2,775,546 | 2,417,477 | 1,877,352 |
| (च) फर्नीचर एवं फिक्सचर<br>(f) Furniture & Fixtures | 4,282,879 | 445,655 | 132,869 | 4,595,665 | 2,920,188 | 254,047 | 121,495 | 3,052,740 | 1,542,926 | 1,362,691 |
| (छ) कम्प्यूटर एवं प्रिंटर्स<br>(g) Computer and Printers | 11,610,691 | 1,465,297 | 1,638,842 | 11,437,145 | 10,077,630 | 577,914 | 1,588,103 | 9,067,441 | 2,369,704 | 1,533,061 |
| (ज) जैनसैट एवं वातानुकूल उपकरण<br>(h) Genset & Air Conditioner | 1,606,628 | 152,100 | 43,328 | 1,715,400 | 772,281 | 113,067 | 33,982 | 851,366 | 864,034 | 834,346 |
| (झ) संयत्र, मशीनरी एवं अन्य उपकरण<br>(i) Plant, Machinery & Other Equip. | 76,691,764 | 6,937,512 | 1,288,147 | 82,341,129 | 14,702,478 | 3,100,821 | 631,467 | 17,171,831 | 65,169,297 | 61,989,286 |
| **कुल मूर्त परिसंपत्तियाँ (अ)<br>Total Tangible Assets (A)** | **271,876,669** | **16,864,121** | **4,389,774** | **284,351,016** | **55,069,947** | **9,764,813** | **3,489,340** | **61,345,420** | **223,005,596** | **216,806,722** |
| **पूँजगत चालू निर्माण कार्य<br>Capital Work-in-Progress** | **3,800,012** | **1,366,552** | **3,800,012** | **1,366,552** | - | - | - | - | **1,366,552** | **3,800,012** |
| **पूँजगत चालू निर्माण कार्य (ब)<br>Capital Work-in-Progress (B)** | **3,800,012** | **1,366,552** | **3,800,012** | **1,366,552** | - | - | - | - | **1,366,552** | **3,800,012** |
| योग (अ+ब) / **Total (A+B)** | **275,676,681** | **18,230,673** | **8,189,786** | **285,717,568** | **55,069,947** | **9,764,813** | **3,489,340** | **61,345,420** | **224,372,148** | **220,606,734** |
| **पिछले वर्ष का कुल योग<br>Previous Year's Total** | **256,911,571** | **29,816,810** | **11,051,699** | **275,676,681** | **48,943,655** | **8,686,539** | **2,560,247** | **55,069,947** | **220,606,734** | - |

(Amount in ₹)

| टिप्पण – 9 | NOTE - 9 | | As at 31.03.2023 | | As at 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गैर चालू निवेश (लागत पर) | Non Current Investments (At Cost) | Face Value (₹) | No. of Shares | Amount (₹) | No. of Shares | Amount (₹) |
| (अ) व्यापार निवेश (लागत पर) – अनुद्धृत | (A) Trade Investments (At Cost) - Unquoted | | | | | |
| (i) सहायकों पर निवेश | (i) Investment in Subsidiaries | | | | | |
| (अ) उत्तर प्रदेश राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹ 500 प्रत्येक के 26738 शेयर लिये | (a) 26,738 Equity Shares of ₹ 500/- each fully paid up in PFFCS of U.P. State | | | | | |
| कनकसिंहपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर | Kanaksinghpur PFFCS District Sultanpur | 500 | 5,448 | 2,724,000 | 5,448 | 2,724,000 |
| चन्दौकी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर | Chandauki PFFCS District Sultanpur | 500 | 1,456 | 728,000 | 1,456 | 728,000 |
| रामसहायपुर हरदोइया पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर | Ramshahpur Hardoiya PFFCS District Sultanpur | 500 | 1,828 | 914,000 | 1,828 | 914,000 |
| नन्दमहर–भीखीपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर | Nandmahar-Bhikhipur PFFCS District Sultanpur | 500 | 2,109 | 1,054,500 | 2,109 | 1,054,500 |
| कनकपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर | Kankupur PFFCS District Sultanpur | 500 | 1,617 | 808,500 | 1,617 | 808,500 |
| रिछौरा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर | Richhaura PFFCS District Sultanpur | 500 | 1,191 | 595,500 | 1,191 | 595,500 |
| कटारी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर | Katari PFFCS District Sultanpur | 500 | 1,356 | 678,000 | 1,356 | 678,000 |
| बेला पश्चिम पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर | Bela Paschim PFFCS District Sultanpur | 500 | 218 | 109,000 | 218 | 109,000 |
| कमालपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली | Kamalpur PFFCS District Raibarelly | 500 | 1,793 | 896,500 | 1,793 | 896,500 |
| रसूलपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली | Rasoolpur PFFCS District Raibarelly | 500 | 2,423 | 1,211,500 | 2,423 | 1,211,500 |
| हरदोई पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली | Hardoi PFFCS District Raibarelly | 500 | 1,421 | 710,500 | 1,421 | 710,500 |
| खारा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली | Khara PFFCS District Raibarelly | 500 | 1,741 | 870,500 | 1,741 | 870,500 |
| बेलहा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़ | Belha PFFCS District Pratapgarh | 500 | 1,398 | 699,000 | 1,398 | 699,000 |
| केशवपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़ | Keshavpur PFFCS District Pratapgarh | 500 | 1,117 | 558,500 | 1,117 | 558,500 |
| सबलगढ़सराई इन्द्रावत पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़ | Sabalgarh Sarai Indrawat PFFCS District Pratapgarh | 500 | 686 | 343,000 | 686 | 343,000 |
| कैमा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर | Kaima PFFCS District Sultanpur | 500 | 936 | 468,000 | 936 | 468,000 |
| (ब) मध्य प्रदेश राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹100 प्रत्येक के 10637 शेयर लिये | (b)10,637 Shares of ₹ 100/- each in PFFCS of M.P. State | | | | | |
| करैया पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर | Kariya PFFCS District Sagar | 100 | 3,080 | 308,000 | 3,080 | 308,000 |
| समनापुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर | Samnapur PFFCS District Sagar | 100 | 2,785 | 278,500 | 2,785 | 278,500 |
| चितौरा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर | Chitora PFFCS District Sagar | 100 | 1,492 | 149,200 | 1,492 | 149,200 |
| मौकलपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर | Mokalpur PFFCS District Sagar | 100 | 2,490 | 249,000 | 2,490 | 249,000 |
| सुरखी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर | Surkhi PFFCS District Sagar | 100 | 790 | 79,000 | 790 | 79,000 |
| (स) राजस्थान राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹10 प्रत्येक के 156730 शेयर लिये | (c) 1,56,730 Shares of ₹10/- each in PFFCS of Rajasthan State | | | | | |
| सांगवा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर | Sangwa PFFCS District Udaipur | 10 | 56,000 | 560,000 | 56,000 | 560,000 |
| रखियावल पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर | Rakhiyawal PFFCS District Udaipur | 10 | 25,000 | 250,000 | 25,000 | 250,000 |
| पीपलवास पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर | Pipalwas PFFCS District Udaipur | 10 | 35,200 | 352,000 | 35,200 | 352,000 |
| सिन्धु पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर | Sindhu PFFCS District Udaipur | 10 | 17,400 | 174,000 | 17,400 | 174,000 |
| जावद पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर | Jawad PFFCS District Udaipur | 10 | 21,230 | 212,300 | 21,230 | 212,300 |
| नाई पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर | Nai PFFCS District Udaipur | 10 | 1,900 | 19,000 | 1,900 | 19,000 |
| उप–योग | Sub-Total | | | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| (ii) सहयोगी में निवेश | (ii) Investment in Associates | | | | | |
| इफको (253 शेयर ₹1,00,000/–प्रत्येक के) | Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (253 Shares of ₹ 1,00,000/- each) | 100000 | 253 | 25,300,000 | 253 | 25,300,000 |
| इफको (4 शेयर ₹10,000/–प्रत्येक के) | Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (4 Shares of ₹ 10,000/- each) | 10000 | 4 | 40,000 | 4 | 40,000 |
| इफको (9 शेयर ₹1,000/–प्रत्येक के) | Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (9 Shares of ₹ 1,000/- each) | 1000 | 9 | 9,000 | 9 | 9,000 |
| उप–योग | Sub-Total | | | 25,349,000 | | 25,349,000 |
| योग | Total | | | 41,349,000 | | 41,349,000 |
| घटायें: निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान | Less: Provision for Impairment in value of investments | | | | | |
| सिंधु क्षेत्र वानिकी समिति जिला उदयपुर | Sindhu PFFCS District Udaipur | | | (174,000) | | (174,000) |
| योग | Total | | | 41,175,000 | | 41,175,000 |

## टिप्पण – 16 NOTE - 16

(Amount in ₹)

| प्रचालन से राजस्व | Revenue from Operations | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| उत्पादन की बिक्री | **Manufacturing Sales** | | |
| बीज की बिक्री (सब्सिडी एवं प्रोत्साहन सहित) | Sales of Seeds (including subsidy and incentives) | 1,141,157,530 | 1,442,839,063 |
| व्यापार बिक्री | **Trading Sales** | | |
| उर्वरक की बिक्री | Sales of Fertiliser | 24,870,908,122 | 23,676,309,989 |
| अन्य उत्पादों की बिक्री (पौधे, रसायन, सागरिका, कृषि–रसायन, इफको नैनो यूरिया इत्यादि) | Sales of Other Product (Plant, Chemical, Sagarika, Agro-Chemical, IFFCO Nano Urea etc.) | 2,604,473,468 | 2,212,454,210 |
| योग | Total | **28,616,539,120** | **27,331,603,262** |

## टिप्पण–17 NOTE - 17

| सामाजिक एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी | Contribution towards Social & Rural Development Programmes | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| नाबार्ड | NABARD | 11,805,721 | 5,884,666 |
| आई टी जी आई | ITGI | 3,211,500 | 21,149,701 |
| एन सी डी सी | NCDC | 8,905,212 | - |
| मित्सुई एंड कंपनी प्रा. लि. | MITSUI & Company Pvt. Ltd. | 406,611 | 783,668 |
| इफको एम सी | IFFCO MC | 325,000 | - |
| क्षेत्र वानिकी | Farm Forestry | 34,915,886 | 35,084,114 |
| **इफको परियोजनाएं** | **IFFCO Projects** | | |
| एल आई आई आर डी | LIIRD | 11,807,936 | 10,808,343 |
| आर एल डी पी | RLDP | 10,176,135 | 9,742,438 |
| इफको (अन्य) | IFFCO (Others) | 4,020,294 | 4,475,350 |
| योग | Total | **85,574,295** | **87,928,280** |

## टिप्पण–18 NOTE - 18

| अन्य आय | Other Income | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| ब्याज | Interest From: | | |
| – सावधि जमा | -Fixed Deposits | 34,174,913 | 21,262,674 |
| – अन्य | -Others | - | 18,000 |
| विनियोग पर लाभांश | Dividend on Investment | 5,069,800 | 5,069,800 |
| संस्थागत शुल्क | Institutional Charges | 4,876,781 | 6,241,924 |
| परिसम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री पर लाभ | Profit on Sale of Property Plant and Equipment | - | 2,243 |
| हैंडलिंग एवं परिवहन आय | Handling & Transportation Income | 8,415,577 | 7,700,022 |
| विविध आय | Miscellaneous Income | 147,895 | 340,956 |
| योग | Total | **52,684,966** | **40,635,619** |

## टिप्पण – 19 NOTE - 19

| खपत किए गए कच्चे माल की लागत | Cost of Raw Material consumed | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| कच्चे माल का अथ स्टॉक | Opening Stock of Raw Material | - | - |
| जोड़ें : क्रय: | Add : Purchases Seeds | 814,287,448 | 1,071,888,350 |
| घटायें : कच्चे माल का इति स्टॉक | Less : Closing Stock of Raw Material | - | - |
| योग | Total | **814,287,448** | **1,071,888,350** |

## टिप्पण – 20 NOTE - 20

| स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय | Purchase of Stock-in-Trade | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| क्रय | **Purchase** | | |
| – उर्वरक | - Fertiliser | 24,816,968,424 | 23,595,827,609 |
| – अन्य उत्पाद (संयंत्र, रसायन, सागरिका, कृषि–रसायन, इफको नैनो यूरिया इत्यादि) | - Other products (Plant, Chemical, Sagarika, Agro-Chemical, IFFCO Nano Urea etc.) | 2,619,555,090 | 2,195,744,053 |
| – घटायें: प्राप्त छूट (इफको नैनो यूरिया) | - Less: Rebate Received (IFFCO Nano Urea) | (37,355,580) | - |
| योग | Total | **27,399,167,934** | **25,791,571,662** |

## टिप्पण – 21 NOTE - 21

(Amount in ₹)

| स्टॉक-इन-ट्रेड एवं तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन | Changes in Inventories of Stock-in-Trade and Finished Goods | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| इति स्टॉक: | **Closing Stocks:** | | |
| खाद | Fertiliser | 33,011,957 | 18,369,176 |
| बीज | Seed | 14,543,578 | 9,655,999 |
| अन्य | Others | 41,117,620 | 7,964,434 |
| | | **88,673,155** | **35,989,609** |
| अथ स्टॉक: | **Opening Stocks:** | | |
| खाद | Fertiliser | 18,369,176 | 20,488,860 |
| बीज | Seed | 9,655,999 | 71,805,823 |
| अन्य | Others | 7,964,434 | 5,951,660 |
| | | **35,989,609** | **98,246,343** |
| (वृद्धि)/कमी | **(Increase) / Decrease** | **(52,683,546)** | **62,256,734** |

## टिप्पण – 22 NOTE - 22

| सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यय | Social & Rural Development Programme Expenses | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| नाबार्ड | NABARD | 13,535,097 | 9,509,871 |
| आई टी जी आई | ITGI | 3,977,640 | 22,346,472 |
| मित्सुई एंड कंपनी प्रा. लि. | MITSUI & Company Pvt. Ltd.. | 38,220 | 680,450 |
| एन.सी.डी.सी. | NCDC | 9,819,408 | 5,487,651 |
| यू.एल.आई.पी.एच. / आई.सी.डी.पी. | ULIPH/ICDP | 2 | 34,968 |
| प्रक्षेत्र वानिकी | Farm Forestry | 44,540,420 | 36,914,822 |
| **इफको परियोजनाएं** | **IFFCO Projects** | | |
| एल आई आई आर डी | LIIRD | 11,396,493 | 10,348,643 |
| आर एल डी पी | RLDP | 10,398,537 | 9,189,963 |
| इफको (अन्य) | IFFCO (Others) | 3,903,169 | 4,280,566 |
| योग | **Total** | **97,608,986** | **98,793,406** |

## टिप्पण – 23 NOTE - 23

| कर्मचारियों के हितलाभों पर व्यय | Employee Benefits Expense | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| वेतन एवं प्रोत्साहन | Salaries and incentives | 19,172,938 | 14,389,936 |
| वेतन एवं प्रोत्साहन (प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए) | Salaries and incentives (for deputed employees) | 34,028,105 | 31,817,559 |
| अंशदान – | Contributions to - | | |
| – भविष्य निधि तथा अन्य निधियाँ | - Provident Fund and other Fund | 648,283 | 610,411 |
| – उपदान तथा अन्य लाभ | - Gratuity and other Benefit | 7,531,436 | 6,216,450 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | Staff Welfare Expenses | 2,143,748 | 605,889 |
| योग | **Total** | **63,524,510** | **53,640,245** |

## टिप्पण – 24 NOTE - 24

| वित्त लागत | Finance Costs | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| ब्याज पर व्यय | Interest Expense | 11,819,246 | 20,693,340 |
| बैंक एवं वित्तीय प्रभार | Bank and Finance Charges | 8,399 | 15,348 |
| योग | **Total** | **11,827,645** | **20,708,688** |

## टिप्पण – 25 NOTE - 25

(Amount in ₹)

| अवमूल्यन, परिशोधन एवं हानिकरण पर व्यय | Depreciation and Amortization Expenses | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| अवमूल्यन | Depreciation | 9,764,813 | 8,686,539 |
| योग | Total | 9,764,813 | 8,686,539 |

## टिप्पण – 26 NOTE - 26

| अन्य व्यय | Other Expenses | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| मरम्मत तथा रख–रखाव | Repairs and Maintenance: | | |
| – भवन | - Buildings | 228,389 | 234,656 |
| – अन्य | - Others | 286,595 | 367,671 |
| यात्रा व्यय: | Travelling Expenses: | | |
| – निदेशकगण | -Directors | 3,505,572 | 192,425 |
| – अन्य | -Others | 2,352,521 | 1,306,613 |
| स्थानीय यात्रा व्यय: | Conveyance Expenses | 63,967 | 69,817 |
| मुद्रण तथा लेखन–सामग्री | Printing and Stationery | 496,270 | 547,052 |
| किराया | Rent | 271,720 | 272,960 |
| संचार व्यय | Communication Expenses | 977,287 | 649,918 |
| प्रचार एवं बिक्री संवर्धन | Publicity and Sales Promotion | 845,477 | 1,059,965 |
| निदेशकों का शुल्क | Directors' Sitting Fee | 1,368,800 | 1,345,200 |
| वाहन किराया, चालन तथा रख–रखाव | Vehicle Hire, Running and Maintenance | 949,758 | 1,054,007 |
| विधिक तथा व्यावसायिक प्रभार | Legal and Professional Charges | 4,277,039 | 3,368,664 |
| संदिग्ध ऋण | Bad Debts | 299,914 | 671,156 |
| संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान (निवल) | Provision for Doubtful Debts (Net) | 10,000,000 | - |
| परिसंपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री से हानि | Loss on Sale of PPE | 450,957 | - |
| किसानों को मुआवजा भुगतान | Compensation Paid to Farmers | - | 301,430 |
| आम सभा बैठक व्यय | AGM Expenses | 2,402,648 | 1,965,311 |
| लेखा परीक्षा शुल्क | Audit Fees | | |
| – वैधानिक अंकेक्षण | - Statutory Audit | 225,000 | 225,000 |
| – कर, लेखा परीक्षा एवं अन्य | - Tax, Audit & Others | 40,000 | 40,000 |
| विविध खर्च | Miscellaneous Expenses | 1,026,797 | 362,027 |
| योग | Total | 30,068,711 | 14,033,872 |

## टिप्पण – 27

**महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का विवरण जो 31 मार्च 2023 तक के लेखाओं का भाग है।**

### (क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

**(i) तैयार करने का आधार**

ये वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और लेखा मानक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया और बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार हिस्टोरिकल लागत के अंतर्गत एक्रुअल आधार पर तैयार किए गए हैं।

**(ii) आय/व्यय की स्वीकरण**

(क) माल की बिक्री से राजस्व का हिसाब किया जाता है जिसके अंतर्गत मालिकाना हक के सभी प्रमुख जोखिम और लाभ खरीदारों को अंतरित आमतौर पर माल की डिलीवरी पर हो जाते हैं। माल की बिक्री से नेट वापसी राजस्व की गणना निवल, भत्ते, व्यापार छूट के बाद की जाती है।

(ख) सरकार एवं अन्य संस्थाओं की तरफ से क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं से आय / व्यय का हिसाब नकद आधार पर किया गया है। जो राशि खर्च हो गई लेकिन वसूल नहीं हुई है वह अनुदान वसूली योग्य दर्शाया गया है। शेष राशि यदि कोई अनुदान खाता है उसी को हस्तांतरित किया जा रहा है। आय के रूप में व्यय के खिलाफ आगामी वर्षों में किया जा रहा है।

(ग) सभी अन्य आय को रिवॉलविंग फंड पर लाभांश आय, मात्रा छूट और सेवा शुल्क को छोड़कर प्रोद्‌भवन आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(घ) विशेष रूप से सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को वेतन व भत्ते का भुगतान संबंधित सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के खर्च में शामिल किया गया है।

**(iii) बीज एवं खाद पर अनुदान/छूट**

(क) प्रमाणित बीज की बिक्री पर विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार के साथ दावा की गई विपणन सब्सिडी प्रोद्‌भवन आधार पर है।

(ख) प्रमाणित / आधार बीजों की बिक्री पर विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार के साथ दावा की गई उत्पादन सब्सिडी रसीद के आधार पर मानी जाती है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार के साथ दावा की गई संयंत्र सब्सिडी रसीद के आधार पर मानी जाती है।

(घ) खाद पर अतिरिक्त छूट, मात्रा छूट को लेखा में प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

**(iv) सरकारी अनुदान**

पूंजी प्रकृति के अनुदान और विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित संपत्ति के सकल मूल्य से कटौती की जाती है। कैपिटल नेचर के अन्य अनुदान कैपिटल रिजर्व को दिए जाते हैं। संबंधित लागत के साथ मिलान करने के लिए राजस्व से संबंधित अनुदान को एक व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

**(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**

स्थायी परिसम्पत्तियों को हिस्टोरीकल लागत से संचयी मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। समिति को जो परिसम्पत्तियां उपहार में हस्तांतरण हुई हैं उनको ₹ 1/- की लागत पर खातों में लिया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण, निर्माण और कमीशन के लिए किए गए सभी प्रत्यक्ष व्यय, जो उपयोग में लाने के लिए तैयार नहीं हैं, को "कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस" के तहत दिखाया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित बाद के खर्चों को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभव हो कि भविष्य में इनसे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के तहत "पूंजी अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**(vi) मूल्यह्रास**

(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में मूल्यह्रास का प्रावधान उनकी उपयोगी जीवनावधि के आधार पर किया जाता है। समिति ने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" में दी गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवनावधि के अनुसार किया गया है। समिति ने मूल्यह्रास की गणना के लिए स्ट्रेट लाईन मैथड को अपनाया है।

(ख) परिसम्पत्तियां जिनका मूल लागत के 95% तक मूल्यह्रास हो गया है, ₹ 5000 तक की प्रत्येक मद को छोड़कर, जो उसके अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया गया है।

## NOTE - 27

**STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED AS AT 31st MARCH, 2023**

### (A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

**(i) Basis of Preparation**

The Financial Statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the Accounting Standards Prescribed by ICAI and the relevant provisions of Multi-State Co-operative Societies Act, 2002.

**(ii) Recognition of Income / expenditure**

(a) Revenue from the sale of goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, usually on delivery of the goods. Revenue from the sale of goods is measured net of returns and allowances, trade discounts and volume rebates.

(b) The income and expenditure in the case of rural development projects run on behalf of Government or other agencies are recognized as income to the extent of expenses incurred thereon. The amount which is incurred but not realized is shown as Grant Recoverable. The balance amount, if any is transferred to Unutilized Grant Account and the same is being accounted as income against expenses in the subsequent years.

(c) All other income is recognized on accrual basis except dividend income, quantity rebate and service charges on revolving fund.

(d) The salary and allowances paid to the employees deputed on particular Social & Rural Development Programs have been included in the expenses of the respective Social & Rural Development Programs.

**(iii) Subsidy/Rebate on Seed and Fertiliser**

(a) The Marketing Subsidy Claimed with the State Government under various scheme on sale of certified seeds is accounted for on accrual basis.

(b) The Production Subsidy Claimed with the Central Government under various scheme on sale of certified/Foundation seeds is accounted for on receipt basis.

(c) The Plant Subsidy Claimed with the Government under various scheme is accounted for on receipt basis.

(d) The additional rebate, quantity rebate on fertiliser is accounted for on receipt basis.

**(iv) Government Grant**

Grants of Capital nature and related to specific Property, Plant & Equipment are deducted from gross value of assets. Other grants of Capital nature are credited to Capital Reserve. Grant related to revenue are recognized in the Statement of Profit and Loss on a systematic basis to match them with related costs.

**(v) Property, Plant and Equipments**

Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation. Assets transferred to the society as gift are accounted for at ₹ 1/- each. All direct expenses incurred for acquiring, erecting and commissioning of Property, Plant and Equipments, which are not ready for put into use, are shown under the head "Capital Work-in-Progress". Subsequent expenditures relating to property, plant and equipment is capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each Balance Sheet date is classified as "Capital Advances" under Long Term Loans and Advances.

**(vi) Depreciation**

(a) The Depreciation is charged on the basis of useful life of the Property, Plant and Equipments . The Society has adopted useful life of Property, Plant and Equipments as given in Part "C" of Schedule II of Companies act, 2013 in respect of all Property, Plant and Equipments. The Society has adopted Straight Line Method for computation of depreciation charged.

(b) Assets are depreciated to the extent of 95% of the original cost except items individually costing upto ₹ 5,000/-, which are fully depreciated in the year of acquisition.

**(vii) माल सूचियाँ**

(क) माल सूचियों का मूल्य कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य होता है। लागत एफआईएफओ आधार का उपयोग करके निर्धारित की जाती है।

(ख) जहां भी आवश्यक हो, अप्रचलन के लिए प्रावधान किया जाता है।

**(viii) निवेश**

(क) गैर मौजूदा निवेश का हिसाब लागत पर लगाया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान केवल उस अवस्था में किया गया है जब यह कमी निवेश की लागत में अस्थायी तौर से भिन्न हो।

(ख) चालू निवेशों का मूल्य लागत के न्यून पर अथवा प्रत्येक निवेश के आधार पर समुचित मूल्य पर निर्धारित किया गया है।

**(ix) सेवा निवृत्ति लाभ**

(क) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ व हानि खातों में अनडिस्काउंटिड आधार पर व्यय के रूप में दिया जाता है, जिस वर्ष में सेवा प्राप्त की जाती है।

(ख) प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड में योगदान मासिक और लाभ और हानि के खाते में डेबिट किया जाता है। कर्मचारियों को देय ग्रैच्युइटी के संबंध में उत्तरदायित्व लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की समूह ग्रैच्युइटी स्कीम की नीति योजना के तहत वित्त पोषित है। व्यय को वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। निधि में चुकाए गए वार्षिक योगदान को लाभ और हानि के खाते में डेबिट किया जाता है।

**(x) पूर्व अवधि आय/व्यय**

प्रत्येक मामले में ₹2,00,000/ – से अधिक नहीं होने वाली पूर्व अवधि (ओं) से संबंधित आय/व्यय आइटम प्रत्येक वर्ष/इकाई को चालू वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

**(xi) कराधान**

(क) वर्तमान कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत लाभ स्वीकार्य पर विचार करने के बाद किया जाता है।

(ख) समय अंतरालों पर आस्थगित कर को विवेकपूर्ण विचार माना जाता है। आस्थगित परिसंपत्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि 'आभासी निश्चितता' नही होती है, भविष्य में जब कर योग्य लाभ होगा तब इस प्रकार की आस्थगित कर सम्पत्तियों को वसूल किया जा सकेगा।

**(xii) प्रासंगिक देयताएं**

प्रकृति में प्रासंगिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं बनता, लेकिन अगर यह प्रभावित करता है तो लेखों को अलग टिप्पणियों द्वारा बताया गया है।

**27(ख) लेखाओं पर अतिरिक्त टिप्पणियां:**

(I) संविदा पर प्रस्तावित मूल्य (शुद्ध अग्रिम) जोकि पूंजीगत खातों राशि ₹48.36 लाख प्रदत्त नहीं किये गये हैं (पूर्व वर्ष में ₹ 30.09 लाख)

**(ii) प्रासंगिक देयतायें प्रदान नहीं करने के लिए –**

**(vii) Inventories:**

(a) Inventories are valued at lower of cost or net realisable value. The cost is determined using FIFO basis.

(b) Provision for obsolescence is made, wherever necessary.

**(viii) Investments**

(a) Non current Investments are carried at cost. Provision for diminution in the value of such investment is made to recognise a decline, other than temporary in the value of the investments.

(b) Current Investments are valued at lower of cost or fair value determined on an investment basis.

**(ix) Retirement benefits**

(a) Short Term Employees Benefits are recognised as an expenses in the Statement of Profit & Loss Account of the year in which the related services is rendered.

(b) Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund is made monthly and debited to the Statement of Profit and Loss. Liability in respect of gratuity payable to employees is funded under a policy scheme of Group Gratuity Scheme of Life Insurance Co. Ltd. The expenses is recognised at the present value of the amounts payable determined using actuarial valuation techniques. Yearly contribution paid to the Fund is debited to Statement of Profit and Loss.

**(x) Prior Period Income / Expenditure**

Income/Expenditure items relating to prior period(s) not exceeding ₹2,00,000/- in each case is at each Project/Unit is treated as Income/ Expenditure for the current year.

**(xi) Taxation**

(a) Provision for Current Tax is made after considering benefits admissible under the provisions of the Income Tax Act, 1961.

(b) Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing differences. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

**(xii) Contingent Liabilities**

No provision is made for liabilities, which are contingent in nature, but if material the same are disclosed by way of notes to the accounts.

**27(B)Additional Notes on Accounts**

(I) Estimated value of Contracts (Net of Advances) to be executed on Capital Accounts and not provided for - ₹48.36 Lakh (Previous year ₹30.09 Lakh).

**(ii) Contingent liabilities not provided for -**

(Amount in ₹)

| विवरण | Particulars | As at 31.3.2023 | As at 31.3.2022 |
|---|---|---|---|
| आयकर विभाग द्वारा जारी माँग सूचना | Demand Notice issued by Income Tax Authorities | 1,804,730 | 1,293,280 |
| वैट विभाग द्वारा जारी माँग सूचना | Demand Notice issued by VAT Authorities | 1,089,231 | 1,089,231 |
| ऋण की रसीद न देने के रूप में संस्था के खिलाफ दावा | Claim against society not acknowledge as debt | 1,369,490 | 1,969,490 |
| **योग** | **Total** | **4,263,451** | **4,352,001** |

**Note (a)** - The Society's pending litigations comprise of claims against the Society and proceedings pending with Tax Authorities. The Society has reviewed all its pending litigations and proceedings and has made adequate provisions, wherever required and disclosed the contingent liabilities, wherever applicable, in its financial statements. The Society does not expect the outcome of these proceedings to have a material impact on its financial position.

**Note (b)** - Direct tax contingencies : The Society has ongoing disputes with income tax authorities relating to Tax Computation and TDS Credit mismatch.. The Society has contingent liability in respect of demands from direct tax authorities for the AY 2019-20 of Rs. 12.93 Lakh, A.Y. 2021-22 of Rs. 1.97 Lakhs and for A.Y 2022-23 of Rs. 3.14 Lakhs, which are being contested by the Society amounting 18.05 Lakhs as at March 31, 2023.

**Note (c)** - The amounts assessed as contingent liability do not include interest that could be claimed by counter parties.

**Note (d)** - The Society is subject to legal proceedings and claims, which have arisen in the ordinary course of business. The Society's management reasonably expects that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will not have a material and adverse effect on the Society's results of operations or financial condition.

**Note (e)** - The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come in to effect has not been notified. The Society will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period when the Code becomes effective.

**(iii) संपत्ति का अनुमानित मूल्य**

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और गैर चालू निवेशों के अलावा परिसंपत्तियों का यह मूल्य व्यापार की सामान्य परिसंपत्तियों में वसूल होने वाले उन मूल्यों से कम नहीं होगी।

**(iv) स्थगित कर संपत्ति / (देयताएं)**

शुद्ध स्थगित कर संपत्ति / (देयताएं) का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है: –

**(iii) Realisable Value of Assets**

In the opinion of the management, the value of any of the assets other than Fixed Assets and Non-Current Investments on realisation in the ordinary course of business will not be less than the value at which these are stated.

**(iv) Deferred Tax Asset/ (Liabilities)**

The breakup of net Deferred Tax Asset/ (Liabilities) is as under:-

(Amount in ₹)

| विवरण | Particulars | As at 31 March'2023 | As at 31 March'2022 |
|---|---|---|---|
| आस्थगित कर परिसंपत्ति | **Deferred Tax Asset** | | |
| कर्मचारी लाभ – प्रावधान | Employee Benefits - Provision | 2,196,259 | 1,673,601 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | Provision for Doubtful Debts | 4,842,503 | 2,480,059 |
| | | **7,038,762** | **4,153,660** |
| विलंबित कर देयता | **Deferred Tax Liability** | | |
| समय अंतर – मूल्यह्रास | Timing Difference - Depreciation | (16,825,992) | (15,028,351) |
| योग | **Total** | **(9,787,230)** | **(10,874,691)** |

In accordance with Accounting Standard-22 "Accounting for Taxes on Income", the net Increase deferred Tax Liabilities (Net) (₹ 10.87) Lakhs, for the year, has been charged to the Statement of Profit & Loss.

**(v) संबद्ध पार्टियों की सूची** (जैसाकि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है)

**(a) उच्च प्रबंधक वर्ग**

श्री एस.पी. सिंह, प्रबंध निदेशक

श्री सुकांत शर्मा, वरि. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

**(b) एसोसिएट**

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड

**संबद्ध पार्टियों से लेन–देन**

**(v) List of Related Parties** (as identified by the management and relied upon by auditors)

**(a) Key Management Personnel**

Sh. S.P. Singh, Managing Director

Sh. Sukant Sharma, Sr. Manager (F&A)

**(b) Associates**

Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited

**Transactions with Related Parties**

(Amount in ₹)

| | Particulars | Associates | | Key Management Personnel | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| क्रय* | Purchases* | 27,421,443,251 | 25,739,350,620 | - | - |
| तैयार माल की बिक्री | Sale of Finished Goods | 101,590,839 | 114,071,297 | - | - |
| परियोजना व्यय की प्रतिपूर्ति | Reimbursement of Project Expenses | 60,920,251 | 60,110,246 | - | - |
| लाभांश आय | Dividend Income | 5,069,800 | 5,069,800 | - | - |
| अन्य एवं परामर्श आय | Other & Consultancy Income | 8,540,627 | 22,572,009 | - | - |
| किराया भुगतान** | Rent Paid** | 394,595 | 360,678 | - | - |
| भुगतान किया गया लाभांश | Dividend Paid | 6,267,500 | 6,267,500 | - | - |
| प्रबंधकीय पारिश्रमिक | Managerial Remuneration | - | - | 12,973,547 | 11,624,431 |
| खर्चों का भुगतान (अन्य) | Expenses paid (others) | 43,750,141 | 29,133,413 | - | - |
| संपत्ति, संयंत्र व उपकरण का क्रय | Purchase of Property, Plant and Equipment | - | - | - | - |
| जमा शेष*** | Closing Balance*** | 1,021,163,989 (Credit Balance) | 3,44,76,218 (Credit Balance) | 12,973,547 | 11,624,431 |

**Notes:** * difference from IFFCO of Rs. 0.05 Lakhs due to Rate.

** difference from IFFCO of Rs. 1.78 Lakhs OSL booked this Year and 0.59 Lakhs Prepaid Last Year

*** Net Difference of Rs. 297.19 Lakhs with IFFCO, which is due to TDS on Staff Salary not consider Rs. -0.55 Lakhs, TDS on Rent paid to IFFCO not consider Rs. -0.09 Lakhs, Advance from Customer Diff. 297.83 Lakhs.

**(vi) सेगमेंट रिपोर्टिंग नीतियां**

**(अ) सेगमेंट की पहचान**

**(i) प्राथमिक सेगमेंट**

व्यापारिक सेगमेंट: समिति प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी समितियों (पीएफएफसी) के सदस्यों के लाभ हेतु सामाजिक ग्रामीण विकास की गतिविधियों एवं भूमिहीन, सीमांत, छोटे किसान, आदिवासी और विशेषतर महिलाओं के निरंतर आजीविका विकास हेतु उर्वरक और बीज इत्यादि के प्रसंस्करण एवं व्यापार में संलग्न हैं।

**(ii) द्वितीय सेगमेंट**

जियोग्राफिक सेगमेंट: चूंकि प्राथमिक तौर पर समिति द्वारा गतिविधियाँ देश में सम्पन्न की गई हैं। प्रतिवेदन सेगमेंट के एएस–17 की परिभाषा के आधार पर अलग से जियोग्राफिक सेगमेन्ट उजागर करने की आवश्यकता नहीं है।

**(ब) आवंटन अयोग्य मद**

संयुक्त / विभाग की आय, व्यय, सम्पत्ति, देनदारियाँ, पूँजी, और संचय को आवंटन अयोग्य मद का हिस्सा माना जाता है, जो कि किसी भी व्यवसाय के लिए पहचान योग्य है।

**(vi) Segment Reporting Policies**

**(a) Identification of Segments**

**(i) Primary Segments**

**Business Segment:** The Society is primary engaged in Social & Rural Development activities for the benefits of members including Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) and for sustainable livelihood of the landless, marginal and small farmers, tribal and women in particular. To achieve its objectives, the Society also deals in Fertilizers Distribution and Processing & Multiplication of Seeds.

**(ii) Secondary Segment:**

**Geographical Segment:** Since the activities of Society are primarily carried within the country, hence separate geographical segment disclosure is not required.

**(b) Unallocable Items**

Common / Corporate income, expenses, assets, liabilities, capital and reserves are considered part of unallocable items which are not identifiable to any business segment.

(स) सेगमेंट सूचना (c) Segment Information

(Amount in ₹)

| विवरण | Particulars | Social & Rural Development Programmes | | Fertiliser Trading & Seed Multiplication | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| आय | Income | | | | | | |
| बिक्री | Sales | - | - | 28,616,539,120 | 27,331,603,262 | 28,616,539,120 | 27,331,603,262 |
| परियोजना योगदान/अनुदान | Project Contribution/Grant | 85,574,295 | 87,928,280 | - | - | 85,574,295 | 87,928,280 |
| अन्य आय | Other Income | - | - | - | - | - | - |
| **योग आय (अ)** | **Total Income (A)** | **85,574,295** | **87,928,280** | **28,616,539,120** | **27,331,603,262** | **28,702,113,415** | **27,419,531,542** |
| स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद | Purchase of Stock-in-Trade | - | - | 28,160,771,835 | 26,925,716,745 | 28,160,771,835 | 26,925,716,745 |
| प्रत्यक्ष व्यय | Direct Expenses | 97,608,987 | 98,793,406 | 252,153,071 | 259,096,508 | 349,762,058 | 357,889,914 |
| **योग प्रचालन व्यय (ब)** | **Total Operating Expenses (B)** | **97,608,987** | **98,793,406** | **28,412,924,906** | **27,184,813,253** | **28,510,533,893** | **27,283,606,659** |
| **सेगमेंट प्रचालन आय (अ-ब)** | **Segmental Operating Income (A-B)** | **(12,034,692)** | **(10,865,126)** | **203,614,215** | **146,790,009** | **191,579,523** | **135,924,883** |
| गैर आवन्टित आय | Unallocated Income | - | - | - | - | 52,684,966 | 40,635,619 |
| गैर आवन्टित व्यय | Unallocated Expenses | - | - | - | - | 103,358,035 | 76,360,657 |
| कर | Taxes | - | - | - | - | 38,381,748 | 23,606,318 |
| आस्थगित कर | Deferred Tax | - | - | - | - | (1,087,461) | 2,228,599 |
| **निवल लाभ कर के बाद** | **Net Profit After Tax** | - | - | - | - | **103,612,167** | **74,364,928** |
| | | **As at** | | **As at** | | **As at** | |
| | | **31.03.2023** | **31.03.2022** | **31.03.2023** | **31.03.2022** | **31.03.2023** | **31.03.2022** |
| **रोजगार पूंजी** | **Capital Employed** | | | | | | |
| सेगमेंट परिसम्पत्तियां | Segment Assets | 27,250,172 | 33,681,582 | 1,543,099,828 | 781,807,219 | 1,570,350,000 | 815,488,801 |
| गैर आबन्टित परिसम्पत्तियां | Unallocated Assets | - | - | - | - | 805,342,610 | 695,989,518 |
| **सकल परिसम्पत्तियां** | **Total Assets:** | **27,250,172** | **33,681,582** | **1,543,099,828** | **781,807,219** | **2,375,692,610** | **1,511,478,319** |
| सेगमेंट देनदारियां | Segment Liabilities | 7,237,170 | 15,704,007 | 1,575,054,841 | 801,142,194 | 1,582,292,011 | 816,846,201 |
| गैर आबटित देनदारियां | Unallocated Liabilities | - | - | - | - | 81,866,504 | 78,988,818 |
| **सकल देनदारियां** | **Total Liabilities:** | **7,237,170** | **15,704,007** | **1,575,054,841** | **801,142,194** | **1,664,158,515** | **895,835,019** |

## (vii) प्रति शेयर अर्जन / Earning Per Share

**(Amount in ₹)**

| विवरण | Particulars | As at 31.03.2023 | As at 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| खातों के अनुसार कर के बाद लाभ (रुपये) | **Profit after tax as per accounts (Rs.)** | **103,612,167** | **74,364,928** |
| वर्ग ए के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 1000/-) | Weighted average number of equity shares Class A (face value Rs.1000/-) | 7,935 | 7,935 |
| लाभ/(हानि) वर्ग ए इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार (रु.) | Profit/(Loss) attributable to Class A Equity Shares (Rs.) | 6,149,079 | 4,413,341 |
| वर्ग बी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 10000/-) | Weighted average number of equity shares Class B (face value Rs.10,000/-) | 2 | 2 |
| लाभ/(हानि) वर्ग बी इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार (रु.) | Profit/(Loss) attributable to Class B Equity Shares (Rs.) | 15,499 | 11,124 |
| वर्ग सी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 50000/-) | Weighted average number of equity shares Class C (face value Rs.50,000/-) | 2,515 | 2,515 |
| लाभ/(हानि) वर्ग सी इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार (रु.) | Profit/(Loss) attributable to Class C Equity Shares (Rs.) | 97,447,590 | 69,940,463 |
| बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस (रु.) | **Basic & Diluted EPS (Rs.)** | | |
| वर्ग ए – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 1000/– | Class A - Face value per share Rs.1000/- | **774.93** | **556.19** |
| वर्ग बी – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 10000/– | Class B - Face value per share Rs.10,000/- | **7749.31** | **5561.87** |
| वर्ग सी – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 50000/– | Class C - Face value per share Rs.50,000/- | **38746.56** | **27809.33** |

**(viii)** माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत 31 मार्च 2023 तक आपूर्तिकर्ताओं को समिति की कोई रकम देय नहीं है। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार विवरण निम्नानुसार है:

**(viii)** The Society has no amounts due to suppliers under The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, [MSMED Act] As at 31st March 2023. The disclosure pursuant to the said Act is as under:

(Amount in ₹)

| | Particulars | As at 31st March 2023 | As at 31st March 2022 |
|---|---|---|---|
| एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण प्रिंसिपल राशि | Principal amount due to suppliers under MSMED Act, 2006 | - | - |
| एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं के कारण अर्जित ब्याज | Interest accrued, due to suppliers under MSMED Act on the above amount, and unpaid | - | - |
| आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान (ब्याज के अलावा) वर्ष के दौरान नियत दिन से परे | Payment made to suppliers (other than interest) beyond the appointed day during the year | - | - |
| एमएसएमईडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान किया गया (धारा 16 के अलावा) | Interest paid to suppliers under MSMED Act (other than Section 16) | - | - |
| एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16) के तहत आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज का भुगतान | Interest paid to suppliers under MSMED Act (Section 16) | - | - |
| पहले से किए गए भुगतान के लिए एमएसएमडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज | Interest due and payable towards suppliers under MSMED Act for payments already made | - | - |
| एमएसएमडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के अंत में अर्जित और शेष भुगतान नहीं किया गया ब्याज | Interest accrued and remaining unpaid at the end of the year to suppliers under MSMED Act | | |

**Note:** The Information as required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 ("the Act") has been determined to the extent such parties have been identified by the Society, on the basis of information and records available with them. The information has been relied upon by the auditors.

**(ix)** रिवोल्विंग फंड धन का एक ऐसा साधन है जिससे कई प्रकार की लघु एवं सूक्ष्म व्यावसायिक इकाइयों के विकास के लिए व्यवसाय आरम्भ करने तथा आय अर्जन हेतु ऋण की व्यवस्था की जाती है। रिवोल्विंग फंड ऐसे सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म प्रतिष्ठान व ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित संस्थाओं या व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने में विशिष्ट रूप से उपयोगी है जिन्हें जोखिम की अधिकता को देखते हुये अन्य पारम्परिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती है। इसमें ऋण लेने वाले विशेष रूप से वस्तुओं व सेवाओं के छोटे उत्पादक जैसे दस्तकार, कृषक व महिलाएँ होते हैं जिनके द्वारा पूर्व में कभी ऋण नहीं लिया होता है अथवा किसी ऋण देने वाली संस्था तक जिनकी पहुँच नहीं होती है। रिवोल्विंग फंड से ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं का उद्देश्य गरीब किसानों, स्वयं सहायता समूहों विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना होता है। वर्ष के दौरान रिवोल्विंग फंड की वसूली का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**(x)** कुछ ठेकेदारों / ग्राहकों / आपूर्तिकर्ताओं / प्राप्य / देय और अन्य के साथ जमा राशि की पुष्टि / समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है, जो प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।

**(xi)** वित्त अधिनियम, 2020, ("अधिनियम"), जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है, के अनुसार समितियों के पास धारा 115बीएडी प्लस लागू अधिभार और उपकर ("नई कर व्यवस्था") पर आयकर की कुछ शर्तों के अधीन 22% भुगतान करने का विकल्प है।

**(xii)** बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 की धारा 63 (2)(ए) के अनुसार वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन, समिति की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 5% की दर से लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव है। वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश ₹ 0.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.67 करोड़) है।

**(xiii)** पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

**(ix)** A Revolving Loan Fund (RLF) is a source of money from which loans are made for various micro small business development initiatives or income generation. Revolving loan funds has many characteristics with microcredit, micro-enterprise, and village banking, providing loans to persons or groups of people that do not qualify for traditional financial services or are otherwise viewed as being high risk. Borrowers tend to be small producers of goods and services - typically artisans, poor farmers, and women who have no credit history or access to other types of loans from financial institutions. Organizations that offer revolving loan fund lending aim to help Poor farmers and member of the self help group particularly women become financially independent. No provision has been made during the year as there is recovery in revolving fund.

**(x)** Balances of some of the contractors/customers/suppliers/receivable/ payable and deposits with others are subject to confirmation/ reconciliation and consequential adjustments, if any, which in the opinion of the management would not be material.

**(xi)** Pursuant to the enactment of the Finance Act, 2020, ('Act') which is effective from April 1, 2021, Societies have the option to pay income tax at 22% u/s 115BAD plus applicable surcharge and cess ('new tax regime') subject to certain conditions.

**(xii)** As per Multi State Cooperative Society Act 2002 Section 63 (2) (a) Dividend is proposed to be paid @ 5% on the paid-up Equity Share Capital of the Society, Subject to the approval at the Annual General Meeting. The proposed dividend for the year work out to ₹ 0.67 Crore (Previous year ₹ 0.67).

**(xiv)** Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to correspond with the current year's figures.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
**As per our report of even date attached**
कृते एस. टेकरीवाल एंड एशोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 009612एन
**For S. Tekriwal and Associates**
**Chartered Accountants**
**FRN: 009612N**

(सी.ए. शिशिर टेकरीवाल)
साझेदार
(CA Shishir Tekriwal)
(Partner)
M.No. 088262

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
**For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.**

(सुकांत शर्मा)
वरि. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Sr. Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 25.05.2023

# 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह का विवरण
# CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

(Amount in ₹)

| | | | Year Ended 31.03.2023 | | Year Ended 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| (अ) प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह: | (A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES: | | | | |
| कर–पूर्व निवल लाभ/(हानि) | Net Profit/(Loss) before tax | | 140,906,454 | | 100,199,845 |
| के लिये समायोजन | Adjustment for: | | | | |
| मूल्यह्रास से | Depreciation | 9,764,813 | | 8,686,539 | |
| ब्याज आय | Interest Income | (34,174,913) | | (21,280,674) | |
| लाभांश की आय | Dividend Income | (5,069,800) | | (5,069,800) | |
| संदिग्ध ऋण | Bad Debts | 299,914 | | 671,156 | |
| संदिग्ध ऋण एवं निवेश के लिए प्रावधान व्यय | Provision for Doubtful Debts Expenses | 10,000,000 | | - | |
| निवल ब्याज व्यय | Net Interest Expenses | 11,819,246 | | 20,693,340 | |
| संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री से लाभ/(हानि) | Profit/(Loss) on sale of Property, Plant and Equipment | 450,957 | (6,909,783) | (2,243) | 3,698,318 |
| कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ | Operating Profit before Working Capital Changes | | 133,996,671 | | 103,898,163 |
| कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन | Adjustment for Working Capital Changes : | | | | |
| व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Trade Receivables | (652,508,672) | | 693,308,996 | |
| इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Inventories | (48,013,315) | | 58,113,347 | |
| अल्पावधिक अग्रिम में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Short-Term Advances | (61,508,202) | | (6,968,011) | |
| दीर्घावधिक अग्रिम में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Long-Term Advances | 12,747,082 | | 17,183,479 | |
| व्यापार देयताओं में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Trade Payable | 834,579,743 | | (674,291,447) | |
| अन्य चालू देनदारियों में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Other Current Liabilities | (65,120,339) | | 18,360,085 | |
| अल्पावधिक प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Short-Term Provision | 5,362,066 | | 5,637,541 | |
| दीर्घावधिक प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Long-Term Provision | 1,750,914 | 27,289,277 | (16,132) | 110,327,858 |
| प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह | Cash flow from operating activities | | 161,285,948 | | 214,226,021 |
| घटाएं: आयकर (धन वापसी का निवल) | Less: Income Tax (Net of Refund) | 38,008,418 | | 24,062,758 | |
| घटाएं: सहकारी शिक्षा निधि | Less: Cooperative Education Fund | 1,036,212 | (39,044,540) | 743,649 | (24,806,407) |
| प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी | NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES | | 122,241,408 | | 189,419,614 |
| (ब) निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाह: | (B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES | | | | |
| संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की खरीद/सीडब्ल्यूआईपी | Purchase of Property, Plant and Equipments/CWIP | (14,430,660) | | (21,557,973) | |
| संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री | Sale of Property, Plant and Equipments | 449,476 | | 234,858 | |
| संपत्ति, संयंत्र व उपकरण पर पूंजीगत अनुदान | Capital Subsidy on Property, Plant and Equipments | - | | - | |
| सावधि जमा में निवेश | Investments in Fixed Deposits | (74,900,000) | | (89,700,000) | |
| सावधि जमा से प्राप्त लाभ | Interest Received from Fixed Deposits | 22,421,832 | (66,459,352) | 3,520,155 | (107,502,960) |
| निवेश गतिविधियों से निवल नकदी का प्रवाह | NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES | | (66,459,352) | | (107,502,960) |
| (स) वित्तीय गतिविधियों से नकदी का प्रवाह: | (C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES: | | | | |
| शेयर पूंजी/शेयर आवेदन से प्राप्तियां | Proceeds from Share Capital / Share Application Money | - | | 19,000 | |
| दीर्घावधिक के ऋण से वृद्धि/(कमी) | Increase/(Decrease) from Long-Term Borrowings | (7,161,428) | | (8,374,400) | |
| अल्पावधिक के ऋण से वृद्धि/(कमी) | Increase/(Decrease) from Short-Term Borrowings | - | | - | |
| भुगतान किया गया लाभांश | Dividend Paid | (6,685,250) | | (6,633,300) | |
| प्राप्त लाभांश | Dividend Received | 5,069,800 | | 5,069,800 | |
| ब्याज पर व्यय | Interest Expenses | (11,819,246) | | (20,693,340) | |
| वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की गई निवल नकदी | NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES | | (20,596,124) | | (30,612,240) |
| नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) | INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS | | 35,185,932 | | 51,304,414 |
| वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य | CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINING OF THE YEAR | | 346,329,739 | | 295,025,325 |
| वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य | CASH AND EQUIVALENTS AT THE CLOSE OF THE YEAR | | 381,515,671 | | 346,329,739 |
| नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी: | Notes to the cash flow statement: | | | | |
| 1. नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, बैंकों में जमा राशियां शामिल हैं। | 1. Cash and cash equivalents consists of cash in hand and Balances with Banks. | | | | |
| 2. नकदी प्रवाह विवरण में जो प्रस्तुत नकदी व नकदी समतुल्य तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं शेष हैं। | 2. Cash and cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet amounts. | | | | |
| पास में नकदी | Cash in Hand | | 66,480 | | 84,073 |
| अनुसूचित बैंकों में शेष | Balance with Scheduled Banks: | | | | |
| – चालू खाते एवं बचत खाते | - Current accounts and saving accounts | | 50,049,191 | | 71,076,516 |
| – सावधिक जमा | - Fixed Deposits | | 331,400,000 | | 275,169,150 |
| | | | 381,515,671 | | 346,329,739 |

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
**As per our report of even date attached**
कृते एस. टेकरीवाल एंड एशोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 009612एन
**For S. Tekriwal and Associates**
**Chartered Accountants**
**FRN: 009612N**

(सी.ए. शिशिर टेकरीवाल)
साझेदार
(CA Shishir Tekriwal)
(Partner)
M.No. 088262

कृते इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
**For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.**

(सुकांत शर्मा)
वरि. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Sr. Manager (F&A)

(एस.पी. सिंह)
प्रबंध निदेशक
(S.P. Singh)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 25.05.2023

आई.एफ.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) में स्थापित संस्था की आधुनिक बीज प्रसंस्करण इकाई का भ्रमण

इफको की 52वीं वार्षिक आम सभा के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा लगाये गये स्टॉल का अवलोकन करते हुए श्री योगेन्द्र कुमार, विपणन निदेशक, इफको

IFFDC

*Preserving Nature . Nurturing Lives*

# इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेन्ट कोआपरेटिव लिमिटेड

## INDIAN FARM FORESTRY DEVELOPMENT COOPERATIVE LIMITED

**मुख्यालय:** एफ.एम.डी.आई., इफको कॉलोनी, सेक्टर–17बी, गुड़गांव–122001 (हरियाणा)

**Head Office:** FMDI, IFFCO Colony, Sector-17B, Gurgaon-122001 (Haryana)

दूरभाष / Telephone: 0124-2340148, फैक्स / Fax: 0124-2340149

ई–मेल / E-mail: iffdcchiefexecutive@gmail.com, वेबसाईट / Website: http://www.iffdc.in

Concept & Design: Publicity Deptt., IFFDC